कार्यसूची

दिनांक - 25.02.2026

2026

षष्टम्

झारखण्ड विधान-सभा

पंचम् (बजट) सत्र

अल्प-सूचित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, दिनांक 06 फाल्गुन, 1947 (श०)
25 फरवरी 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-07 (सात)

(1)	नगर विकास एवं आवास विभाग	...	...	02
(2)	पथ निर्माण विभाग	...	...	01
(3)	परिवहन विभाग	...	...	01
(4)	ग्रामीण कार्य विभाग	...	...	01
(5)	ग्रामीण विकास विभाग	...	...	01
(6)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	...	...	01
			कुल योग-	07

सेवा संपुष्टि करना ।

74. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष-2021 (7th, 8th, 9th JPSC) में नियुक्त झारखण्ड नगर पालिका सेवा के 63 अधिकारियों की सेवा नियमावली अबतक अधिसूचित नहीं होने से इनकी सेवा संपुष्टि भी अबतक नहीं हो पायी;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 के कारण इन अधिकारियों को नियमित वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है इनका वेतन नगर निकायों कि आंतरिक आय, आंशिक रूप से ऋण एवं अनुदान के माध्यम से किया जा रहा है फलस्वरूप कई बार छः-छः महिने तक वेतन लंबित रहने के साथ इन अधिकारियों का अबतक GPF खाता तक नहीं खोला गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित इस तरह के वेतन व्यवस्था राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए न केवल अनियमित बल्कि नियम विरूद्ध भी है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलंब इन अधिकारियों के नगर पालिका सेवा की नियमावली सेवा संपुष्टि के साथ सीमा तक लागू नियमित वेतन भुगतान तथा GPF व्यवस्था को एक निश्चित समय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थित यह है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली-2024 (यथा संशोधित) के आलोक में सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के 65 पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त करने हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची की अधियाचना प्रेषित की गयी है । आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के पद पर 65 पदाधिकारियों की नियुक्ति वर्ष-2022 में की गयी है, जिसमें से सम्प्रति 63 पदाधिकारी कार्यरत हैं । नियमावली के प्रावधानों के आलोक में इनकी सेवा सम्पुष्टि की कार्रवाई हेतु पत्रांक-475, दिनांक 13 फरवरी, 2026 द्वारा आवश्यक अभिलेखों की माँग की गयी है ।

उक्त क्रम में इस पद के लिए झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली-2014 (यथा संशोधित) एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के मध्य विधिक विश्लेषण के उपरांत पृथक झारखण्ड नगरपालिका सेवा नियमावली (प्रशासनिक संवर्ग) 2025 के गठन की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली -2014 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के आलोक में सहायक नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी राज्यकर्मी की श्रेणी में सम्प्रति नहीं आते हैं तथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-58(1) के आलोक में इन पदाधिकारियों के वेतन का भुगतान संबंधी शहरी स्थानीय निकाय की नगरपालिका निधि से किये जाने का प्रावधान किया गया है ।

शहरी स्थानीय निकाय की नगरपालिका निधि की बढ़ोत्तरी हेतु विभिन्न योजनाओं यथा होल्डिंग टैक्स, जल कर, कचड़ा उठाव, विज्ञापन कर, ट्रेड लाईसेंस, भवन नक्शा स्वीकृति, सैरात, पार्किंग शुल्क आदि का प्रावधान है ।

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नगरपालिका निधि से कर्मियों का वेतन भुगतान में हो रही कठिनाई के दृष्टिपथ में तथा निकायों के आय-व्यय का आकलन करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरपालिका कर्मियों के वेतन भुगतान में सरकार का वित्तीय भार (ऋण एवं अनुदान का प्रतिशत) संकल्प संख्या-1251, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा निर्धारित किया गया है, जो प्रतिवर्ष घटते हुए वर्ष-2027-2028 में शून्य हो जायेगी । इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों को स्वायतशासी संस्था के रूप में विकसित करना है ताकि नगरपालिका अपने कर्मियों के वेतन एवं सेवानिवृत्तिक पावना भुगतान में सक्षमता प्राप्त कर सके । शहरी स्थानीय निकायों के नगरपालिका कर्मियों को सामान्य भविष्य निधि अनुमान्य नहीं है एवं इन कर्मियो के संबंध में Patna Municipal Corporation Officers &Servant Pension Rules, 1986, Bihar Municipal Officer & Servant Pension Rules, 1987 प्रभावकारी है ।

(3) अस्वीकारात्मक । उपर्युक्त कंडिका-2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

(4) उपर्युक्त कंडिका-1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

प्रशासनिक स्वीकृति ।

75. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा अनुशंसित योजनाएँ (1) डांड़े मोड़ सिजुआ से घटवारी चौक होते हुए कुसमाहा तक पथ निर्माण । (2) परसोती स्टेडियम से बरमसिया-नुनबट्टा-बेलबथान होते हुए दामा तक पथ निर्माण । (3) पोड़ैयाहाट-अमुवार RCD पथ से लता होते हुए सिकटिया-मोहानी-लीलादह-प्रतापपुर अमलो-खटनई पथ निर्माण का DPR का T.S. होकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु एक वर्ष से लंबित है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष-2026-2027 के प्रथम तिमाही में उक्त सभी अनुशंसित पथों का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नियुक्ति करना ।

76. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के परिवहन विभाग के अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षक के अनके स्वीकृत पद वर्षों से रिक्त पड़े हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा नियमित नियुक्ति के स्थान पर संविदा/सेवानिवृत्त कर्मियों से कार्य लिया जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमित नियुक्ति नीति लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक ।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि मोटरयान निरीक्षकों की नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए परिवहन विभागान्तर्गत झारखण्ड मोटरयान निरीक्ष संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियमावली 2010 अधिसूचित है । उक्त अधिसूचित नियमावली के भाग-2, नियम-8 (रिक्तियों का अवधारण) में यह प्रावधानित है कि :- (क) प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 31 दिसम्बर को पद सृजन/सेवानिवृत्त/संवर्गीय सदस्यों की मृत्यु आदि का स्थिति में रिक्त पद से विनिश्चित किये जायेंगे

(ख) नियुक्ति पदाधिकारी वर्ष के दौरान भरी जानेवाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और तत्समय सीधी भर्ती के लिए प्रवृत्त आरक्षण अधिनियम-नियमावली/संकल्पों/अनुदेशों के अनुसार रिक्तियों की संख्या दर्शायेगा ।

अंकणीय है कि कैलेण्डर वर्ष-2023 में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष कुल 46 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से नियुक्ति अनुशंसा हेतु सक्षम प्राधिकार यथा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध करायी गई थी, जिसके आलोक में आयोग द्वारा प्रथम चरण में उपलब्ध कराए गये कुल 40 सफल अनुशंसित अभ्यर्थियों को मोटरयान निरीक्षक के रिक्त पदों पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त कर पदस्थापित किया जा चुका है तथा परिवहन विभागीय संकल्प संख्या-71, दिनांक 16 जनवरी, 2026 के द्वारा परिवहन निदेशालय (परिवहन आयुक्त कार्यालय) के अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षक के अतिरिक्त 21 पदों का सृजन किया गया है ।

कार्रवाई करना ।

77. श्री हेमलाल मुर्मू--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार के आदेश के बाद ग्रामीण सड़कों और पुलों का वर्ष-2024-2025 का निविदा रद्द नहीं हुआ क्योंकि विभाग में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में निविदा प्रकाशित हुए थे, लेकिन लम्बे समय के बाद भी उसका निष्पादन नहीं हुआ था;

(2) क्या यह बात सही है कि बीड की वैधता 180 दिन समाप्त होने के बाद इसे रद्द करने का प्रावधान है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे कार्यों में शिथिलता और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित करने का ब्यौरा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

राशि सीमा बढ़ाना ।

78. श्री अमित कुमार यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक, वित्तीय वर्ष में माननीय विधायकगण के अनुशंसा के आलोक में ग्राम सेतु योनजा के तहत पुल निर्माण कराने हेतु अधिकतम 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की जाती है;

(2) क्या यह बात सही है कि कभी-कभी पुल की लंबाई ज्यादा होने के कारण 10 करोड़ रुपये की राशि कम पड़ जाती है और योजना की स्वीकृति में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में खण्ड-1 में वर्णित राशि की अधिकतम सीमा को संशोधित करते हुए पुल की संख्या निर्धारित कर कार्य कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नोट:- *78- अ०सू०-14 ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-482, दिनांक 19 फरवरी, 2026 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित ।

चापाकलों की मरम्मती ।

79. श्री उदय शंकर सिंह--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में चापाकलों की मरम्मती कराये जाने के निमित द्वारा विभिन्न मदों में राशि का आवंटन कर दिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि चापाकलों की मरम्मती के लिए आवंटित की गई राशि में पाईप का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे पाईप के कारण खराब पड़े चापाकलों की मरम्मती में कठिनाई होती है तथा ससमय कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में चापाकलों की मरम्मती के निमित आवंटित की जाने वाली राशि में पाईप का भी प्रावधान करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना ।

80. श्री चन्द्रदेव महतो--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार द्वारा जल संरक्षण के संकल्प के बावजूद राज्य के अधिकांश सरकारी भवनों में अब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण राज्य में हर वर्ष करोड़ों लीटर वर्षा जल व्यर्थ बह जा रहा है, जिससे भू-जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी सरकारी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नोटः- ख-80- अ०सू०-04 नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-530, दिनांक 17 फरवरी, 2026 द्वारा भवन निर्माण विभाग में हस्तांतरित ।

रांची :
दिनांक 25 फरवरी, 2026 (ई०) ।

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, रांची ।

झा०रा०मु० रांची (एल०ए०) 64--250--23-2-2026 ।

षष्टम्

झारखण्ड विधान-सभा

पंचम् (बजट) सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-3

बुधवार, दिनांक 06 फाल्गुन, 1947 (श०)
25 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या-78 (अठहत्तर)

(1)	नगर विकास एवं आवास विभाग	...	...	17
(2)	ग्रामीण विकास विभाग	...	...	08
(3)	पथ निर्माण विभाग	...	...	24
(4)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	...	...	12
(5)	ग्रामीण कार्य विभाग	...	...	13
(6)	परिवहन विभाग	...	...	02
(7)	भवन निर्माण विभाग	...	...	01
(8)	पंचायती राज विभाग	...	...	01
			कुल योग-	78

प्रशासनिक स्वीकृति देना ।

*207. श्री सरयू राय--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मानगो नगर निगम के पत्रांक-590, दिनांक 28 अप्रैल, 2025 द्वारा रु०3,62,35,250/- की छः योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सचिव, नगर विकास विभाग को भेजा है;

(2) क्या यह बात सही है कि दिनांक 17 फरवरी, 2025 को जिला योजना चयनसमिति की बैठक में चयनित इन योजनाओं को मुख्य अभियंता तकनीकी कोषांग, नगर विकास विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है;

(3) क्या यह बात सही है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मानको नगर निगम के पास नागरिक सुविधा मद में निधि उपलब्ध है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है, फिर भी अबतक इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके कारण इनके क्रियान्वयन में देरी हो रही है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देने में देरी का कारण क्या है और क्या सरकार इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

जलापूर्ति कराना ।

*208. श्री सुरेश पासवान--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत देवघर शहर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु करोड़ों की राशि से पुनासी जलाशय से देवघर शहर तक पाईप बिछाकर जल आपूर्ति करना है;

(2) क्या यह बात सही है कि जल आपूर्ति की समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है और कार्य अधूरा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कार्य करने वाले संवेदक पर कार्यवाही करते हुए देवघर शहर को शीघ्र जल आपूर्ति कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पथ की मरम्मती ।

*209. श्रीमती ममता देवी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि रामगढ़ नगर पर्षद क्षेत्र ग्राम चेटर से कोठार तक लगभग 3.00 किलोमीटर सड़क काफी जर्जर स्थिति में है;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर पर्षद क्षेत्र ग्राम चेटर से कोठार तक की सड़क काफी खराब होने के कारण आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित सड़क का मरम्मती जनहित में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र ग्राम चेटर से कोठार तक लगभग 3.00 किलोमीटर सड़क जर्जर स्थिति में है, जिसमें 300 मीटर लम्बाई का कार्य रामगढ़ नगर परिषद द्वारा करा लिया गया है । नगर परिषद, रामगढ़ द्वारा शेष सड़क की प्राक्कलन तैयार कर निविदा की प्रक्रिया आदर्श आचार संहिता के बाद सुनिश्चित कर ली जाएगी ।

(2) रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र चेटर से कोठार तक लगभग 3.00 किलोमीटर सड़क जर्जर स्थिति में है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका-01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

प्रशासनिक स्वीकृति देना ।

*210. श्री अनन्त प्रताप देव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर अन्तर्गत (1) Urban Health & Wellness Center (2) Riverfront Development, SBNP, Grahwa (3) Vendor Market (4) Narmdeshwar Mandir योजनाओं का डी०पी०आर० परामर्शी द्वारा तैयार कर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रशासक, नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर के पत्रांक-438, दिनांक 13 जून, 2025 द्वारा विभागीय सरकार के प्रधान सचिव को पत्राचार कर रु०34,30,47,900.00 (चौंतीस करोड़ तीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ रुपये मात्र) का आवंटन उपलब्ध कराने की माँग की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति विगत 7 माह से नहीं मिलने के कारण कार्यों का क्रियान्वयन अभी तक लंबित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर आवंटन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

गुणवत्ता की जाँच कराना ।

*211. श्री जिगा सुसारन होरो--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत कामडारा प्रखण्डाधीन कोटबो RCD पथ से टुकु टोली तक पथ निर्माण हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित पथ की निर्माण में अत्यंत घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जिससे पथ अति जर्जर हो गया है और ग्रामीणों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जाँच कराकर निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?

नोटः-*A. 211-ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-426, दिनांक 16 फरवरी, 2026 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित ।

पथ का सुदृढ़ीकरण ।

*212. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही प्रखण्ड के चार माईल एन०एच० 33 से रालो लठिया होते हुए करियातपुर जी०टी० रोड तक 14 किलोमीटर आर०ई०ओ० योजना अन्तर्गत सड़क बनी हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित सड़क एन०एच०-33 पर माईल से जी०टी० रोड करियातपुर तक एक महत्वपूर्ण बायपास है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित सड़क को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर सुदृढ़ीकरण एवं मजबुतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

कार्य पूर्ण करना ।

*213. श्री सोमेश चन्द्र सोरेन--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत घाटशिला, मुसाबनी, धालभूमगढ़ एवं गुड़ाबांदा प्रखण्डों के विभिन्न गाँवों बागजाता, भालकी माच्छभंडार आदि में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्य आज तक अपूर्ण है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डो के कई गाँवों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य तो किया गया है, परन्तु अब तक घर-घर नल जल कनेक्शन उपलब्ध नही कराया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि इन प्रखण्डों के गाँवों में जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्य गुणवत्तापूर्ण नही हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रखण्डों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत किए गए कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

सीमा निर्धारण करना ।

*214. श्री राजेश कच्छप--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य PWD कोड में DPR/BOQ बनाते हुए NIT जारी किया जाता है, जिसके लिए Advaned Planning Division का Wing कार्यरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित कोड 40 में Rate कोट का सीमा निर्धारित नही है जिसके परिणाम स्वरूप निविदाओं के NIT निस्तारण में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक Below रेट कोट किया जा रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-2 में वर्णित Below Rate Quote की असीमित सीमा से कार्य की गुणवत्ता नगण्य हो रही है;

(4) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित कोड में Schedule Rate से 10 फीसदी Below रेट कोट का प्रावधान होने से कार्य में गुणवत्ता आयेगी तथा विकास कार्य में अधिक पारदर्शिता कायम होगी;

(5) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार PND Code में संशोधन कर Below Rate Quote 10 फीसदी तक सीमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पथ का स्थानांतरण ।

*215. श्री कुमार उज्जवल--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के सिमरिया विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड मयूरहंड के पचमो चौपारण भाया मयूहंड सड़क, जो मयूरहंड प्रखण्ड मुख्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) से जोड़ने वाली एकमात्र प्रमुख संपर्क सड़क है, वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग (REO) के अधीन होने के कारण उपेक्षा का शिकार है और इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस महत्वपूर्ण सड़क की स्थिति खराब है, आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही है तथा आम जनता, विद्यार्थियों, मरीजों और प्रशासनिक कार्यों में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए उक्त सड़क का ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित कर शीघ्र निर्माण की आवश्यकता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क को PWD में स्थानांतरित कर उच्च मानक के अनुसार निर्माण एवं रखरखाव का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रशासनिक स्वीकृति ।

*216. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर विधान-सभा के निम्न ग्रामीण पथों की तकनीकी स्वीकृति होने के बाद भी प्रशासनिक स्वीकृति लंबित है:- यथा-

(क) धोरिया रोड से जमुनिया तक पथ निर्माण कार्य बिरनी प्रखण्ड (ख) कोयरिडीह PWD पथ से पूर्णिडीह-रत्नाडीह तक पथ निर्माण कार्य (सरिया प्रखण्ड) (ग) अटका PWD पथ से दुर्गा भाया दलित टोला तक पथ निर्माण कार्य । (सरिया प्रखण्ड) (घ) चिचाकी रोड से मोकामों दलित टोला तक पथ निर्माण कार्य (सरिया प्रखण्ड) (ङ) बकराडीह रोड से खेरोंन भाया पंदनाटांड़ तक पथ निर्माण कार्य (सरिया प्रखण्ड) (च) तुकतुका से पैंसरा भाया अखेना तक पथ निर्माण कार्य । (बगोदर प्रखण्ड) (छ) ग्राम ठल्लिबार में स्कूल से भंडरियाटांड भाया दुर्गा मंडप तक पथ निर्माण कार्य (बगोदर प्रखण्ड) (ज) बरवाडीह से सुन्दरूटांड भाया बेको, कर्माबाद, घुठीबार तक पथ निर्माण कार्य । (बगोदर प्रखण्ड);

(2) क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उक्त गाँव/टोला सड़क से वंचित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त सभी पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर कार्य आरंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

योजना चालू करना ।

*217. श्री सोनाराम सिंकु--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड के सरस्वतीपुर जलापूर्ति योजना पिछले 5 वर्षों से संचालित नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित योजना से पंचायत-मुंडुई, पट्टाजैत एवं जैतगढ़ के लगभग 20 ग्रामों के जनता इस योजना से वंचित हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरस्वतीपुर जलापूर्ति योजना को पुनः सुचारू रूप से संचालित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पथ की मरम्मती ।

*218. श्री दशरथ गागराई--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चौका-काण्ड्रा-चाईबासा पथ का रख-रखाव JARDCL द्वारा कराया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि दो वर्ष पूर्व चौका-काण्ड्रा-चाईबासा पथ का Surface Renewal कार्य कराया गया था;

(3) क्या यह बात सही है कि किये गये Surface Renewal कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण यह पथ क्षतिग्रस्त हो गया है;

(4) क्या यह बात सही है कि खराब Surface Renewal कार्य के कारण वाहनों का परिचालन वर्तमान समय में अबाध गति से नहीं हो रहा है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चौका-काण्ड्रा-चाईबासा पथ को शीघ्र दुरूस्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*219. श्री मंगल कालिन्दी--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जुगलसलाई विधान-सभा क्षेत्रान्तर्गत खुकराडीह चौक से गोविन्दपुर हरि मंदिर तक लगभग 4 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए शिलान्यास अक्टूबर, 2025 में हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित सड़क प्राक्कलित राशि 2.17 करोड़ रुपये है परंतु आजतक निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है, जिसके कारण आमजनों को काफी परेशानियाँ हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड-1 में वर्णित सड़क का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*220. श्री सुखराम उराँव--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधान-सभा क्षेत्र के चक्रधरपुर प्रखण्ड में टेबुल लाईन से गोपीनाथपुर सड़क काफी जर्जरावस्था में है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस पथ से एक बड़ी आबादी का संपर्क अनुमण्डल एवं प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रखण्ड का सृजन ।

*221. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड का पंचायत छिपादोहर, लात, चुंगरू, मुण्डु, केड़ एवं कुचिला प्रखण्ड मुख्यालय से सुदूर घनी पहाड़ी एवं जंगल के बीच अवस्थित है जिसके कारण वर्णित पंचायत के लोगों को प्रखण्ड स्तरीय कार्य हेतु बरवाडीह आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित पंचायतों को बरवाडीह प्रखण्ड से अलग कर छिपादोहर पंचायत के साथ जोड़ते हुए छिपादोहर पंचायत को प्रखण्ड का दर्जा दिया जाय तो वर्णित पंचायत के लोगों को प्रखण्ड स्तरीय कार्य के निष्पादन में काफी सहुलियत होगी;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छिपादोहर पंचायत को खण्ड-1 में वर्णित अन्य पंचायतों के साथ जोड़ते हुए प्रखण्ड का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पेयजल की आपूर्ति ।

*222. मो० ताजुद्दीन--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिले के साहेबगंज राजमहल एवं उधवा प्रखण्ड में पीने के स्वच्छ पानी की काफी किल्लत है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों के ड्राई जोन में सामान्य बोरिंग सफल नही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ड्राई जोन एरिया को चिन्हित करते हुए आगामी गर्मी के मौसम से पूर्व उच्च स्तरीय बोरिंग करवाकर ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

नोट:-*B 220-पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-722, दिनांक 19 फरवरी, 2026 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में स्थानांतरित ।

पथ का निर्माण ।

*223. श्री धनंजय सोरेन--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का बोरियो विधान-सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत मंडरा प्रखण्ड में रक्सी स्थान से तेतरीया होते हुए बड़तल्ला मीर्जाचौकी स्टेशन तक सड़क अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है;

(3) क्या यह बात सही है कि खसी स्थान में पूजा अर्चना हेतु हजारों लोग अपने वाहनों के साथ रोज आते हैं;

(4) क्या यह बात सही है कि हजारों श्रद्धालुओं को रोड की स्थिति जर्जर होने के कारण अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और कभी कभार तो वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

चेकडैम का निर्माण ।

*224. श्री नागेन्द्र महतो--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान-सभा क्षेत्र के बिरनी, सरिया एवं बगोदर प्रखण्ड के दर्जनों पंचायत में भू-गर्भ जल स्रोत के नीचे चले जाने के कारण जल स्रोत के सभी साधन यथा-चापानल, कुआँ वगैरह सुख गए हैं, जिससे उक्त जगह में गंभीर पेयजल समस्या बनी हुई है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में कई नदी नालों का प्रवाह होता है, जिसमें सालो भर पानी बहता रहता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गंभीर पेयजल समस्या से निजात के लिए उक्त बहने वाली नदियों में जगह-जगह श्रृखलाबद्ध चेकडैम का निर्माण करने यथा योग्य जगहों में फिल्टर प्लांट लगाकर जलमीनार का निर्माण कर हर घर नल जल योजना के माध्यम से लोगों को शुद्ध पेयजल मुहया कराने, श्रृखलाबद्ध चेकडैम के माध्यम से पानी को रोक कर जल स्तर को ऊंचा उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

बस पड़ाव का निर्माण ।

*225. श्री जनार्दन पासवान--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा बस पड़ाव निर्माण हेतु राशि-4,22,80,400/- (चार करोड़ बाईस लाख अस्सी हजार चार सौ) रुपये का प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई थी, जिसके विरूद्ध विभागीय पत्रांक-79, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 द्वारा मात्र एक करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ/शेष आवंटन हेतु विभाग से कई बार पत्राचार चतरा नगर परिषद कार्यालय से किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला का एक मात्र बस पड़ाव है यहाँ ऐतिहासिक धर्म/पर्यटन स्थल इंटखोरी, कॉलेश्वरी एवं बोधगया के दर्शन हेतु पर्यटकों का आगमन एवं ठहराव होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में चालू वित्तीय वर्ष में आवंटन उपलब्ध कराकर पर्यटकों के सुविधा हेतु बस पड़ाव का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

कार्य पूर्ण करना ।

*226. श्रीमती श्वेता सिंह--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत चास निगम क्षेत्र में वर्तमान में पेयजल की गंभीर एवं निरंतर समस्या बनी हुए है, जिससे आम नागरिकों को दैनिक जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा चास जल आपूर्ति परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसके अन्तर्गत फेज-1 अपेक्षित रूप से सफल नही हो पाया, पेज-2 का कार्य अब तक पूर्ण नहीं हुआ है तथा फेज-3 की निविदा प्रक्रिया लंबित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों 1/2 के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त चरणों का कार्य किस निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*227. श्री धनंजय सोरेन--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का मडरो प्रखण्ड के पडैया-ग्राम से बाँझी तक कोई पथ नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि सड़क के अभाव में यहाँ के लोगों का बाँझी तक आवागमन में 50 किलोमीटर अत्याधिक दूरी तय करना पड़ता है;

(3) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण हो जाने से मडरो प्रखण्ड एवं बाँझी के बीच की दूरी अत्याधिक कम हो जायेगी फलस्वरूप यहाँ के आदिवासी एवं मूलवासियों को समय एवं खर्च की बचत होगी;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नोट:-*C 226-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक-369, दिनांक 16 फरवरी, 2026 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित ।

पेयजल उपलब्ध कराना ।

*228. श्री रोशन लाल चौधरी--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बड़कागाँव एवं केरेडारी प्रखण्ड में संचालित एनटीपीसी, सीसीएल, अडानी जैसे कोयला खनन परियोजनाओं गतिविधियों के कारण क्षेत्र के भू-जल स्तर में अत्याधिक गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50 से अधिक गाँवों गंभीर पेयजल संकट से प्रभावित हैं, खनन परियोजना से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित इन गाँवों संबंधित कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) फंड का उपयोग पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु प्रभावी रूप से नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खनन प्रभावित गाँवों का नल जल योजना से भी आच्छादित नही किए गए हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को चापाकल, कुएँ अथवा दूर जलस्त्रों पर निर्भर रहना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नल-जल योजना से वंचित खनन प्रभावित गाँवों को (CSR) फंड से पेयजल उपलब्ध कराने तथा बड़कागाँव एवं केरेडारी प्रखण्ड को नल जल योजना से वर्ष 2027 तक पूर्ण आच्छादित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*229. डॉ० नीरा यादव--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के मरकच्चो और जयनगर प्रखण्ड में पथ की चौड़ाई कम होने से हमेशा सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है;

(2) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों जगहों पर बाईपास सड़क निर्माण कार्य नही होने के कारण लोगों को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मरकच्चो और जयनगर में बाईपास पथ का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पथ की मरम्मती ।

*230. श्री प्रकाश राम--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सम्पोषित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सड़क जालिम कढ़ीमा डाकबंगला रोड से रेंची भाया बेड़ा तक पथ को बने 10 साल हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि इतने वर्षों के बाद इस पथ की स्थिति काफी जर्जर हो गई है;

(3) क्या यह बात सही है कि इस पथ के जर्जर होने से आवागमन में असुविधा एवं दुर्घटना की आशंका बनी रहती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पथ की मरम्मती कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पथों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है ।

पथ का निर्माण ।

*231. डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पांकी प्रखण्ड के नौडीहा पंचायत के ग्राम उलगड़ा एवं केकरगढ़ पंचायत के ग्राम गड़ीहारा, हेडुम, मतनाग आदि कई गाँव का आज भी पथ निर्माण नहीं होने के कारण हजारों की संख्या में ग्रामीणों का आवागमन अत्यंत दुर्गम है;

(2) क्या यह बात सही है कि लोकसभा एवं विधान-सभा चुनाव-2024 के समय खण्ड-1 में वर्णित पंचायतों के कई गाँवों के मतदान केन्द्रों को दुर्गम आवागमन होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से रि-लोकेट करना पड़ा था;

(3) क्या यह बात सही है कि नावाडीह (पाँकी) मुख्य पथ से उलगड़ा गड़ीहारा हेडुम होते हुए मतनाग पीच रोड तथ पथ निर्माण करने का प्राक्कलन दो वर्षों से स्वीकृति हेतु लंबित है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-3 में वर्णित पथ निर्माण की स्वीकृति देकर निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*232. श्री सोनाराम सिंकु--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत हाटगम्हरिया कासिम बाजार से बराईबुरू हाथी चौक तक पथ काफी जर्जर एवं पुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित पथ एवं पुल का निर्माण लगभग 15 वर्षों पूर्व की गई थी;

(3) क्या यह बात सही है कि लौह-अयस्क लादे हुए भारी वाहनों का हमेशा आवागमन है तथा यह मार्ग सबसे व्यस्तम मार्गों में एक है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-01 में वर्णित पथ एवं पुल को आगामी वित्तीय वर्ष में निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

मिनारों एवं चापानलों की मरम्मती ।

*233. डॉ० लुईस मरांडी--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगे जल मिनारों में जल का स्रोत पुराने चापानल के लिए किये गये बोरवेल है;

(2) क्या यह बात सही है कि ऐसे जल मिनार अधिकांशतः तकनीकी कारणों से बन्द है;

(3) क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी टंकी के लाभ से तो वंचित है ही साथ वहाँ पूर्व में स्थापित चापानल के उपयोग से भी वंचित है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाँच कराकर ग्रीष्म ऋतु आने से पूर्व इन जल मिनारों की मरम्मती एवं चापानलों को ठीक कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*234. श्री निर्मल महतो--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला एवं रामगढ़ जिला के बीच नया मोड़ कुजू में एन०एच० 33 अवस्थित है;

(2) क्या यह बात सही है कि नया मोड़ कुजू से गिद्दी जाने वाला सड़क काफी जर्जर अवस्था में है जिसमें आवागमन करने वाले यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नया मोड़ कुजू से गिद्दी तक सड़क निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*235. श्री उमाकांत रजक--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चंदनकियारी, बरमसिया सड़क पर वर्ष-2013-2014 से ईजरी नदी में उच्चस्तारीय पुल बनकर तैयार है, लेकिन पुल के दोनों तरफ सम्पर्क पथ विभाग द्वारा अब तक नहीं बना पाया है, जिससे यातायात समेत आमजनों को आवागमन में कठिनाई हो रही है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित पथ के पुल के दोनों तरफ से सम्पर्क पथ बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

तालाब का सौंदर्यीकरण ।

*236. डॉ० नीरा यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय स्थित कोडरमा नगर पंचायत में समाहरणालय के सामने राँची पटना रोड के बगल में भईया जी के नाम से सरकारी तालाब है, जिसका पानी कई सालों से गंदा एवं दूषित है । इसके कारण मलेरिया, टायफईट एवं अन्य संक्रमित रोगों से लोग बीमार हो रहे हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित तालाब के कारण मुहल्ले के अधिकांश कुआँ एवं बोरिंग से निकलने वाला पानी भी काफी दूषित एवं गंदा हो चुका है, जो पीने लायक भी नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि तालाब के निकट अवस्थित दो मुहल्ला महावीर मुहल्ला, एवं सुन्दर नगर है, जिनके घरों से निकला गंदा पानी भी उसी तालाब में जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त तालाब को साफ करवाकर सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

भवन पूर्ण करना ।

*237. श्री सोमेश चन्द्र सोरेन--क्या मंत्री, भवन निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत गुड़ाबांदा प्रखण्ड के ग्राम हातियापाटा में निर्माणाधीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण कार्य संतोशजनक नहीं है तथा कार्य की प्रगति जन-अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय भवन के निर्माण में निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त भवन निर्माण कार्य को गुणवत्ता पूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

फ्लैटों की कीमत कम कराना ।

*238. श्री अमित कुमार यादव--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा हजारीबाग राँची, धनबाद, जमशेदपुर आदि शहरों में आम जनता को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण कराया गया है, जिसकी कुल संख्या करीब 1000 होगी;

नोट:-*D 237-भ०-06 भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-293, दिनांक 19 फरवरी, 2026 द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानांतरित ।

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित फ्लैटों की कीमत बाजार मूल्य से अधिक होने के कारण आम जनता फ्लैट खरीद नहीं पा रही है, साथ ही निर्मित फ्लैट भी रख रखाव के अभाव में जर्जर हो रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में खण्ड-1 में वर्णित फ्लैटों की कीमत कम करते हुए आम जनता को बिक्री करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

फ्लाई-ओवर बनाना ।

*239. श्री आलोक कुमार चौरसिया--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में कचहरी चौक से जी०एल०ए० कॉलेज तक एवं रेड़मा चौक (राँची रोड) से बैरिया चौक तक काफी भीड़भाड़ के साथ, काफी ट्राफिक दबाव बना रहता है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित स्थल पर हमेशा जाम रहने से आवागमन में आम लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शहर के दीर्घकालिक विकास और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कचहरी चौक से जी०एल०ए० कॉलेज तक एवं रेड़मा चौक (राँची रोड) से बैरिया चौक तक फ्लाई-ओवर बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

कचड़ा डम्प करना ।

*240. श्री आलोक कुमार चौरसिया--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मेदिनीनगर निगम क्षेत्र के द्वारा मंगरदाहा घाटी (नई मोहल्ला) के पास शहर का पूरा कचड़ा डम्प किया जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित स्थान पर शहर का कचड़ा डम्प किये जाने से जहरीली गैस एवं कचड़ा जलाने से निकलने वाले प्रदूषित धुआं से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मानव जीवन के स्वास्थ्य की प्राथमिकता को देखते हुए उचित कचड़ा प्रबंधन के साथ शहर से काफी दूर कचड़ा डम्प कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक । वर्तमान में मेदिनीनगर नगर निगम से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित मंगरदाहा डम्प साईड में कचड़ा डम्प किया जाता है । उक्त के निस्तारण हेतु भारत सरकार से Legacy Waste एवं Solid Waste की योजना स्वीकृत है ।

(2) नगर निगम क्षेत्र से 6 किलोमीटर दूर कचड़ा डम्प किया जाता है । जल्द ही इसका निस्तारण कर लिया जाएगा ।

(3) स्वीकारात्मक । नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प संख्या-5773, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 द्वारा मेदिनीनगर नगर निगम अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के लोक-निजी-भागीदारी पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रु० 266.7076 करोड़ के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अधिकार देना ।

*241. श्री भूषण बड़ा--क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला पेसा अधिनियम के दायरे में आती है, जहाँ पेसा अधिनियम लागू होने के बाद भी Village Council को वास्वतिक अधिकार नहीं प्रदान किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित Village Council का अधिकार केवल कागजों में ही सिमित है, जिसके कारण बालू का उठाव, उत्खनन, पत्ता संग्रहण, जुआ, मुर्गा लड़ाई निर्बाध गति से जारी है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम सभा को पेसा अधिनियमत वास्तविक अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

बंदोबस्ती करना ।

*242. मो०ताजुद्दीन--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिले के साहेबगंज से मनहारी (बिहार) एवं राजमहल से मानिकचक (पश्चिम बंगाल) से संचालित होने वाली फेरी घाट की बंदोबस्ती साहेबगंज झारखण्ड से होती है;

(2) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज फेरी घाट की बंदोबस्ती एक बार बिहार के कटिहार जिले से एवं एक बार झारखण्ड के साहेबगंज से की जाती है;

(3) क्या यह बात सही है कि राजमहल फेरी घाट की बंदोबस्ती पश्चिम बंगाल के मालदा जिला से की जाती है, राजमहल फेरी घाट की बंदोबस्ती झारखण्ड से नहीं होने के कारण राज्य सरकार का राजस्व की क्षति होती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राजमहल फेरी घाट की बंदोबस्ती साहेबगंज झारखण्ड से करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*243. श्री उदय शंकर सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत करमाटांड प्रखण्ड के डाला झरिया मेन रोड से भाया सलिया होते हुए बगदाहा तक 6 किलोमीटर सड़क का निर्माण 20 वर्षों से नहीं किए जाने के कारण, उक्त सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि करमाटांड प्रखण्ड के बाबूपुर से भाया पिंडारी कब्रिस्तान होते हुए घोषवाद मुख्य सड़क तक 3 किलोमीटर ग्रामीण सड़क 15 वर्षों से नही बनाए जाने के कारण अत्यंत जर्जर स्थिति में है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 एवं 2 में वर्णित सड़क का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

अवैध खटाल को हटाना ।

*244. श्री आलोक कुमार सोरेन--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हरमू हॉउसिंग कॉलोनी नियर आशा अपार्टमेंट, राँची के पास अवैध रूप से संचालित खटाल को हटाने हेतु अनुमण्डल कार्यालय, राँची के पत्रांक-1840, दिनांक 5 सितम्बर, 2020 तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक संख्या-8508848, दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 द्वारा उक्त जगह से खटाल हटाने हेतु आदेश दिया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि हर बार राँची नगर निगम के पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के मिलीभगत से खटाल अभी तक नहीं हटाया गया है जिसके कारण प्लॉट संख्या-LIG L40 में मवेशियों के मल-मूत्र को जमा किया जाता है, जिससे वहाँ के निवासियों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में अविलम्ब उक्त जगह से अवैध खटाल को हटाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*245. श्री अनन्त प्रताप देव--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के धुरकी प्रखण्ड अन्तर्गत अम्बाखोरेया मोड़ से कनहर नदी बालचौरा नदी तक लगभग 10 किलोमीटर पहुँच पथ के निर्माण नही होने के कारण दो राज्यों, तथा झारखण्ड और छतीसगढ़ के नागरिकों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 मे वर्णित पथ के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

लाईट की व्यवस्था ।

*246. श्री मथुरा प्रसाद महतो--क्या मंत्री, नगर विकास एवं विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-04 सहित अन्य सभी वार्डों के चौक-चौराहा एवं गली-मोहल्ला में लाईट एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा का अधिष्ठापन नही किया गया है, जिसके कारण आम नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से धनबाद नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में पर्याप्त मात्रा में लाईट एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा का अधिष्ठापन कराना अति आवश्यक है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में पर्याप्त मात्रा में लाईट एवं सी०सी०टी०वी० कैमरा लगाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) अस्वीकारात्मक । धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी वार्डों के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों एवं आवासीय गली-मोहल्लों में पथ प्रकाश (स्ट्रीट लाईट) का अधिष्ठापन किया गया है तथा विगत दस वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से कुल लगभग 27,000 स्ट्रीट वाईट स्थापित कर नगर क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है । इसके अतिरिक्त, वार्ड संख्या-04 छोड़कर नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख एवं संवेदनशील मार्गों तथा चौक-चौराहों के कुल 28 चयनित स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरों का अधिष्ठापन किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था, विधि-व्यवस्था एवं नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ।

(2) स्वीकारात्मक । धनबाद नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी 55 वार्डों में आवश्यकता के अनुसार एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आलोक में पथ प्रकाश (स्ट्रीट लाईट) का अधिष्ठापन कराया जाता है । धनबाद नगर निगम क्षेत्र में यातायात निगरानी, अपराध नियंत्रण एवं आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर के प्रमुख संवेदनशील मार्गों तथा चौक चौराहों पर कुल 28 स्थानों पर सी०सी०टी०वी० कैमरे स्थापित किये गये है । उक्त को बेहतर बनाने हेतु आगे भी कार्रवाई की जाएगी ।

(3) उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

सीवरेज बनाना ।

*247. श्रीमती श्वेता सिंह--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चास नगर निगम क्षेत्र में समुचित अंडरग्राउंड सीवरेज प्रणाली के अभाव में घरों, प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्रोतों से निकलने वाला दूषित जल खुले नालों के माध्यम से सीधे गरगा नदी में प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण गरगा नदी का प्रदूषण स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (JUIDCO) द्वारा चास नगर निगम क्षेत्र में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम की स्थापना हेतु एक प्रारंभिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया गया था;

(3) यदि खण्ड-1 एवं खण्ड-2 स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा इस परियोजना को कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है;

(4) उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गरगा नदी के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चास नगर निगम क्षेत्र में अंडरग्राउंड सीवरेज प्रणाली स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पद का हस्तांतरण ।

*248. श्री सुदीप गुड़िया--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत खूटी-कोलेबिरा मुख्य पथ के कतार मोड़ से सोनपुर भाया सुन्दारी, तिरला REO पथ का निर्माण वर्षों पूर्व किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित REO पथ को PWD को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव काफी दिनों से लम्बित पड़ा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तोरपा विधान-सभा क्षेत्र में उपरोक्त विषयों पर सकारात्मक पहल कर प्रखण्ड तोरपा के कतारी मोड़ से सोनपुर भाया सुन्दारी, तिरला REO पथ को PWD को हस्तांतरित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

NHAI (एन०एच०ए०आई) से निर्माण कराना ।

*249. श्री जगत माझी--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोईलकेरा प्रखण्ड अन्तर्गत गोईलकेरा बाजार से गुजरने वाली सड़क जो पूर्व में पथ प्रमंडल, मनोहरपुर के अधीन थी उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अधिग्रहित उक्त सड़क के आंशिक भाग इंदिरा चौक से साप्ताहिक हाट बाजार तक सड़क का निर्माण कार्य एनएचएआई द्वारा किए जाने के बावजूद उक्त हिस्से में दुबारा पथ प्रमंडल, मनोहरपुर द्वारा भूमि अधिग्रहण का नोटिस देने के बाद स्थानीय रैयतों में क्षोभ व्याप्त होने पर विकास कार्यों के प्रगति पर विशेष असर पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क का अग्रिम प्रगति एनएचएआई द्वारा किए जाने का जनहित में विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

कार्रवाई करना ।

*250. श्री रोशनलाल चौधरी--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चुटूपालू से रामगढ़-पतरातू-राँची पथ (मकदम चौक) तक का पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ 7 वर्ष पूर्व हुआ था लेकिन अभी तक संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नही हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण में विलम्ब के कारण आवागमन की समस्या बनी हुई है और सरकार को वित्तीय हानि भी हो रही है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार चुटूपालू से रामगढ़-पतरातू-राँची पथ (मकदम चौक) तक का पथ निर्माण की जाँच कराते हुए दोषी संवेदक और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*251. श्री संजय कुमार सिंह यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के RCD रोड मोहम्मदगंज स्टेशन से भजनिया, कोलुवा, विहरा, पंसा, अधरा होते हुए कबरा तक जाने वाली ग्रामीण पथ अत्यंत ही जर्जर है;

(2) क्या यह बात सही है कि इस पथ पर करीब 20-25 गाँव अवस्थित है तथा इस पथ पर हजारों लोगों का आवागमन प्रतिदिन होता है, पथ जर्जर होने के कारण आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष-2026-2027 में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उक्त पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पथों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

जाँच कराना ।

*252. श्री रामचन्द्र सिंह--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, एन०आर०ई०पी० लातेहार के पत्रांक-1055 दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 एवं दिनांक 8 जनवरी, 2026 द्वारा प्रासंगिक पत्र अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, विशेष अंचल पलामू के पत्रांक-477 दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को दर्शाते हुए मे०साई ट्रेडर्स, जिला लातेहार से दो दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण मांगा गया कि अनके द्वार ई-निविदा संख्या-NREP/Latehar/32/2025 {Second Call} दिनांक 4 दिसम्बर, 2025 में निविदा शर्तों के कंडिका-13 के अनुसार गलत शपथ पत्र जानबुझकर निविदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से डाला गया है जिस कारण इन्हें क्यों नहीं Non Responsive करते हुए संवेदक निबंधन नियमावली 2015 के कंडिका-11 के उप कंडिका-11.1.2 के उल्लंघन के आरोप में निलंबन करने की कार्रवाई की जाय;

(2) क्या यह बात सही है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी न तो निलंबन की कार्रवाई की गई है ना ही खण्ड-1 में वर्णित निविदा का निस्तार किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संवेदक का निबंधन निलंबित करने के साथ-साथ दोनों पदाधिकारियों के कार्यकलापों की समुचित जाँच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पथों की मरम्मति ।

*253. श्री प्रदीप यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि दुमका जिला एवं गोड्डा जिला के निम्नांकित सड़कों का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 5 से 10 वर्ष पूर्व कराया गया था;

जिला-गोड्डा, प्रखण्ड-पोड़ैयाहाट

1-जामबाद से हरलाटीकर 2-चतरा से खोड़सिरिस 3-अड़ानी पावर से जजलपुर 4-घटवारी चौक से तरखुट्टा तक 5-लतझारी से कारी कादर तक 6-खरबन्नी से तरखुट्टा तक 7-RCD डांडे से डांडे हाई स्कूल तक 8-पसई RCD रोड से कजरा तक

जिला-गोड्डा, प्रखण्ड-गोड्डा

1- Numbatta RCD road to Kadwa village 2- NH road to Laxmi 3- Sarkanda chowk to sakaranda village 4-Sundmara to teldiha 5- Godda pakur road to bankaghat via nipaniya 6- Sundmara deodanr road to kundadah 7- Dudhiyapahari to pandaha

जिला-दुमका, प्रखण्ड-सड़ैयाहाट

1-बाबूपुर से वेलूडीह पथ 2-हंसडीहा-चोपा NH से मंडलडीह होते हुए खेजवा तक 3-गादी झोपा से बभनी तक 4-बिहार बोर्डर से लालपुर-फिटकोरिया तक ।

(2) क्या उपर्युक्त सड़कों की हालत एकदम जर्जर है जिससे आवागमन में लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग में चल रही सड़क मरम्मति योजना के अंतर्गत अंकित सड़कों को मरम्मति करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पुलों का निर्माण ।

E*254. श्री विकास कुमार मुण्डा--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधान-सभा क्षेत्र कांची नदी पर वर्ष 2021 में हाराडीह और बामलाडीह पुल टूट कर गिर गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि आज तक उक्त पुलों के निर्माण कार्य नहीं होने के कारण लोगों को कई किलोमीटर अधिक यात्रा करनी पड़ रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या विभाग शीघ्र उक्त पुलों के निर्माण का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक; नहीं तो क्यों ?

पुल का निर्माण ।

*255. श्री जयराम कुमार महतो--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जिला गिरिडीह एवं जिला बोकारो अंतर्गत NH-19 से टी मोड़ भाया गलागी, भेंडरा दहियारी, पोपलो होते हुए तारानारी टी० मोड़ पथ का निर्माण प्रक्रियाधीन है;

(2) क्या यह बात सही है कि डुमरी विधान-सभा अंतर्गत के०बी० रोड़ से नुरंगो (तिरंगा चौक) पथ निर्माण तो किया गया लेकिन उक्त पथ पर पड़ने वाली आज भी छः अद्द पुल संकीर्ण होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है;

(3) जिनके निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता गिरिडीह प्रमंडल द्वारा अभियंता प्रमुख को अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रेषित है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार NH-19 से टी मोड़ पथ तथा छः अद्द उच्चस्तरीय पुल निर्माण करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

जाँच कराना ।

*256. श्रीमती ममता देवी--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोला से मुरी तक के पथ का कार्य क्लासिक इंजीकॉन प्रा०लि० द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 14 करोड़ 88 लाख रु० है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त संवेदक रामगढ़ जिला में बहुत से पथों का निर्माण उक्त संवेदक द्वारा कार्य लिया गया और बहुत से पथों का कार्य अभी तक अपूर्ण है एवं क्लासिक इंजीकॉन प्रा०लि० द्वारा पथों का गुणवत्ता विहिन कार्य किया जाता है;

(3) क्या यह बात सही है कि मेरे द्वारा विभागीय मंत्री एवं मुख्य सचिव, विभागीय सचिव एवं अभियंता प्रमुख के साथ जिला के विभागीय पदाधिकारियों का बार-बार लिखित शिकायत दिया गया, दुर्भाग्यवश क्लासिक इंजीकॉन प्रा०लि० के कार्यों की ना तो जाँच हो पाई और न ही किसी प्रकार का विभागीय कार्रवाई हो पाया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार क्लासिक इंजीकॉन प्रा०लि० के द्वारा किये गये कार्यों का जाँच करते हुए काली सूची में डालने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नोटः-E 254- ग्राम-05- ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-426, दिनांक 16 फरवरी, 2026 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तान्तरित ।

पथ का सुदृढ़ीकरण ।

*257. श्री संजय कुमार सिंह यादव--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के मोहम्मदगंज प्रखण्ड के कासी सौत डैम से बटुवा, बरवाडीह, शबनवां होते हुए डाली स्कूल तक ग्रामीण पथ अत्यंत जर्जर स्थिति मे है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पथ पर हजारों लागों का आवागमन प्रतिदिन होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष-2026-2027 में उक्त पथ का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पथों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

जलमीनारों का निर्माण ।

*258. श्री सुदीप गुड़िया--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान-सभा क्षेत्र के तोरपा प्रखंण्ड मुख्यालय एवं बानों प्रखण्ड मुख्यालय में बने जलमीनार की स्थिति जर्जर हो चुकी है;

(2) क्या यह बात सही है कि इन दोनों जलमीनार का जिर्णोद्धार करना या नया बनाना आवश्यक है;

(3) क्या यह बात सही है कि पंचायत समिति को हेन्डओवर किया गया है जो वहाँ की समितियाँ उसको संचालित करने में असमर्थ है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तोरपा विधान-सभा क्षेत्र के तोरपा प्रखण्ड मुख्यालय एवं बानों प्रखण्ड मुख्यालय में स्थित जलमीनारो का जिर्णोद्धार या नया बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

जलापूर्ति करना ।

*259. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, पेयजल एवं सवच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिल्ली विधान-सभा अंतर्गत सिल्ली प्रखण्ड के बसंतपुर पंचायत स्थित तिलमिसेरंग तथा सोनाहातु के मारांगकिरी में जल नल योजना के तहत् जलापूर्ति की जाती थी जो वर्त्तमान में संवेदक द्वारा बंद कर दी गयी है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त योजना के तहत् संवेदक को अबतक पूर्ण भुगतान नही हो पाया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित स्थलों पर जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पुल का निर्माण ।

*260. श्री अमित कुमार--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि विभाग के ज्ञापांक-844 दिनांक 18 मार्च, 2025 द्वारा संसूचित क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण हेतु डी०पी०आर० बन गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सोनाहातु-तमाड़ को जोड़ने हेतु महत्वपूर्ण पुल है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में पुल निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण करने के साथ कार्य प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

कार्रवाई करना ।

*261. श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि करोड़ो के लागत से कोलेबिरा विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत कोलेबिरा खास, कोलेबिरा प्रखण्ड के ही अघरमा पंचायत बोलबा प्रखण्ड के बोलबा खास एवं पालेमुण्डा और समसेरा, ठेठाईटांगर प्रखण्ड खास में वृहद् जल नल योजना बन कर पूर्ण तैयार है;

(2) क्या यह बात सही है कि कई वर्षों से उक्त वृहद् जल नल योजना से स्वच्छ पेयजल बन्द है और नवनिर्मित ठेठाईटांगर प्रखण्ड खास वृहद् जल नल योजना में कई गड़बड़ियों के कारण आच्छादित ऐरिया के कई घरों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बन्द पड़े वृहद् जल नल योजनाओं के गड़बडियों या कमियों को ठीक कर उस क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है और लापरवाह पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

बकाया का भुगतान ।

*262. श्री शत्रुघ्न महतो--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (झमाडा) धनबाद से कार्यरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि झमाडा कर्मियों की कमी एवं संसाधनों की कमी के कारण पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नही कर रही है;

(3) क्या यह बात सही है कि झमाडा के कार्यरत लगभग 200 कर्मियों का 32 माह से वेतन बकाया है तथा सेवानिवृत्त लगभग 800 कर्मियों का सेवानिवृत्ति राशि 2010 से बकाया है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झमाडा में कर्मियों की नियुक्ति तथा कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मियों का बकाया भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पुल का निर्माण ।

F*263. श्री जिगा सुसारन होरो--क्या मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत बसिया प्रखण्डाधीन कोयल नदी में बना उच्च स्तरीय पुल (बसिया और कोनबीर को जोड़ने वाली) अति जर्जर, सकरा होने के कारण और दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित पुल पर कई बार दुर्घटना होने से सैकड़ों यात्री अपना जान गवां चुके हैं जिससे ग्रामीणों एवं यात्रियों का पुल पर यात्रा करने में भय महसूस होता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्रामीणों एवं यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा हेतु पुल का नव-निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पथों का निर्माण ।

*264. श्री प्रदीप प्रसाद--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग विधान-सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण विकास (कार्य) विभाग की सड़कों की स्थिति जर्जर हो चुकी है जिसमें प्रमुख रूप से केसूरा मोड़ से सरौनी और पौता की सड़कें प्रमुख हैं, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विद्यार्थियों, बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार लोगों को अत्यधिक दिक्कत हो रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त ग्रामीण सड़कों की स्थिति के सुधार हेतु इसका नए सिरे से पुनः निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(2) वर्त्तमान में हजारीबाग विधान-सभा क्षेत्र अंतर्गत चार पथों का निर्माण कार्य एवं तीन पथों का मरम्मति कार्य प्रगति पर है ।

केसुरा मोड़ से सरौनी और पौता की सड़कों की मरम्मति कार्य विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में कराया जा सकेगा ।

पथ का हस्तांतरण ।

*265. श्रीमती मंजू कुमारी--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत देवरी प्रखण्ड के नेकपुरा से देवरी थाना मोड़ भाया असको का पथ अत्यंत जर्जर एवं बड़े-बड़े गड्ढ़े है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित ग्रामीण पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर सुदृढ़ीकरण एवं सुंदरीकरण करने से स्थानीय लोगों के साथ-साथ बड़े-बड़े वाहनों के आवागमन में भी सुविधा होगी;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित पथ को ग्रामीण पथ से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करते हुए निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

नोटः-F 263- ग्राम-04- ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-426, दिनांक 16 फरवरी, 2026 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तान्तरित ।

राशि की मंजूरी ।

*266. श्रीमती पूर्णिमा साहू--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में स्वच्छ जलापूर्ति के लिए मोहरदा जलापूर्ति में फेज 3 के अंतर्गत डबल्यूटीपी के क्षमता संवर्धन के लिए 40 एमएलडी क्षमता के नये इंटेक वेल का निर्माण समेत अन्य कार्य किये जाने है;

(2) क्या यह बात सही है कि मोहरदा जलापूर्ति योजना को पीपीपी मोड में पुनर्जीविकरण, जीर्णोद्धार, संचालन, रख रखाव हेतु व्यय के 60 प्रतिशत हिस्से की मंजूरी जुस्को लिमिटेड (अब टीएसयूआइएसएल, टाटा स्टील लि०) द्वारा दे दी गयी है;

(3) क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जा चुका है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपने हिस्से की 40 प्रतिशत राशि (सरकार के संकल्प सं-4189 दिनांक 1 अगस्त, 2016 के अनुसार 60 प्रतिशत जुस्को लि० तथा 40 प्रतिशत जमशेदपुर अ०क्षे०स०) की मंजूरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

शवदाह गृह का निर्माण ।

*267. श्री राज सिंहा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि धनबाद विधान-सभा अंतर्गत वर्ष 2022 में 1 करोड़ 56 लाख की लागत से बने मोहलबनी मुक्तिधाम स्थित विद्युत शवदाह गृह विगत तीन वर्षों से 65 हजार के क्वॉयल के जल जाने के कारण बंद अवस्था में पड़ा हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि धनबाद में मटकुरिया में भी विद्युत शवदाह गृह दो वर्ष पूर्व संवेदक द्वारा अधूरा निर्माण कर छोड़ देने के कारण स्थानीय आमजन को कठिनाईयाँ हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड-1 एवं खंड-2 में वर्णित विद्युत शवदाह गृह का अविलम्ब निर्माण कराकर चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

सूची में सुधार ।

*268. श्री सरयू राय--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पत्रांक-3154 (एस) डब्ल्यूई, दिनांक 2 अगस्त, 2024 द्वारा रिक्ति को आधार तिथि मानते हुए पथ निर्माण विभाग ने अपने नियंत्रणाधीन राज्य अभियंत्रण सेवा में सहायक अभियंता की औपबंधिक वरीयता प्रकाशित किया है, जो बिहार सरकार के पत्रांक-15784, दिनांक 26 अगस्त, 1972 के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परामर्श के अनुसार है;

(2) क्या यह बात सही है कि औपबंधिक वरीयता सूची में प्रोन्नत सहायक अभियंताओं को सीधी भर्ती से नियुक्त अभियंताओं से वरीय बना दिया गया है, जबकि सीधी भर्ती वाले सहायक अभियंताओं की रिक्ति की आधार तिथि 1 जनवरी, 2019 है और प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त सहायक अभियंताओं के रिक्ति की तिथि 31 दिसम्बर, 2022 है;

(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वरीयता सूची त्रुटिपूर्ण है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार औपबंधिक वरीयता सूची की त्रुटियों को दूर कर सीधी भर्ती वाले सहायक अभियंताओं को प्रोन्नत सहायक अभियंताओं से वरीय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पथ की मरम्मति ।

*269. श्री प्रकाश राम--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार विधान-सभा अन्तर्गत ब्रहमणी बाजार टांड़ से सोंस भाया किता केड़िया महुआ तक सड़क को 2017 में बनाया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि इस सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है;

(3) क्या यह बात सही है कि सड़क के जर्जर होने के कारण आवागमन में असुविधा तथा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मति कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) स्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पथों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना ।

*270. श्री कुमार उज्जवल--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा अंतर्गत सिमरिया विधान-सभा क्षेत्र के टंडवा प्रखण्ड में यहाँ के उद्योगों द्वारा जल अत्यंत प्रदूषित हो गया है, जिससे स्थानीय जनता को स्वच्छ पेयजल के अभाव में स्वच्छ व शुद्ध पानी नही मिल पा रहा है, जिस कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टंडवा प्रखण्ड के आम लोगों को शुद्ध पानी पिलाने के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु आधुनिक वाटर रिफाइनरी (पाटर ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पुल का निर्माण ।

G*271. श्री जगत माझी--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोईलकेरा और आनन्दपुर प्रखण्डों को जोड़ने वाली समीज पुलिया एक तरफ से धंसने के कगार के कारण दोनों प्रखण्डों की कनेक्टिविटी प्रभावित होने जा रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त महत्वपूर्ण पुलिया कमजोर हो जाने के कारण राहगीरों के लिए गंभीर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त महत्वपूर्ण पुल का मजबूतीकरण/सुदृढ़ीकरण करवाकर प्रभावित ग्रामीणों के हालात में सुधार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

योगदान दिलाना ।

*272. श्री जनार्दन पासवान--क्या मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि चतरा जिला में मनरेगा अंतर्गत रोजगार सेवक पद के लिए (कुल-30) विज्ञापन संख्या-01/2023-24 प्रकाशित की गई थी, जिस तहत् पत्रांक 667/जि०ग्रा०वि०शा० दिनांक 8 मई, 2025 द्वारा अंतिम परिणाम प्रकाशित कर चतरा प्रशासन के Website पर अपलोड की गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि चयनित मेधा सूची से मात्र 07 अभ्यर्थी योगदान दिये अथवा कार्यरत हैं, शेष को उचित कारण अंतर्गत हटा दिया गया है तथा अभी रिक्त पद लगभग 23 है, साथ ही प्रकाशित परिणाम तहत् प्रतीक्षा सूची में 30 अभ्यर्थी का पैनल है;

(3) क्या यह बात सही है कि नियुक्ति नियमावली के अनुसार यदि चयनित मेधा सूची से कोई अभ्यर्थी सेवा में योगदान नहीं देते हैं तो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए था जो चतरा जि०ग्रा०वि०अभि० द्वारा 6 माह बीत जाने के बाद भी अब तक नहीं दी गई है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में कोटिवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को योगदान दिलाने हेतु जिला प्रशासन चतरा को निर्देश देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

नोट:-G 271- पथ-41- पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-721, दिनांक 19 फरवरी, 2026 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में हस्तान्तरित ।

बस पड़ाव का निर्माण ।

H*273. श्री नागेन्द्र महतो--क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बगोदर विधान-सभा क्षेत्र अंतर्गत सरिया बाजार एक बड़ा व्यवसायिक मंडी है, जिससे प्रतिदिन हजारों व्यवसायिक वाहनों एवं यात्री गाड़ियों का परिचालन होता है, यहां बस पड़ाव एवं यात्री सुविधा के अभाव में यात्रियों को सरिया झंडा चौक में ही चढ़ना-उतरना पड़ता है, जिससे सरिया बाजार हमेशा जाम बना रहता है, जो व्यवसाय पर प्रतिकूल असर डालता है;

(2) क्या यह बात सही है कि प्याऊ एवं शौचालय के अभाव में महिला यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार थाना रोड सरिया में अवस्थित पथ प्रमण्डल के खाली जमीन को हस्तांतरित कर बस स्टैण्ड एवं अन्य जरूरी यात्री सुविधाओं का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

जमीन खाली कराना ।

*274. श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि केसरे हिंद की जमीन पर कार्यपालक पदाधिकारी गढ़वा द्वारा 84 दुकानें बनाकर नियम/ प्रावधान के विपरीत दुकानदारों को आवंटित कर दिया गया;

(2) क्या यह बात सही है कि नगर विकास विभाग के अवर सचिव ने गढ़वा DC को जांच करने का निर्देश दिया था, जांच रिर्पोट से प्रमाणित हुआ कि भूमि नगर परिषद की नहीं बल्कि केसरे हिंद की है;

(3) क्या यह बात सही है कि दुकान आवंटन के लिए अस्पष्ट और अधूरा विज्ञापन प्रकाशित किया गया तथा दुकानों का आवंटन बड़े व्यवसायी, डॉक्टर और अमीन जैसे पेशेवर लोगों को किया गया;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार केसरे हिंद की जमीन पर निर्मित दुकानों का नियम विरूद्ध आवंटन करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए, उक्त निर्मित दुकानों का आवंटन फुटपाती या छोटे व्यवसायियों को करते हुए या केसरे हिंद की जमीन खाली कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पेयजल की आपूर्ति ।

*275. श्री प्रदीप प्रसाद--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि हजारीबाग शहरवासियों को छड़वा डैम से पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है, लेकिन इसके फिल्टर संयंत्र की नियमित साफ-सफाई नहीं की जा रही है, जिससे शुद्ध और गुणवत्तायुक्त पेयजल शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा है;

नोटः-H 273- परि०-01- परिवहन विभाग के पत्रांक-206, दिनांक 16 फरवरी, 2026 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में हस्तान्तरित ।

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त फिल्टर संयंत्र में उचित एवं पर्याप्त मात्रा में सफाई रसायनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और न ही प्रतिदिन आपूर्ति किए जा रहे पेयजल का TDS और PH की मात्रा मापी जा रही है और न ही इस संदर्भ में प्रतिदिन कोई डाटा रखा जा रहा है और जो एजेंसी उक्त पेयजल की आपूर्ति का कार्य कर रही है उसका भी कार्य काफी असंतोषजनक और जन सामान्य के हित में नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में तत्काल उक्त एजेंसी की जाँच करवाते हुए उसे काली सूची में डालते हुए योग्य, नई एजेंसी का चयन करवाते हुए शुद्ध पेयजल आपूर्ति करवाने का विचार रखती है, ताकि हजारीबाग की जनता को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति हो सके हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

चापाकल की मरम्मति ।

*276. श्री सुरेश पासवान--क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के देवघर विधान-सभा क्षेत्र में कई हजार चापाकल मरम्मति के अभाव में खराब पड़ा है, जिससे पेयजल की घोर समस्या हो गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि चापाकल सरम्मति के लिए विभाग के पास पाईप, हैंड, हेन्डील एवं अन्य मरम्मति का सामान उपलब्ध नहीं है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चापाकल मरम्मति के लिए सामग्रियों उपलब्ध करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

जनहित का कार्य ।

*277. श्री भूषण बड़ा--क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला शहरी क्षेत्रों में Drainage Serverage System चरमरा गई है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित क्षेत्रों मे सफाई व्यवस्था नदारद है, कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है साथ ही स्ट्रीट लाइट अकसर रोशन विहीन रहती है जिसके कारण जनता को कई तरह की गंभीर समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में सकारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

वॉल बैरियर हटाना ।

*278. श्री मनोज कुमार यादव--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अंतर्गत चंदवारा प्रखण्ड के एन०एच०-20 चंदवारा बाया पुरना थाम से वृंदा RCD पथ तक में कई ग्रामों के ग्रामीण का आवागमन का मुख्य मार्ग है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित पथ के प्रवेश स्थल चंदवारा में NHAI द्वारा वॉल बैरियर लगा दिया गया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित पथ पर NHAI द्वारा लगाए गये वॉल बैरियर को हटाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

योजनाओं को लागू करना ।

*279. श्री हेमलाल मुर्मू--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2026 में राज्य के विभिन्न जिलों में बेहतर सड़क सम्पर्क और कम समय में जाममुक्त सफर मुहैया कराना है, जिसमें पथ निर्माण विभाग ने कई महत्वपूर्ण सड़कों को चिन्हित किया है, जिसका पूर्ण निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य किया जाएगा;

(2) क्या यह बात सही है कि इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है जिसमें 70 परियोजनाओं पर 2000 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा, परन्तु पाकुड़ जिला के पिछड़े क्षेत्र में ऐसी कम योजनाएँ शामिल है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसी योजनाओं का शतप्रतिशत काम पूरा कराने एवं पाकुड़ जिला के पिछड़े प्रखंडों में ऐसी योजनाओं को लागू करने और ऐसी योजनाओं का ब्योरा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

पथ का निर्माण ।

*280. श्री शत्रुघ्न महतो--क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बाघमारा विधान-सभा क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा चौक बाघमारा से बंसती चौक खानुडीह होते हुए जमुनिया पुल तक पथ की स्थिति काफी जर्जर है;

(2) क्या यह बात सही है कि खंड-1 में वर्णित सड़क अत्यंत व्यस्त सड़कों में से एक है जहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन आवागमन करते है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमारा इंदिरा चौक से बसंती चौक होते हुए जमुनिया पुल तक सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

षष्ठम् झारखण्ड विधान-सभा

[पंचम(बजट)सत्र]

बुधवार, तिथि 25 फरवरी, 2026 (ई०)

06 फाल्गुन,1947 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

-: प्रश्नोत्तर :-

(01) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03) शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

(04) श्रीमती पूर्णिमा साहू, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-20-02-2026 ,21-02-2026 एवं 24-02-2026 से स्थगित)

(05) श्री विकास कुमार मुण्डा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-20-02-2026 ,21-02-2026 एवं 24-02-2026 से स्थगित)

(06) श्री अमित कुमार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026 एवं 24-02-2026 से स्थगित)

(07) श्री राजेश कच्छप, स०वि०स०,श्री समीर कुमार मोहन्ती, स०वि०स० एवं श्रीमती ममता देवी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026 एवं 24-02-2026 से स्थगित)

(08) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026 एवं 24-02-2026 से स्थगित)

(09) श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० एवं श्री मथुरा प्रसाद महतो,स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग(नागर विमानन प्रभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026 एवं 24-02-2026 से स्थगित)

कृ०पृ०उ०.....02

(10) सर्वश्री संजय कुमार सिंह यादव, सुरेश पासवान एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026 एवं 24-02-2026 से स्थगित)

(11) श्री उदय शंकर सिंह, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 से स्थगित)

(12) श्री रामचन्द्र सिंह, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 से स्थगित)

(13) डॉ नीरा यादव, स0वि0स0 एवं श्री देवेन्द्र कुँवर, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 से स्थगित)

(14) सर्वश्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप एवं श्री सोनाराम सिंकू,स0वि0 स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 से स्थगित)

(15) श्री चन्द्रदेव महतो, स0वि0स0 एवं श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 से स्थगित)

(16) श्री प्रकाश राम, स0वि0स0 एवं नागेन्द्र महतो, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(17) श्री देवेन्द्र कुँवर, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(18) श्री उमाकान्त रजक, स0वि0स0 एवं श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(19) श्री राम सूर्या मुण्डा, स0वि0स0 एवं श्री अमित कुमार, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(20) श्री जयराम कुमार महतो, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(21) झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

कृ0पृ0उ0.....03

-: सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

(22) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(23) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

(24) वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर।

(25) अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-01/2026-.444.06./वि0स0,राँची,दिनांक-.24.02.26

प्रतिलिपिः- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-01/2026-.444.06./वि0स0,राँची,दिनांक-..24.02.26

प्रतिलिपिः-अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/02/2026

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-01/2026-.444.06./वि0स0,राँची,दिनांक-..24.02.26

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी0वी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

24/02/26

झारखण्ड विधान-सभा
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی

فہرست امور

ششم جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی
{پانچواں (بجٹ) اجلاس}

بدھ، مورخہ: 25/فروری، 2026 (عیسوی)
06/پھاگن، 1947 (شک)

[کاروائی شروع ہونے کا وقت 11:00/بجے دن]

ابتدائی امور

سوال و جواب

01۔ ایوان کے گذشتہ اجلاس کے غیر علامتی اور غیر موجود سوالوں کے جواب کا اسمبلی سکریٹری کے ذریعہ ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)۔

02۔ مختصر میعادی و علامتی سوال اور ان کے جواب۔

03۔ وقفہ صفر کے اطلاعات۔

توجہ طلب اطلاع اور ان پر سرکاری بیان

04۔ محترمہ پرنیا ساہو، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔20/فروری، 2026، 21/فروری، 2026 اور 21/فروری، 2026 سے ملتوی]

05۔ جناب وکاس کمار منڈا، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔20/فروری، 2026، 21/فروری، 2026 اور 21/فروری، 2026 سے ملتوی]

06۔ جناب امیت کمار، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔20/فروری، 2026، 21/فروری، 2026 اور 21/فروری، 2026 سے ملتوی]

07۔ جناب راجیش کچھپ، جناب سمیر کمار مہنتی اور محترمہ ممتا دیوی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

[مورخہ۔20/فروری،2026اور 21/فروری،2026 سے ملتوی]

08۔ جناب چندریشور پرساد سنگھ، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔20/فروری،2026اور 21/فروری،2026 سے ملتوی]

09۔ جناب اروپ چٹرجی اور جناب متھورا پرساد مہتو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ کابینہ سکریٹریٹ اور نگرانی (محکمہ شہری ہوابازی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔20/فروری،2026اور 21/فروری،2026 سے ملتوی]

10۔ جناب سنجے کمار سنگھ یادو، جناب سوریش پاسوان اور جناب نمن وکسل کونگاڑی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔20/فروری،2026اور 21/فروری،2026 سے ملتوی]

11۔ جناب اودے شنکر سنگھ، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ زراعت، مویشی اور کوآپریٹیو) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔20/فروری،2026اور 21/فروری،2026 سے ملتوی]

12۔ جناب رام چندر سنگھ، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ سیاحت، فن وثقافت، کھیل کود اور نوجوان امور) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔21/فروری،2026 سے ملتوی]

13۔ محترمہ ڈاکٹر نیریا یادو اور جناب دیونیدر کنور، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ صنعت) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔21/فروری،2026 سے ملتوی]

14۔ جناب نمن وکسل کونگاڑی، جناب راجیش کچھپ اور جناب سونا رام سنکو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات، رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔21/فروری،2026 سے ملتوی]

15۔ جناب چندر دیو مہتو اور جناب اروپ چٹرجی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

[مورخہ۔21/فروری،2026 سے ملتوی]

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

15۔ جناب چندردیو مہتو اور جناب اروپ چٹرجی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

16۔ جناب پرکاش رام اور جناب ناگیندر مہتو، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

17۔ جناب دیویندر کنور، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ تعمیرات شاہراہ) کی جانب سے بیان۔

18۔ جناب اوما کانت رجک اور جناب اروپ چٹرجی، اراکین قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

19۔ جناب رام سرجو منڈا اور جناب امیت کمار، رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ جنگلات ماحولیات اور تبدیلی آب وہوا) کی جانب سے بیان۔

20۔ جناب جے رام کمار مہتو۔ رکن قانون ساز اسمبلی کی توجہ طلب اطلاع اور اس پر سرکار (محکمہ محصولات رجسٹریشن اور اصلاح اراضی) کی جانب سے بیان۔

کمیٹیوں کی تشکیل

21۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ضابطہ نامہ، طریقہ کار اور دستور العمل کے تناظر میں کمیٹیوں کی تشکیل (اگر ہو)۔

ایوان کے میز پر رپورٹوں کا رکھا جانا

22۔ جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کی کمیٹیوں کی رپورٹوں کو ایوان کے میز پر رکھا جانا (اگر ہو)

23۔ عرضیوں کی پیشی (اگر ہو)۔

مالیاتی امور

24۔ مالی سال 27-2026 کے لیے آمد وخرچ پر معمولی بحث ومباحثہ اور سرکار کا جواب۔

25۔ دیگر نہایت ضروری امور (اگر ہو)۔

(رنجیت کمار)
کارگزار سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

یادداشت نمبر: فہرست امور۔ 01/ 2026 / ....941.... ق۔س۔ا، رانچی مورخہ: ...24... فروری، 2026 (عیسوی)

نقل تحریر: معزز اراکین حضرات، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی/ معزز وزیر اعلیٰ/ معزز وزراء حضرات/ معزز اپوزیشن لیڈر، جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی/ چیف سکریٹری، جھارکھنڈ/ عزت مآب گورنر کے پرنسپل سکریٹری/ ایڈوکیٹ جنرل، جھارکھنڈ، رانچی/ لوک سبھا، نئی دہلی/ راجیہ سبھا نئی دہلی/ جھارکھنڈ سرکار کے تمام محکموں کے پرنسپل سکریٹری/ سکریٹری کو اطلاعات اور ضروری کاروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

برائے مہربانی صفحہ الٹیں

شیراز وجیہ
(سید شیراز وجیہ بختی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

یادداشت نمبر: فہرست امور-2026/01/ 446 ...... ق-س-ا، رانچی مورخہ: 24 رفروری، 2026 (عیسوی)

نقل تحریر: انڈر سکریٹری، اسپیکر دفتر اور ماہر معتمد، سکریٹری دفتر کو بالترتیب عزت مآب اسپیکر صاحب اور کارگزار سکریٹری کو اطلاعات مرسلہ۔

شیراز وجیہ
(سید شیراز وجیہ بختی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

دداشت نمبر: فہرست امور-2026/01/ 446 ...... ق-س-ا، رانچی مورخہ: 24 رفروری، 2026 (عیسوی)

اردو ترجمہ: جاری کردہ "شعبہ اردو" جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی۔

نقل تحریر: جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے تمام افسران/شعبہ ویب سائٹ/شعبہ لائبریری، شعبہ تعلقات عامہ اور جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی کے ٹی وی کو اطلاعات اور ضروری کاروائی کرنے کے لئے مرسلہ۔

شیراز وجیہ
(سید شیراز وجیہ بختی)
ڈپٹی سکریٹری،
جھارکھنڈ قانون ساز اسمبلی، رانچی

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

षष्टम् झारखण्ड विधान सभा
पंचम(बजट) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न– बुधवार,दिनांक– 06फागुन,1947 (श0) ..... को 25 फरवरी,2026 (ई0) झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेगें :–

क्र0स0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
74.	अ.सू–01	श्री अरूप चटर्जी	सेवा संपुष्टि करना।	नगर विकास एवं आवास	09.02.26
75.	अ.सू–09	श्री प्रदीप यादव	प्रशासनिक स्वीकृति।	पथ निर्माण	12.02.26
76.	अ.सू–03	श्री चन्द्रदेव महतो	नियुक्ति करना।	परिवहन	09.02.26
77.	अ.सू–02	श्री हेमलाल मुर्मू	कार्रवाई करना।	ग्रामीण कार्य	09.02.26
क.78.	अ.सू–14	श्री अमित कुमार यादव	राशि की सीमा बढ़ाना।	ग्रामीण विकास	16.02.26
79.	अ.सू–13	श्री उदय शंकर सिंह	चपकालों की मरम्मती।	पेयजल एवं स्वच्छता	16.02.26
ख.80.	अ.सू–04	श्री चन्द्रदेव महतो	रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना।	नगर विकास एवं आवास	09.02.26

नोट–क–78–अ0सू0–14–ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–482,दिनांक–19.02.26 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।

ख–80–अ0सू0–04–नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–530,दिनांक–17.02.26 के द्वारा भवन निर्माण विभाग में हस्तांतरित।

.....

राँची,
दिनांक–25.फरवरी.2026 ई0।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-09/2025-....4374........./वि0स0,राँची,दिनांक-....25.02.26.........

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/माननीय मंत्रिगण// माननीय नेता प्रतिपक्ष /मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/02/2026

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-09/2025-....4374........./वि0स0,राँची,दिनांक-....25.02.26.........

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

25/02/2026

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-झा0वि0स0(प्रश्न)-09/2025-....4374........./वि0स0,राँची,दिनांक-....25.02.26.........

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा/ऑनलाइन शाखा एवं आश्वासन समिति/ J.V.S.TV शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा,झारखण्ड विधान सभा,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

25/02/2026

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

/02

आकाश/-

माननीय श्री प्रदीप यादव, मा0 स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न –09 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जानेवाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि, मेरे द्वारा अनुशंसित योजनाएँ (1) डांड़े मोड़–सिजुआ से घटवारी चौक होते हुए कुसमाहा तक पथ निर्माण। (2) परसोती स्टेडियम से बरमसिया– नुनबट्टा –बेलबथान होते हुए दामा तक पथ निर्माण। (3) पोड़ैयाहाट–अमुवार RCD पथ से लता होते हुए सिकटिया– मोहानी– लीलादह– प्रतापपुर– अमलो– खटनई पथ निर्माण का DPR का T.S होकर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु एक वर्ष से लंबित है ; 2. यदि उपर्युक्त खंड को उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष अथवा अगले वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रथम तिमाही में उक्त सभी अनुशंसित पथों का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत तीनों पथ (यथा (i) डांड़े मोड़–सिजुआ से घटवारी चौक होते हुए कुसमाहा तक (ii) परसोती स्टेडियम से बरमसिया– नुनबट्टा –बेलबथान होते हुए दामा तक एवं (iii) पोड़ैयाहाट–अमुवार RCD पथ से लता होते हुए सिकटिया–मोहानी– लीलादह– प्रतापपुर– अमलो– खटनई), **ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व अधीनस्थ है।** ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रश्नगत तीनों पथों के कुछेक पथांशों में निर्माण/संधारण की कार्रवाई की गई है/प्रगतिशील है। साथ हीं कुछेक पथांश Defect Liability अवधि में है। वर्तमान में अग्रिम योजना के तहत् रोड कनेक्टीविटी के मद्देनजर तीनों पथों का DPR तैयार कर विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। भविष्य में संबंधित प्राधिकार द्वारा कराये गये कार्यों की Defect liability अवधि समाप्त होने के पश्चात पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरांत निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प0नि0वि0–11–अ0सू0–01/2026 (बजट सत्र) 797(S) राँची/दिनांक :– 24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3757, दिनांक–12.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.2026

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–25.02.2026 को श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–02 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री हेमलाल मुर्मू, माननीय स०वि०स०	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार के आदेश के बाद ग्रामीण सड़कों और पुलों का वर्ष 2024–25 का निविदा रद्द नहीं हुआ क्योंकि विभाग में ग्रामीण कार्य विभाग के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में निविदा प्रकाशित हुए थे, लेकिन लम्बे समय के बाद भी उसका निष्पादन नहीं हुआ था;	आंशिक स्वीकारात्मक। PWD Code के नियमों एवं प्रावधानों के आलोक में निविदाओं का निष्पादन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि बीड की वैधता 180 दिन समाप्त होने के बाद इसे रद्द करने का प्रावधान है;	बीड की वैधता के संबंध में निविदा समिति द्वारा Bid Document में निहित प्रावधानों के आलोक में Bid की वैधता बढ़ाने या रदद् करने की कार्रवाई की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे कार्यों में शिथिलता और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित करने का व्यौरा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–133/2026 ग्रा0का0वि0......614......रॉंची/दिनांक–21/02/2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3538, दिनांक–09.02.2026 के क्रम में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–133/2026 ग्रा0का0वि0......614......रॉंची/दिनांक–21/02/2026

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–133/2026 ग्रा0का0वि0......614......रॉंची/दिनांक–21/02/2026

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026.
सरकार के उप सचिव।

माननीय स0वि0स0, श्री अमित कुमार यादव द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–14 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
माननीय स0वि0स0, श्री अमित कुमार यादव	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
01– क्या यह बात सही है कि प्रत्येक, वितीय वर्ष में माननीय विद्यायकगण के अनुशंसा के आलोक में ग्राम सेजु योजना के तहत पुल निर्माण कराने हेतु अधिकतम 10 करोड़ रूप्ये की स्वीकृति प्रदान की जाती है;	स्वीकारात्मक।
02– क्या यह बात सही है कि कभी–कभी पुल की लंबाई ज्यादा होने के कारण 10 करोड़ रूपये की राशि कम पड़ जाती है और योजना की स्वीकृति में कठिनाई होती है;	माननीय स0वि0स0 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में कार्रवाई की जाती है।
03– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में खंड–1 में वर्णित राशि की अधिकतम सीमा को संशोधित करते हुए पुल की संख्या निर्धारित कर कार्य कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यूँ?	ऐसा कोई प्रस्ताव संप्रति विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांकः– 07 (वि0स0)–56/2026/ग्रा0का0वि0 619 राँची, दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 ग्र0–4088 वि0स0 दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन कुल 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 07 (वि0स0)–56/2026/ग्रा0का0वि0 619 राँची, दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 07 (वि0स0)–56/2026/ग्रा0का0वि0 619 राँची, दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपिः– विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026

सरकार के उप सचिव

श्री उदय शंकर सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.02.2026 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू०– 13 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री योगेन्द्र प्रसाद, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में चापाकलों की मरम्मति कराये जाने के निमित द्वारा विभिन्न मदों में राशि का आवंटन कर दिया गया है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है चापाकलों की मरम्मति के लिए आवंटित की गई राशि में पाईप का प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे पाईप के कारण खराब पड़े चापकलों की मरम्मति में कठिनाई होती है तथा ससमय कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रत्येक वर्ष ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व चापाकल की मरम्मति हेतु विभिन्न मदों (SR/RRP आदि) में योजना की स्वीकृति एवं आवंटन की कार्रवाई की जाती है, जो वर्त्तमान में प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य में चापाकलों की मरम्मति के निमित आवंटित की जाने वाली राशि में पाईप का भी प्रावधान करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–02/2025– 465 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 4087, दिनांक– 16.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/अ०सू०– 01–02/2025– 465 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

षष्टम् झारखण्ड विधान सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न बुधवार, दिनांक– 06 फाल्गुन,1947 (श0) ..... को झारखण्ड विधान सभा के आदेश पत्र पर अंकित रहेंगे :– 25 फरवरी,2026 (ई0)

क्र0सं0	विभागों को भेजी गई सां0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01-	02-	03-	04-	05-	06-
207.	न–18	श्री सरयू राय	प्रशासनिक स्वीकृति देना।	नगर विकास एवं आवास	14-02-26
208.	न–13	श्री सुरेश पासवान	जलापूर्ति कराना।	नगर विकास एवं आवास	12-02-26
209.	न–12	श्रीमती ममता देवी	पथ की मरम्मति।	नगर विकास एवं आवास	12-02-26
210.	न–10	श्री अनन्त प्रताप देव	प्रशासनिक स्वीकृति देना।	नगर विकास एवं आवास	12-02-26
A.211.	ग्राम–06	श्री जिगा सुसारन होरो	गुणवत्ता की जाँच कराना।	ग्रामीण विकास	10-02-26
212.	पथ–13	श्री मनोज कुमार यादव	पथ का सुदृढ़ीकरण।	पथ निर्माण	12-02-26
213.	पेय–18	श्री सोमेश चन्द्र सोरेन	कार्य पूर्ण कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	16-02-26
214.	पथ–25	श्री राजेश कच्छप	सीमा निर्धारित कराना।	पथ निर्माण	14-02-26
215.	पथ–19	श्री कुमार उज्जवल	पथ का स्थानांतरण।	पथ निर्माण	12-02-26
216.	ग्राम्य–07	श्री अरूप चटर्जी	प्रशासनिक स्वीकृति।	ग्रामीण कार्य	12-02-26
217.	पेय–16	श्री सोनाराम सिंकु	योजना चालू कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	14-02-26
218.	पथ–26	श्री दशरथ गागराई	पथ की मरम्मति।	पथ निर्माण	14-02-26
J.219	ग्राम–12	श्री मंगल कालिन्दी	पथ का निर्माण।	ग्रामीण विकास	12-02-26

क्र0पृ0उ0

B.220	पथ-30	श्री सुखराम उराँव	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	14-02-26
221.	ग्राम-09	श्री रामचन्द्र सिंह	प्रखण्ड का सृजन।	ग्रामीण विकास	12-02-26
222.	पेय-15	मो0ताजुद्दीन	पेयजल की आपूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	14-02-26
223.	ग्राम्य-24	श्री धन्नजय सोरेन	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	14-02-26
224.	पेय-06	श्री नागेन्द्र महतो	चेकडैम का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	12-02-26
225.	न-15	श्री जनार्दन पासवान	बस पड़ाव का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	14-02-26
C.226	पेय-13	श्रीमती श्वेता सिंह	कार्य पूर्ण कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	12-02-26
227.	ग्राम्य-23	श्री धन्नजय सोरेन	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	14-02-26
228.	पेय-14	श्री रोशन लाल चौधरी	पेयजल उपलब्ध कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	14-02-26
229.	पथ-01	डॉ0 नीरा यादव	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	09-02-26
230.	ग्राम्य-29	श्री प्रकाश राम	पथ की मरम्मति।	ग्रामीण कार्य	14-02-26
231.	ग्राम्य-01	डॉ कुशवाहा शशीभूषण मेहता	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	10-02-26
232.	पथ-27	श्री सोनाराम सिंकु	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	14-02-26
233	पेय-25	डॉ0 लुईस मरांडी	मिनारों एवं चापानलों की मरम्मति।	पेयजल एवं स्वच्छता	17-02-26
234.	पथ-08	श्री निर्मल महतो	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	12-02-26
235.	पथ-35	श्री उमाकांत रजक	पथ का निर्माण	पथ निर्माण	16-02-26
236.	न-01	डॉ नीरा यादव	तलाब का सौदर्यीकरण।	नगर विकास एवं आवास	09-02-26
D.237	भ-06	श्री सोमेश चन्द्र सोरेन	भवन को पूर्ण कराना।	भवन निर्माण	16-02-26
238	न-25	श्री अमित कुमार यादव	फ्लैटों की कीमत कम कराना।	नगर विकास एवं आवास	16-02-26
239.	पथ-04	श्री आलोक कुमार चौरसिया	पलाई ओवर बनाना।	पथ निर्माण	10-02-26
240.	न-04	श्री आलोक कुमार चौरसिया	कचड़ा डम्प कराना।	नगर विकास एवं आवास	10-02-26
241.	पंचा-03	श्री भूषण बड़ा	अधिकार देना।	पंचायती राज	16-02-26
242.	परि-02	मो0 ताजुद्दीन	बंदोबस्ती करना।	परिवहन	14-02-26
243.	ग्राम्य-34	श्री उदय शंकर सिंह	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	16-02-26
244.	न-28	श्री आलोक कुमार सोरेन	अवैध खटाल को हटाना।	नगर विकास एवं आवास	17-02-26
245.	पथ-16	श्री अनन्त प्रताप देव	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	12-02-26
246.	न-03	श्री मथुरा प्रसाद महतो	लाईट की व्यवस्था।	नगर विकास एवं आवास	09-02-26

कृ0पृ030

247.	न-14	श्री श्वेता सिंह	सीवरेज बनाना।	नगर विकास एवं आवास	12-02-26
248.	पथ-39	श्री सुदीप गुड़िया	पथ का हस्तांतरण।	पथ निर्माण	17-02-26
249.	पथ-24	श्री जगत माझी	NHAI से निर्माण कराना।	पथ निर्माण	14-02-26
250.	पथ-31	श्री रोशन लाल चौधरी	कार्रवाई करना।	पथ निर्माण	14-02-26
251.	ग्राम्य-06	श्री संजय कुमार सिंह यादव	पथ का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	12-02-26
252.	ग्राम्य-17	श्री रामचन्द्र सिंह	जाँच कराना।	ग्रामीण कार्य	12-02-26
253.	ग्राम्य-40	श्री प्रदीप यादव	पथों की मरम्मति।	ग्रामीण कार्य	17-02-26
E.254.	ग्राम-05	श्री विकास कुमार मुंडा	पुलों का निर्माण।	ग्रामीण विकास	10-02-26
255.	पथ-36	श्री जयराम कुमार महतो	पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	17-02-26
256.	पथ-05	श्रीमती ममता देवी	जाँच कराना।	पथ निर्माण	10-02-26
257.	ग्राम्य-04	श्री संजय कुमार सिंह यादव	पथ का सुदृढ़ीकरण।	ग्रामीण कार्य	12-02-26
258.	पेय-22	श्री सुदीप गुड़िया	जल मिनारों का निर्माण।	पेयजल एवं स्वच्छता	17-02-26
259.	पेय-04	श्री अमित कुमार	जलापूर्ति कराना।	पेयजल एवं स्वच्छता	12-02-26
260.	ग्राम्य-05	श्री अमित कुमार	पुल का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	12-02-26
261.	पेय-23	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	कार्रवाई करना।	पेयजल एवं स्वच्छता	17-02-26
262.	न-26	श्री शत्रुघ्न महतो	बकाया का भुगतान।	नगर विकास एवं आवास	17-02-26
F.263.	ग्राम-04	श्री जिगा सुसारन होरो	पुल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	10-02-26
264.	ग्राम्य-03	श्री प्रदीप प्रसाद	पथों का निर्माण।	ग्रामीण कार्य	12-02-26
265.	पथ-37	श्रीमती मंजू कुमारी	पथ का हस्तांतरण।	पथ निर्माण	17-02-26
266.	न-16	श्रीमती पूर्णिमा साहू	राशि की मंजूरी।	नगर विकास एवं आवास	14-02-26
267	न-27	श्री राज सिन्हा	शवदाह गृह का निर्माण।	नगर विकास एवं आवास	17-02-26
268.	पथ-32	श्री सरयू राय	सूची में सुधार	पथ निर्माण	14-02-26
269	ग्राम्य-28	श्री प्रकाश राम	पथ की मरम्मति।	ग्रामीण कार्य	14-02-26
270.	पेय-12	श्री कुमार उज्जवल	वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना।	पेयजल एवं स्वच्छता	12-02-26
G.271.	पथ-41	श्री जगत माझी	पुल का निर्माण।	पथ निर्माण	17-02-26
272.	ग्राम-13	श्री जनार्दन पासवान	योगदान दिलाना।	ग्रामीण विकास	14-02-26
H.273	परि-01	श्री नागेन्द्र महतो	बस पड़ाव का निर्माण।	परिवहन	12-02-26
274.	न-24	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	जमीन खाली कराना।	नगर विकास एवं आवास	16-02-26
275.	न-06	श्री प्रदीप प्रसाद	पेयजल की आपूर्ति।	नगर विकास एवं आवास	12-02-26

कृ०पृ०उ०

276.	पेय-09	श्री सुरेश पासवान	चपाकल की मरम्मति।	पेयजल एवं स्वच्छता	12-02-26
277.	न-21	श्री भूषण बड़ा	जनहित का कार्य।	नगर विकास एवं आवास	16-02-26
278.	पथ-14	श्री मनोज कुमार यादव	वॉल बैरियर हटाना।	पथ निर्माण	12-02-26
279.	पथ-02	श्री हेमलाल मुर्मू	योजनाओं को लागू कराना।	पथ निर्माण	09-02-26
280.	पथ-40	श्री शत्रुघ्न महतो	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	17-02-26
281.	पथ-23	श्री राजेश कच्छप	लाईट एवं CCTV की व्यवस्था।	पथ निर्माण	14-02-26
282.	ग्राम-01	श्री मथुरा प्रसाद महतो	प्रखण्ड का सृजन।	ग्रामीण विकास	09-02-26
283.	पथ-03	डा0 खुशवाहा शशिभूषण मेहता	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	10-02-26
I.284.	ग्राम-03	श्री निर्मल महतो	गार्डवाल का निर्माण।	ग्रामीण विकास	10-02-26

नोट :-

A. 211-ग्राम-06-ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-426,दिनांक-16.02.26 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।

B. 220- पथ-30-पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-722,दिनांक-19.02.26 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।

C. 226-पेय-13-पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक-369,दिनांक-16.02.26 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में हस्तांतरित।

D. 237-भ-06-भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-293,दिनांक-19.02.26 के द्वारा अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में हस्तांतरित।

E. 254-ग्राम-05-ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-426,दिनांक-16.02.26 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।

F. 263-ग्राम-04-ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-426,दिनांक-16.02.26 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।

G. 271-पथ-{41-पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-721,दिनांक-19.02.26 के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में हस्तांतरित।
ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-500,दिनांक-20.02.26 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।

H. 273-परि-01-परिवहन विभाग के पत्रांक-206,दिनांक-16.02.26 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में हस्तांतरित।

I. 284-ग्राम-03-ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-427,दिनांक-16.02.26 के द्वारा जल संसाधन विभाग में हस्तांतरित।

J. 219-ग्राम-12-ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-442,दिनांक-17.02.26 के द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग में हस्तांतरित।

राँची,
दिनांक-25,फरवरी,2026 (ई0)।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ0पृ030

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–10/2025......4375........./वि0स0,राँची,दिनांक–..25.02.26

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय मंत्रिगण/माननीय नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

(अनुप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–10/2025......4375........./वि0स0,राँची,दिनांक–..25.02.26

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या–झा0वि0स0(प्रश्न)–10/2025......4375........./वि0स0,राँची,दिनांक–..25.02.26

प्रतिलिपिः–कार्यवाही शाखा/वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन समिति/J.V.S.T.V शाखा एवं /प्रश्न ध्यानाकर्षण एवं अनागत प्रश्न समिति शाखा,झारखण्ड विधान सभा,राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

आकांक्षा/–

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० न०–18 का उत्तरः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मानगो नगर निगम के पत्रांक–590, दिनांक–28.04.25 द्वारा रु०–3,62,35,250/– की छः योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए सचिव, नगर विकास विभाग को भेजा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि दिनांक–17.02.2025 को जिला योजना चयन समिति की बैठक में चयनित इन योजनाओं को मुख्य अभियंता तकनीकी कोषांग, नगर विकास विभाग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मानगो नगर निगम के पास नागरिक सुविधा मद में निधि उपलब्ध है और इसकी प्रशासनिक स्वीकृति से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है, फिर भी अबतक इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके कारण इनके क्रियान्वयन में देरी हो रही है;	मानगो नगर निगम के पत्रांक–590, दिनांक–28.04.25 द्वारा प्रेषित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–136, दिनांक–24.02.2026 द्वारा प्रदान की गई है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं तो क्या सरकार बताएगी कि इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति देने में देरी का कारण क्या है और क्या सरकार इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–03 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/वि०स० (ता०)–17/2026/न०वि०आ०–624 रॉंची, दिनांक–24/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञापांक–3950/वि०स०, दिनांक–14.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Avl_D_2026_Vidhan Sabha _10

श्री सुरेश पासवान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला अन्तर्गत देवघर शहर में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु करोड़ों की राशि से पुनासी जलाशय से देवघर शहर तक पाईप बिछाकर जल आपूर्ति करना है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है जल आपूर्ति की समय सीमा लगभग समाप्त हो चूकी है और कार्य अधूरा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। एकरारनामा के अनुसार उक्त परियोजना को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि दिनांक–23.07.2023 थी। उल्लेखनीय है कि चिन्हित वन भूमि पर WTP (Water Treatment Plant), और GLSR (Ground Level Service reservoir), के निर्माण हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र (NOC) प्राप्त न होने के कारण परियोजना के क्रियान्वयन में विलंब हुआ है। उक्त संरचनाओं के निर्माण हेतु वन विभाग से Stage-1 Clearance, एवं कार्य करने की अनुमति दिनांक–24.12.2025 को प्राप्त हो गयी है। विभागीय ज्ञापांक–163 दिनांक–21.01.2026 द्वारा दिनांक–31.03.2026 तक उक्त शहरी जलापूर्ति योजना का औपबंधिक अवधि विस्तार दिया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कार्य करने वाले संवेदक पर कार्रवाही करते हुए देवघर शहर को शीघ्र जल आपूर्ति कराना चाती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5 / वि०स० (ता०)–08 / 2026 / न०वि०आ० 628 राँची, दिनांक– 24/02/26

प्रतिलिपि:–झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप संख्या–3786 / वि०स० दिनांक–12.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / अवर सचिव, प्रभारी विधायी शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

M.K./D/Vidhan Sabha Letter/ 238

श्री अनन्त प्रताप देव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० न०–10 का उत्तरः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर अंतर्गत (1) Urban Health & Wellness Center (2) Riverfront Development, SBNP, Garhwa (3) Vendor Market (4) Narmdeshwar Mandir योजनाओं का डी०पी०आर० परामर्शी द्वारा तैयार कर तकनीकी स्वीकृति उपरान्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रशासक, नगर पंचायत श्री बंशीधर नगर के पत्रांक–438, दिनांक–13.06.2025 द्वारा विभागीय सरकार के प्रधान सचिव को पत्राचार कर रू०–34,30,47,900.00 (चौंतीस करोड़ तीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ रुपये मात्र) का आवंटन उपलब्ध कराने की माँग की गई है;	श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत द्वारा उनके पत्रांक–438, दि०–13.06.2025 द्वारा (1) Urban Health & Wellness Center (2) Riverfront Development, SBNP, Garhwa (3) Vendor Market (4) Narmdeshwar Mandir योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त योजनाओं के आलोक में श्री बंधीधरनगर नगर पंचायत द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है। विभागीय पत्रांक–516 दि०–17.02.2026 द्वारा श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात् निधि की उपलब्धता एवं योजनाओं की उपयोगिता के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति विगत 07 माह से नहीं मिलने के कारण कार्यों का क्रियान्वयन अभी तक लंबित है;	उपर्युक्त कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3	यदि उपर्युक्तखण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर आवंटन उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–01 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/वि०स० (ता०)–09/2026/न०वि०आ०–605 रॉंची, दिनांक 24/02/26

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञापांक–3783/वि०स०, दिनांक–12.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

Ast_E_2026_Vidhan Sabha _A

श्री जिगा सुसारन होरो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जिगा सुसारन होरो, माननीय स0वि0स0	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत कामडारा प्रखण्डाधीन कोटबो RCD पथ से टुकु टोली तक पथ निर्माण हुआ है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है खण्ड–1 में वर्णित पथ की निर्माण में अत्यंत घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जिससे पथ अति जर्जर हो गया है और ग्रामीणों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, गुमला के पत्रांक–155(अनु0) दिनांक–18.02.2026 के माध्यम से प्रतिवेदित है कि प्रश्नाधीन पथ का निर्माण स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार एवं एकरारनामा में निहित शर्तों तथा विशिष्टियों के अनुरूप की गयी है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जाँच कराकर निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में वर्णित तथ्य के आलोक में जाँच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–145 / 2026 ग्रा0का0वि0..605.....राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3573 दिनांक–10.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.2.26

(विजय कुमार भगत)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–145 / 2026 ग्रा0का0वि0.....605.....राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग /झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.2.26

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–145 / 2026 ग्रा0का0वि0.....605.....राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि–अपर सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक–426(अनु0) दिनांक–16.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

21.2.26

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–145 / 2026 ग्रा0का0वि0.....605.....राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.2.26

सरकार के उप सचिव।

माननीय श्री मनोज कुमार यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–पथ–13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही प्रखण्ड के चार माईल एन०एच० 33 से चालो लठिया होते हुए करियातपुर जी०टी० रोड तक 14 कि०मी० आर०ई०ओ० योजना अंतर्गत सड़क बनी हुई है; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित सड़क एन०एच०–33 चार माईल से जी०टी० रोड करियातपुर तक एक महत्त्वपूर्ण बायपास है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित सड़क को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर सुदृढीकरण एवं मजबूतीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रश्नगत चार माईल एन०एच० 33 से चालो लठिया होते हुए करियातपुर जी०टी० रोड तक पथ, ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व अधीनस्थ है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रश्नगत पथ का निर्माण कार्य कराया गया है, जो वर्तमान में Defect Liability अवधि अंतर्गत है। पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत पथ खंड के उन्नयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भविष्य में संबंधित प्राधिकार द्वारा कराये गये कार्य की Defect Liability अवधि समाप्त होने के पश्चात पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरान्त नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प०नि०वि०–11–ता०प्र०–09/2026 (बजट सत्र) 1256 राँची/दिनांक :– 24/02/2

प्रतिलिपि :–श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3795, दिनांक–12.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.2

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री सोगेश चन्द्र सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 18 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री योगेन्द्र प्रसाद, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला, मुसाबनी, धालभूमगढ़ एवं गुड़ाबांदा प्रखण्डों के विभिन्न गांवो बागजाता, भालकी माच्छभंडार आदि में जल जीवन मिशन के तहत् किए गऐ कार्य आज तक अपूर्ण है;	आंशिक स्वीकारात्मक। घाटशिला, मुसाबनी एवं धालभूमगढ में जल जीवन मिशन अंतर्गत ली गई योजनाएँ निर्माणाधीन है, जबकि गुड़ाबांदा बहु ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति चालू है। ग्राम भालकी की कुल जनसंख्या– 3871 है जो कुल 35 अदद् चालू चापाकल एवं 9 अदद् चालू सोलर आधारित लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना से आच्छादित है। ग्राम बागजाता की कुल जनसंख्या– 1632 है जो कुल 12 अदद् चालू चापाकल से आच्छादित है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों के कई गांवो में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्य तो किया गया है, परंतु अब तक घर–घर नल जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है;	स्वीकारात्मक। घरेलु जल संयोजन का कार्य प्रगति पर है।
3.	क्या यह बात सही है कि इन प्रखंडों के गांवों में जल जीवन मिशन तहत किए गए कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है;	अस्वीकारात्मक। योजना निर्माण की गुणवत्ता विभागीय अभियंताओं के अलावे विभाग द्वारा नियुक्त Third Party Inspection Agency (TPIA) द्वारा भी की जाती है। योजना अभी निर्माणाधीन है। अतः ग्रामीणों को वास्तविक लाभ वर्त्तमान में मिलना शुरू नहीं हुआ है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को वर्ष– 2028 तक विस्तारित किया गया है। परंतु भारत सरकार से वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण योजनाओं की प्रगति बाधित हो रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त प्रखंडों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत किए गए कार्यो को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–18/2026– 457 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 4084, दिनांक– 16.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–18/2026– 458 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

माननीय श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–पथ–25 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य PWD कोड में DPR/BOQ बनाते हुए NIT जारी किया जाता है, जिसके लिए Advanced Planning Division का Wing कार्यरत है; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कोड 40 में Rate कोट का सीमा निर्धारित नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप निविदाओं के NIT निस्तारण में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक Below रेट कोट किया जाता है; 3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित Below Rate Quote की असीमित सीमा से कार्य की गुणवत्ता नगण्य हो रही है; 4. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कोड में Schedule Rate से 10 फीसदी Below रेट कोट का प्रावधान होने से कार्य में गुणवत्ता आयेगी तथा विकास कार्य में अधिक पारदर्शिता कायम होगी; 5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार PWD Code में संशोधन कर Below Rate Quote 10 फीसदी तक सीमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य अंतर्गत विभिन्न कार्य विभागों में यथा पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग एवं उर्जा विभाग में झारखण्ड लोक निर्माण विभाग संहिता लागू है। पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या –2146(S) दिनांक 09.09.2020 द्वारा लोक निर्माण संहिता–2012 के नियम–163(a) को delete किया गया है। सम्प्रति 10 प्रतिशत से नीचे के दर की निविदायें अनुमान्य है। उक्त कारण से गुणवत्ता प्रभावित होने की सूचना अबतक नहीं प्राप्त है। 10 प्रतिशत से कम की निविदा के मामले में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से Additional Performance Security का प्रावधान किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–25/2026 (बजट सत्र) 1545(S)....राँची/दिनांक :– 24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3958, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.26

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय श्री कुमार उज्जवल, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–19 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला के सिमरिया विधान सभ क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड मयूरहंड के पचमो चौपारण भाया मयूरहंड सड़क, जो मयूरहंड प्रखण्ड मुख्यालय को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) से जोड़ने वाली एकमात्र प्रमुख संपर्क सड़क है, वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग (REO) के अधीन होने के कारण उपेक्षा का शिकार है और इसकी स्थिति अत्यंत दयनीय बनी हुई है ; 2. क्या यह बात सही है कि इस महत्वपूर्ण सड़क की स्थिति खराब है, आए दिन दुर्घटनाएँ हो रही है तथा आम जनता, विद्यार्थियों, मरीजों और प्रशासनिक कार्यों में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए उक्त सड़क का ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में स्थानांतरित कर शीघ्र निर्माण की आवश्यकता है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या उक्त सड़क को PWD में स्थानांतरित कर उच्च मानक के अनुसार निर्माण एवं रखरखाव का कार्य कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत पचमो चौपारण भाया मयूरहंड पथ, **ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व अधीनस्थ है।** ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रश्नगत पथ के पचमो से मयूरहंड अंश का निर्माण कार्य कराया गया है, जो वर्तमान में Defect Liability अवधि अंतर्गत है। वर्तमान में पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत पथ खंड के उन्नयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भविष्य में संबंधित प्राधिकार द्वारा कराये गये कार्य की Defect Liability अवधि समाप्त होने के पश्चात पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरान्त नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–11/2026 (बजट सत्र)767(2) राँची/दिनांक :– 24/02/2026

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3801, दिनांक–12.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.2026

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम्य–07 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	**उत्तर**
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के बगोदर विधान सभा के निम्न ग्रामीण पथों की तकनीकी स्वीकृति होने के बाद भी प्रशासनिक स्वीकृति लम्बित है :– यथा– (क) थोरिया रोड से जमुनिया तक पथ निर्माण कार्य। (बिरनी प्रखण्ड) (ख) कोयरिडीह PWD पथ से पूर्णिडीह–रत्नाडीह तक पथ निर्माण कार्य। (सरिया प्रखण्ड) (ग) अटका PWD पथ से दुर्गी भाया दलित टोला तक पथ निर्माण कार्य। (सरिया प्रखण्ड) (घ) चिचाकी रोड से मोकामों दलित टोला तक पथ निर्माण कार्य। (सरिया प्रखण्ड) (ड़) बकराडीह रोड से खेरौंन भाया पंदनाटांड तक पथ निर्माण कार्य। (सरिया प्रखण्ड) (च) तुकतुको से पेंसरा भाया अखेना तक पथ निर्माण कार्य। (बगोदर प्रखण्ड) (छ) ग्राम उल्लिबार में स्कूल से भंडरियाटांड भाया दुर्गा मंडप तक पथ निर्माण कार्य। (बगोदर प्रखण्ड) (ज) बरवाडीह से सुन्दरुटांड भाया बेको, कर्माबाद, घुठीबार तक पथ निर्माण कार्य। (बगोदर प्रखण्ड)	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने के कारण उक्त गाँव/टोला सड़क से वंचित है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उपरोक्त सभी पथों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर कार्य आरंभ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–126/2026 ग्रा0का0वि0 575 राँची, दिनांक 19.02.2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3806 दिनांक–12.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.02.2026
(अश्विनी कुमार लाल दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–126 / 2026 ग्रा0का0वि0 575 राँची, दिनांक 19.02.2026

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.02.2026

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–126 / 2026 ग्रा0का0वि0 575 राँची, दिनांक 19.02.2026

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

19.02.2026

सरकार के उप सचिव।

श्री सोना राम सिंकू, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 16 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री योगेन्द्र प्रसाद, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि, पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखंड के सरस्वतीपुर जलापूर्ति योजना पिछले 05 वर्षो से संचालित नहीं है;	स्वीकारात्मक। सरस्वतीपुर ग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण वर्ष 2015 में पूर्ण हो चुका था। इसके पश्चात् संवेदक द्वारा 2017 तक संचालन एवं रख–रखाव का कार्य किया गया। योजना का O&M अवधि समाप्त होने के बाद संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) द्वारा किया जाना था। इससे संबंधित बैठक कई बार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के साथ किया गया परन्तु उनके द्वारा योजना का हस्तांतरण नहीं लिया गया। संचालन एवं रख–रखाव के अभाव में योजना बंद है। वर्त्तमान में इस योजना से आच्छादित जनसंख्या को कुल 103 अदद् चालू चापानल से पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जो विभागीय मानक के अनुरूप है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित योजना से पंचायत–मुंडूई, पट्टाजैंत एवं जैंतगढ़ के लगभग 20 ग्रामों के जनता इस योजना से वंचित है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरस्वतीपुर जलापूर्ति योजना को पुनः सुचारू रूप से संचालित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–16/2026– 463 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 3968, दिनांक– 14.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–16/2026– 463 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

माननीय श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० द्वारा सदन में दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–पथ–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि चौका–काण्ड्रा–चाईबासा पथ का रख–रखाव JARDCL द्वारा कराया जाता है ; 2. क्या यह बात सही है कि दो वर्ष पूर्व चौका–काण्ड्रा–चाईबासा पथ का Surface Renewal कार्य कराया गया था ; 3. क्या यह बात सही है कि किये गये Surface Renewal कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं होने के कारण यह पथ क्षतिग्रस्त हो गया है ; 4. क्या यह बात सही है कि खराब Surface Renewal कार्य के कारण वाहनों का परिचालन वर्तमान समय में अबाध गति से नहीं हो रहा है ; 5. यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चौका–काण्ड्रा–चाईबासा पथ को शीघ्र दुरूस्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड त्वरित पथ विकास कार्यक्रम (JARDP) अन्तर्गत लोक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से BOT (Annuity) आधार पर चाईबासा–काण्ड्रा–चौका पथ के विकास हेतु पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड एवं IL&FS द्वारा एक संयुक्त उपक्रम स्थापित किया गया है, जिसका नाम Jharkhand Accelerated Road Development Company Limited (JARDCL) है। JARDCL के Joint Venture Partner IL&FS द्वारा गठित कम्पनी Jharkhand Road Projects Implementation Company Limited (JRPICL) प्रश्नगत कार्य के Concessionaire हैं। एकरारनामा के अनुसार कार्य के Financing, Construction, Operation & Maintenance की जिम्मेवारी Concessionaire की है। इस प्रकार पथ के निर्माण एवं निर्माण के पश्चात् अगले 15 वर्षों तक Operation & Maintenance इसी Concessionaire द्वारा किया जाना है। प्रश्नगत पथ के Operation & Maintenance कार्य के पर्यवेक्षण के लिए Independent Consultant नियुक्त है, जो "Concessionaire" द्वारा संपादित कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं तथा आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। प्रत्येक अर्द्धवार्षिक भुगतान (Semi Annuity Payment) के पहले विभागीय दल द्वारा भी पथ का निरीक्षण किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार सुधार हेतु निदेश दिये जाते हैं। "Concessionaire" द्वारा उक्त निदेशों पर कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन दिया जाता है। Concession agreement के Operation & Maintenance requirements से संबंधित कंडिका में पथ के roughness index की अनुमान्य सीमा के आधार पर अथवा एक निर्धारित समयावधि अंतर्गत पथ सतह का renewal किये जाने का प्रावधान सन्निहित है। एकरारनामा के अनुसार Concessionaire द्वारा प्रश्नगत चाईबासा–काण्ड्रा–चौका पथ का प्रथम Periodic Renewal (सतह नवीकरण) कार्य 30.11.2019 तक किया जाना निर्धारित था, परन्तु उनके द्वारा प्रथम Periodic Renewal (सतह नवीकरण) का कार्य फरवरी 2023 में सम्पन्न कराया गया है। विभाग द्वारा संबंधित Concessionaire को एकरारनामानुसार सम्पूर्ण पथ में निर्धारित Level of Service (LOS) सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया गया है। पथ का Maintenance नहीं किये जाने की स्थिति में "Concessionaire" पर कार्रवाई का प्रावधान एकरारनामा में सन्निहित है। वर्तमान में विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में Concessionaire द्वारा संपादित Maintenance कार्य समीक्षाधीन है।

झारखण्ड सरकार
<u>पथ निर्माण विभाग, राँची।</u>

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–27/2026 (बजट सत्र)...7945...राँची/दिनांक :–24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3959, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री मंगल कालिन्दी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–12 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री मंगल कालिन्दी, माननीय स0वि0स0	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि जुगलसाई विधान सभा क्षेत्रांतर्गत खुकराडीह चौक से गोविन्दपुर हरि मंदिर तक लगभग 4 कि0 मीटर सड़क के निर्माण के लिए शिलान्यास अक्टूबर, 25 में हुआ है ;	स्वीकारात्मक। उक्त पथ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत बड़ा गोविन्दपुर से खुखराडीह तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (लं0–3.750 कि0मी0) के नाम से वर्ष 2024–25 में स्वीकृत है।
2. क्या यह बात सही है कि वर्णित सड़क प्राक्कलित राशि 2.17 करोड़ रूपये है परंतु आजतक निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है, जिसके कारण आमजनों को काफी परेशनियाँ हो रही है ;	स्वीकारात्मक। उक्त पथ का प्रशासनिक स्वीकृति राशि–224.762 लाख रूपये है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खंड–01 में वर्णित सड़क का निर्माण चालू वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	निधि उपलब्धता के आलोक में प्रश्नाधीन पथ के जीर्णोद्धार/निर्माण के संबंध में शीघ्र कार्य पूर्ण कर ली जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–151/2026 ग्रामीण कार्य विभाग....622.....राँची, दिनांक....21/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3767, दिनांक–12.02.2026 के आलोक में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
(अश्विनी कुमार लाल दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–151/2026 ग्रामीण कार्य विभाग.622.....राँची, दिनांक....21/02/2026

प्रतिलिपि– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–151/2026 ग्रामीण कार्य विभाग.622.....राँची, दिनांक....21/02/2026

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

श्री सुखराम उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या पथ–30 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री सुखराम उराँव, माननीय स0वि0स0	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर विधान–सभा क्षेत्र के चक्रधरपुर प्रखण्ड में टेबुल लाईन से गोपीनाथपुर सड़क काफी जर्जरावस्था में है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि, इस पथ से एक बड़ी आबादी का संपर्क अनुमण्डल एवं प्रखण्ड मुख्यालय को जोड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	चक्रधरपुर प्रखण्ड में टेबुल लाईन से गोपीनाथपुर तक पथ जिसकी कुल लम्बाई 11.30 कि0मी0 है। इस पथ के अन्तर्गत निम्नलिखित दो पथ सम्मलित है जिसका निर्माण/मरम्मति कार्य इस प्रमण्डल द्वारा कराया गया था। 1) गोपीनाथपुर से भलियाडीह तक पथ 4.50 कि0मी0 इस पथ का निर्माण वर्ष 2017 में पूर्ण कराया गया था। 2) भलियाडीह से देवगांव भाया ईटोर तक पथ लम्बाई 6.80 कि0मी0 पथ का मरम्मति कार्य वर्ष 2018 में पूर्ण कराया गया था। वर्त्तमान में उक्त पथ के उन्नयन हेतु पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल, मनोहरपुर द्वारा DPR तैयार किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–165/2026 ग्रामीण कार्य विभाग 620 राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3963, दिनांक–14.02.2026 के आलोक में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
(अश्विनी कुमार लाल दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–165/2026 ग्रामीण कार्य विभाग 620 राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–165/2026 ग्रामीण कार्य विभाग 620 राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची को उनके पत्रांक–722(S)WE, दिनांक–19.02.2026 एवं विधान मण्डलीय प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

श्री रामचन्द्र सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांकः 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–09 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि लातेहार जिलान्तर्गत बरवाडीह प्रखण्ड का पंचायत छिपादोहर, लात, चुंगरू, मुण्डु, केड़ एवं कुचिला प्रखण्ड मुख्यालय से सुदूर घनी पहाड़ी एवं जंगल के बीच अवस्थित है जिसके कारण वर्णित पंचायत के लोगों को प्रखण्ड स्तरीय कार्य हेतु बरवाडीह आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि यदि खण्ड–1 में वर्णित पंचायतों को बरवाडीह प्रखण्ड से अलग कर छिपादोहर पंचायत के साथ जोड़ते हुए छिपादोहर पंचायत को प्रखण्ड का दर्जा दिया जाय तो वर्णित पंचायत के लोगों को प्रखण्ड स्तरीय कार्य के निष्पादन में काफी सहूलियत होगी;	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार छिपादोहर पंचायत को खण्ड–1 में वर्णित अन्य पंचायतों के साथ जोड़ते हुए प्रखण्ड का दर्जा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5495 दिनांक– 16.10.2015 के द्वारा प्रखण्डों के सृजन/गठन हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त मापदंड एवं प्रक्रिया के आधार पर उपरोक्त प्रश्न की समीक्षा कर विभागीय पत्रांकः 486 दिनांकः 19.02.2026 के द्वारा उपायुक्त, लातेहार को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। उक्त प्रतिवेदन व वर्णित संकल्प के आधार पर विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः–04/वि०स० (लातेहार)–05/2026 506, /राँची,दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपि :– श्री निलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांकः 3764/वि०स० दिनांकः 12.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/2026

(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–04/वि०स० (लातेहार)–05/2026 506. /राँची,दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/2026

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–04/वि०स० (लातेहार)–05/2026 506, /राँची,दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपि :– विधायी प्रशाखा (प्रशाखा–03) को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री वांछित प्रतियों में विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/2026

सरकार के अपर सचिव

श्री मो0 ताजुद्दीन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–पेय– 15 का उत्तर :–

क्र०	क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री योगेन्द्र प्रसाद, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिले के साहेबगंज राजमहल एवं उधवा प्रखण्ड में पीने के स्वच्छ पानी की काफी किल्लत है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत इन प्रखण्डों में योजना का कार्य प्रगति पर है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन को वर्ष– 2028 तक विस्तारित किया गया है। परंतु भारत सरकार से वर्त्तमान वित्तिय वर्ष में केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण योजनाओं की प्रगति बाधित हो रही है। कार्य पूर्ण होने व कमिशिनिंग के पश्चात् इन योजनाओं से शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुँचाया जा सकेगा। वर्त्तमान में उक्त क्षेत्र में कुल 6093 अदद् चालू चापाकलों तथा जल जीवन मिशन के तहत् पूर्ण SVS योजनाओं से जलापूर्ति की जा रही है। साथ ही साहेबगंज मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना का कार्य 89 प्रतिशत पूर्ण है एवं योजना से आंशिक जलापूर्ति चालू है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों के डाई में सामान्य बोरिंग सफल नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। राजमहल एवं . उधवा प्रखण्ड के बहुतायत क्षेत्रों में सामान्य बोरिंग के स्थान पर GPT (Gravel Packed Tubewells) होते हैं। (1) राजमहल प्रखण्ड के कुल–23 पंचायतों में से 18 पंचायतों के अधिकतम क्षेत्र में Gravel Packed Tubewells एवं 5 पंचायतों में D.T. एवं Deep Tubewell आवश्यकतानुसार होते हैं। (2) उधवा प्रखण्ड के कुल 26 पंचायतों में से 22 पंचायतों के अधिकतर क्षेत्रों में Gravel Packed Tubewells एवं 4 पंचायतों में D.T. एवं Deep Tubewell आवश्यकतानुसार होते हैं। इस प्रकार आवश्यकतानुसार पर्याप्त गहराई युक्त नलकूप किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ड्राई जोन एरिया को चिन्हित करते हुए आगामी गर्मी के मौसम से पूर्व उच्च स्तरीय बोरिंग करवाकर ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यूँ?	वस्तुस्थिति यह है कि राजमहल एवं उधवा प्रखण्ड के कुछ क्षेत्रों में कलस्टर के कार्यों में बोरिंग Dry होने की आशंका एवं Gravel Packed Deep Tubewell होने से योजना असफल होने के कारण जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अनुशंसा के आलोक में श्रोत निर्माण हेतु उच्च प्रवाही Gravel Packed Deep Tubewell निर्माण के लिए प्रस्ताव गठित कर कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त राजमहल के तीनपहाड़ एवं आसन्न क्षेत्र तथा उधवा प्रखण्ड के जोका एवं आसन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार गहराई वाले बोरिंग कार्य से युक्त सफल बोरिंग कार्य के साथ कलस्टर के सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को हस्तानान्तरण हेतु संवेदक को निदेशित किया गया है ताकि हर घर जल का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो सके।

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–15/2026– 462 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 3967, दिनांक– 14.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–15/2026– 462 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

दिनांक–25.02.2026 को श्री धन्नजय सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम्य–24 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री धन्नजय सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का बोरियो विधान सभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला अन्तर्गत मंडरा प्रखण्ड में रक्सी स्थान से तेतरीया होते हुए बड़तल्ला मीर्जाचौकी स्टेशन तक सड़क अत्यंत ही जर्जर अवस्था में है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. प्रश्नाधीन पथ का पथांश करमटोला रेलवे क्रॉसिंग से तेतरीया भाया रक्सी स्थान तक पथ निर्माण कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है। इस पथ का कार्य जून, 2026 तक पूर्ण हो जायेगा। 2. PMGSY करमटोला मेन रोड से भाया तेतरिया मिर्जाचौकी स्टेशन तक पथांश PMGSY-II (2019–20) में T02-NH80 Karamtola to Mirza Chowki Railway Station-6.0 KM का स्वीकृति प्राप्त कर 28.02.2022 को भौतिक रूप से पूर्ण कराया गया है। पथ के किनारे माइन्स होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन होता है। मिर्जाचौकी बाजार का नाली का भी सारा पानी बहाव इसी पथ से होता है। पथ का समय–समय पर मरम्मति किया जाता है। यह पथ जनवरी, 2027 तक DLP में है।
3.	क्या यह बात सही है कि रक्सी स्थान में पूजा अर्चना हेतु हजारों लोग अपने वाहनों के साथ रोज आते है;	स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि हजारों श्रद्धालुओं को रोड की स्थिति जर्जर होने के कारण अत्यंत कठिनाई का समाना करना पड़ता है और कभी कभार तो वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–135/2026 ग्रा०का०वि०.....626.....रॉंची/दिनांक–21/02/2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3940, दिनांक–14.02.2026 के क्रम में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–135/2026 ग्रा०का०वि०.....626.....रॉंची/दिनांक–21/02/2026

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.26

सरकार के उप सचिव।

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 06 का उत्तर :–

<table>
<tr><td colspan="2">क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–</td><td>श्री योगेन्द्र प्रसाद, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्या यह बात सही है कि, बगोदर विधान सभा क्षेत्र के बिरनी, सरिया एवं बगोदर प्रखण्ड के दर्जनों पंचायत में भू–गर्भ जल स्रोत के निचे चले जाने के कारण जल स्रोत के सभी साधन यथा – चापानल कुँआ वगैरह सुख गये है, जिससे उक्त जगह में गंभीर पेयजल समस्या बनी हूई है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
बगोदर विधानसना क्षेत्र के बिरनी, सरिया एवं बगोदर प्रखण्ड में कुछ क्षेत्रों में भू–गर्भ जल श्रोत नीचे जाने के कारण कुछ नलकूप DRY है, परंतु उन क्षेत्रों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना से जलापूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त प्रखण्डों में अवस्थित नलकूप, एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजना (SVS) एवं SVS Cluster की विवरणी निम्नवत है :–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>प्रखण्ड का नाम</th><th>जनसंख्या</th><th>चालू नलकूप की संख्या</th><th>DRY नलकूप की सं०</th><th>SVS योजना की सं०</th><th>SVS Cluster की सं०</th></tr>
<tr><td>01</td><td>बिरनी</td><td>210415</td><td>2030</td><td>80</td><td>0</td><td>248</td></tr>
<tr><td>02</td><td>सरिया</td><td>173929</td><td>1910</td><td>36</td><td>74</td><td>236</td></tr>
<tr><td>03</td><td>बगादोर</td><td>195534</td><td>1860</td><td>106</td><td>107</td><td>711</td></tr>
</table>
उक्त तीनों प्रखण्डो में कुल 5800 अदद् चालू नलकूपों से जलापूर्ति की जा रही है जो विभागीय मानक के अनुसार आच्छादित है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्डों में कई नदी नालों का प्रभाव होता है जिसमें सालों भर पानी बहता रहता है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।
प्रखण्ड बिरनी अंतर्गत दो नदी का प्रवाह है :–
1. इरगा नदी– ग्रीष्म ऋतु में नदी सुख जाती है । (Non- Perennial)
2. बराकर नदी– Perennial River
प्रखण्ड सरिया अंतर्गत दो नदी का प्रवाह है :–
1. बराकर नदी– Perennial River
2. बरसोती नदी– ग्रीष्म ऋतु में नदी सुख जाती है। (Non- Perennial)
प्रखण्ड बगोदर अंतर्गत एक नदी का प्रवाह है :–
1. जमुनिया नदी– ग्रीष्म ऋतु में नदी सुख जाती है। (Non- Perennial)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गंभीर पेयजल समस्या से निजात के लिए उक्त बहने वाली नदियों में जगह–जगह श्रृलंखाबद्ध चेकडैम का निर्माण करने यथा योग्य जगहों में फिल्टर प्लांट लगाकर जलमीनार लगाकर का निर्माण कर हर घर नल जल योजना के माध्यम से लोगों शुद्ध पेयजल मुहईया कराने, श्रृंखलाबद्ध चेकडैम के माध्यम से पानी को रोक कर जल स्तर को ऊंचा उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?</td><td>चेकडैम का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जाता है।</td></tr>
</table>

71

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–06/2026– 454 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 3770, दिनांक– 12.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–06/2026– 454 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री जनार्दन पासवान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा बस पड़ाव निर्माण हेतु राशि 4,22,80,400/– (चार करोड़ बाईस लाख अस्सी हजार चार सौ) रूपये का प्रशासनिक स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई थी, जिसके विरूद्ध विभागीय पत्रांक–79, दिनांक–19.09.2014 द्वारा मात्र एक करोड़ रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ। शेष आवंटन हेतु विभाग से कई बार पत्राचार चतरा नगर परिषद कार्यालय से किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नगर परिषद चतरा क्षेत्रान्तर्गत बस पड़ाव निर्माण कार्य हेतु 13वें वित्त आयोग अन्तर्गत विभागीय ज्ञापांक–13, दिनांक–19.05.2014 द्वारा राशि रू० 400 लाख के निमित्त प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। 13वें एवं 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के मद्देनजर उक्त स्वीकृत चतरा बस पड़ाव निर्माण योजना के अधूरे कार्य को जिला निधि से वित्त पोषित करते हुए पूरा किये जाने संबंधी चतरा नगर परिषद से प्राप्त अनुरोध के आलोक विभागीय पत्रांक–3357, दिनांक– 29.12.2020 द्वारा विभागीय सहमति प्रदान की गई। प्रदत्त विभागीय सहमति के आलोक में वर्णित योजना के शेष कार्य के लिए उपायुक्त–सह–अध्यक्ष (DMFT), चतरा के ज्ञापांक–79/गो०वि०, दिनांक–01.03.2021 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।
2.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला का एक मात्र बस पड़ाव है। यहाँ ऐतिहासिक धर्म/पर्यटन स्थल ईटखोरी, कॉलेश्वरी एवं बोध गया के दर्शन हेतु पर्यटकों का आगमन एवं ठहराव होती है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में चालू वित्तीय वर्ष में आवंटन उपलब्ध कराकर पर्यटकों के सुविधा हेतु बस पड़ाव का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभागीय सहमति के आलोक में योजना के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष (DMFT),चतरा के ज्ञापांक–79/गो० दिनांक–01.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। कार्यपालक पदाधिकारी, चतरा नगर परिषद को बस पड़ाव निर्माण योजना को शीघ्र पूर्ण करने हेतु विभाग स्तर से निदेश दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–03/वि०स०(ता०)–न–02/2026 न०वि०आ० .....620..... राँची, दिनांक–24/02/26

प्रतिलिपि:–झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3947/वि०स० दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अवर सचिव, विधायी प्रशाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/26
सरकार के उप सचिव।

rk_D_2026_Vidhan Sabha _6

दिनांक–25.02.2026 को श्री धन्नजय सोरेन, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम्य–23 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री धन्नजय सोरेन, माननीय स०वि०स०	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का मडरो प्रखण्ड के पडैया–ग्राम से बाँझी तक कोई पथ नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सड़क के अभाव में यहाँ के लोगों का बाँझी तक आवागमन में 50 कि०मी० अत्याधिक दूरी तय करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण हो जाने से मडरो प्रखण्ड एवं बाँझी के बीच की दूरी अत्याधिक कम हो जायेगी फलस्वरूप यहाँ के आदिवासी एवं मूलवासियों को समय एवं खर्च की बचत होगी;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त पथ का निर्माण करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पथ के निर्माण कार्य के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–136 / 2026 ग्रा०का०वि०.....606.....राँची / दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3939, दिनांक–14.02.2026 के क्रम में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–136 / 2026 ग्रा०का०वि०.....606.....राँची / दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि०स०–12)–136 / 2026 ग्रा०का०वि०.....606.....राँची / दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

श्री रोशन लाल चौधरी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 14 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री योगेन्द्र प्रसाद, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि, बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड में संचालित एनटीपीसी, सीसीएल, अडानी जैसे कोयला खनन परियोजनाओं गतिविधियों के कारण क्षेत्र के भू–जल स्तर में अत्याधिक गिरावट आई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50 से अधिक गांव गंभीर पेयजल संकट से प्रभावित है, खनन परियोजना से प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित इन गाँवों संबंधित कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) फंड का उपयोग पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु प्रेभावी रूप से नहीं किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड में खनन कार्य के कारण भू–गर्भीय जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कतिपय क्षेत्रों में नलकूप ड्राई होने से जलापूर्ति आंशिक रूप से प्रभावित होती है। बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड अंतर्गत पेयजलापूर्ति की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा सतही जलस्रोत आधारित वृहत पाईप जलापूर्ति योजना का कार्य कराकर उक्त दोनो प्रखण्डों में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत SVS Cluster योजना का निर्माण कार्य कराया गया है। बड़कागांव प्रखण्ड अंतर्गत कुल 30827 घरों में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य के विरूद्ध 18729 घरों को नल से जल उपलब्ध करा दिया गया है। केरेडारी प्रखण्ड अंतर्गत कुल 20452 घरों में नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य के विरूद्ध 15704 घरों को नल से जल उपलब्ध करा दिया गया है। शेष बचे घरों को निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूर्ण कर नल से जल उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त उक्त दोनों प्रखण्ड क्षेत्र में कुल–2888 अदद चालू नलकूपों से भी जलापूर्ति की जा रही है। खनन कार्य से संबंधित कंपनीयों द्वारा CSR मद अंतर्गत संचालित पेयजल व्यवस्था से संबंधित सूचना विभाग को उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि खनन प्रभावित गांवो का नल जल योजना से भी आच्छादित नहीं किए गए है, जिसके कारण ग्रामीणों को चापाकल, कुएँ अथवा दूरस्थ जलस्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों/गांवो में अवस्थित ग्रामीणों को संबंधित खनन कंपनीयों द्वारा विस्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में खनन प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का जलापूर्ति योजना का निर्माण कार्य कराया जाना उचित नहीं है। खनन प्रभावित ग्रामों में CSR Fund से पेयजलापूर्ति की व्यवस्था संबंधित खनन कंपनीयों के द्वारा किये जाने का प्रावधान है। बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड अंतर्गत विभाग द्वारा CSR Fund से खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति हेतु कोई योजना वर्तमान में स्वीकृत नहीं है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नल–जल योजना से वंचित खनन प्रभावित गांवो को फंड से पेयजल उपलब्ध कराने तथा बड़कागांव एवं केरेडारी प्रखण्ड को नल जल योजना से वर्ष 2027 तक पूर्ण आच्छादित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–14/2026– 460 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 3966, दिनांक– 14.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–14/2026– 460 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

माननीय डॉ0 नीरा यादव, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–'पथ–01' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
01. क्या यह बात सही है कोडरमा जिला के मरकच्चो और जयनगर प्रखण्ड में पथ की चौड़ाई कम होने से हमेशा सड़क जाम की स्थिति बनी रहती है; 02. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त दोनों जगहों पर बाईपास सड़क निर्माण कार्य नहीं होने के कारण लोगों को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; 03. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार मरकच्चो और जयनगर में बाईपास पथ का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कोडरमा जिला अंतर्गत प्रश्नगत मरकच्चो एवं जयनगर क्षेत्र विभागीय स्वामित्व अधीनस्थ कोवार–कोडरमा पथ (MDR-90) पर अवस्थित है। कोवार–कोडरमा पथ की कुल लंबाई–79.00 कि0मी0 है। विभाग द्वारा उपलब्ध ROW में पथ के संधारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है एवं वर्तमान में पथ की स्थिति अच्छी है। अग्रिम योजना के तहत विभाग द्वारा उक्त MDR पथ के प्रश्नगत दोनों अंशों यथा मरकच्चो एवं जयनगर में बाईपास निर्माण हेतु डी0पी0आर0 सूत्रण की कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में निधि की उपलब्धता के अनुरूप उक्त Bypasses के निर्माण के प्रस्ताव विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प0नि0वि0–11–ता0प्र0–01/2026 (बजट सत्र) 2866(S) राँची/दिनांक :–24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3540, दिनांक–09.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.26

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

डॉ० कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० ग्राम्य–01 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
डॉ० कुशवाहा शशि भूषण मेहता, माननीय स०वि०स०	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पांकी प्रखण्ड के नौडीहा पंचायत के ग्राम उलगड़ा एवं केकरगढ़ पंचायत के ग्राम गड़ीहारा, हेडुम, मतनाग आदि कई गांव का आज भी पथ निर्माण नहीं होने के कारण हजारों की संख्या में ग्रामीणों का आवागमन अत्यंत दुर्गम है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव–2024 के समय खण्ड–1 में वर्णित पंचायतों के कई गांवों के मतदान केन्द्रों को दुर्गम आवागमन होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से रि–लोकेट करना पड़ा था;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि नावाडीह (पाँकी) मुख्य पथ से उलगड़ा गड़ीहारा हेडुम होते हुए मतनाग पीच रोड तक पथ निर्माण कराने का प्राक्कलन दो वर्षों से स्वीकृति हेतु लंबित है;	विभागीय नीति के आलोक में पथों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति पर निर्णय लिया जाता है।
4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड–3 में वर्णित पथ निर्माण की स्वीकृति देकर निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पथों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–105/2026 ग्रामीण कार्य विभाग 625 राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा०वि०स० सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3577, दिनांक–10.02.2026 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/26

(विजय कुमार भगत)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–105/2025 ग्रामीण कार्य विभाग 625 राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि–मा० मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/26

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि०स०–12)–105/2025 ग्रामीण कार्य विभाग 625 राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/2/26

सरकार के उप सचिव।

माननीय श्री सोनाराम सिंकू, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–पथ–27 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1–क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत हाटगम्हरिया कासिम बाजार से बराईबुरू हाथी चौक तक पथ काफी जर्जर एवं पुल जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है; 2–क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पथ एवं पुल का निर्माण लगभग 15 वर्षों पूर्व की गई थी; 3–क्या यह बात सही है कि लौह–अयस्क लादे हुए भारी वाहनों का हमेशा आवागमन है तथा यह मार्ग सबसे व्यस्तम मार्गों में एक है; 4–यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित पथ एवं पुल को आगामी वित्तीय वर्ष में निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्रश्नगत हाटगम्हरिया कासिम बाजार से बराईबुरू हाथी चौक तक पथ राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–320 G का अंश है, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की संपत्ति है। • <u>बामाचरण मुण्डा चौक (कासिम बाजार) से बोकना</u> राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NH-320G के कि०मी० 0.00 (बामाचरण मुण्डा चौक) से कि०मी० 42.250 (बोकना) अंश के चौड़ीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण (पुल निर्माण सहित) कार्य की EPC आधार पर निर्माण की स्वीकृति मंत्रालय द्वारा मार्च 2022 में प्रदान की गई थी। EPC एकरारनामा के अनुसार एक निश्चित समयावधि में भूमि उपलब्ध नहीं होने एवं संबंधित संवेदक द्वारा उक्त कार्य को Terminate करने हेतु प्राप्त अनुरोध के सापेक्ष सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में Pre-construction activities को छोड़कर कार्य के एकरारनामा को terminate कर दिया गया है। वर्तमान में परियोजना अंतर्गत सर्विस रोड एवं बाईपास रोड निर्माण हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतर्गत प्रभावित रैयतों के मध्य मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जा रही है। मंत्रालय द्वारा इस NH पथांश को Traffic Worthy Condition में बनाये रखने हेतु Short Term Maintenance Contract की स्वीकृति प्रदान की गई है। जो वर्तमान में निविदा की प्रक्रिया में है। • <u>बोकना से बाराईबुरू हाथी चौक</u> मंत्रालय द्वारा Performance Based Maintenance Contract अंतर्गत इस पथांश के संधारण का कार्य कराया गया है।

झारखण्ड सरकार
<u>पथ निर्माण विभाग, राँची।</u>

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–रा०प्र०–24/2026 (बजट सत्र)...........राँची/दिनांक :–24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3960, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती डॉ० लुईस मरांडी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 25 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री योगेन्द्र प्रसाद, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि, राज्य में जल जीवन मिशन के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में लगे जल मिनारों में जल का श्रोत पुराने चापानल के लिए किये गये बोरवेल है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जल जीवन मिशन के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं (MVS) सतही जलश्रोत पर आधारित है तथा एकल ग्रमीण जलापूर्ति योजनाएं (SVS/ SVS Cluster) भूमिगत जलश्रोत पर आधारित है। SVS/ SVS Cluster की योजनाओं में जल का श्रोत क्षेत्र की परिस्थिति के अनुसार मौजूदा पुराने चापानल के लिए किये गये बोरवेल अथवा नये बोरवेल हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि ऐसे जल मीनार अधिकांशतः तकनीकि कारणों से बंद है;	आंशिक स्वीकारात्मक। SVS/ SVS Cluster की योजनाओं में निर्मित कतिपय जलमीनार Dry/Collapse Borewell के कारण बंद है।
3.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी टंकी के लाभ से तो वंचित है ही साथ ही यहाँ पूर्व में स्थापित चापानल के उपयोग से भी वंचित है?	अस्वीकारात्मक। राज्य के ग्रामीणों क्षेत्रों में प्रति पंचायत 10–10 चापाकल का निर्माण, नलकूपों का पुनर्स्थापन एवं सड़े राईजर पाईपों को बदलकर पेयजल आपूर्ति की जा रही है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जाँच कराकर ग्रीष्म ऋतु आने से पूर्व इन जल मिनारों की मरम्मति एवं चापानलों की ठीक कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–23/2026– 458 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 4180, दिनांक– 17.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–23/2026– 458 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

माननीय श्री निर्मल महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–'पथ–08' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
01. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला एवं रामगढ़ जिला के बीच नया मोड़ कुजू में एन0एच0 33 अवस्थित है ;	प्रश्नगत पथ आरेखण यथा (नया मोड़ कुजू से गिद्दी), Central Coalfields Limited (CCL) के स्वामित्व अधीनस्थ है।
02. क्या यह बात सही है नया मोड़ कुजू से गिद्दी जाने वाला सड़क काफी जर्जर अवस्था में है जिसमें आवागमन करने वाले यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	संबंधित प्राधिकार द्वारा Deposit आधार पर निर्माण कराये जाने हेतु सहमति एवं कार्य के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनापत्ति उपलब्ध कराने के उपरान्त प्रश्नगत पथ के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।
03. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नया मोड़ कुजू से गिद्दी तक सड़क निर्माण करना चाहती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यूँ ?	

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प0नि0वि0–11–ता0प्र0–10 / 2026 (बजट सत्र) 288(s) राँची / दिनांक :– 24/02/26

प्रतिलिपि :–श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3790, दिनांक–12.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.2026

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय श्री उमाकान्त रजक, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रशन सं0–'पथ–35' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
01. क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के चंदनकियारी, बरमसिया सड़क पर वर्ष–2013–14 से ईजरी नदी में उच्चस्तरीय पुल बनकर तैयार है, लेकिन पुल के दोनों तरफ सम्पर्क पथ विभाग द्वारा अब तक नहीं बना पाया है, जिससे यातायात समेत आमजनों को आवागमन में कठिनाई हो रही है; 02. यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड–एक में वर्णित पथ के पुल के दोनों तरफ से सम्पर्क पथ बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत उच्च स्तरीय सेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–218 पर स्थित है, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की संपत्ति है। पूर्व में यह पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व का पथ था। जिसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के गजट अधिसूचना सं0–4898(E), दिनांक–19.09.2018 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है। प्रश्नगत उच्च स्तरीय सेतु का निर्माण पथ प्रमंडल, बोकारो, पथ निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था एवं राष्ट्रीय राजमार्ग में उत्क्रमित होने तक इसके पहुँच पथों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत उच्च स्तरीय सेतु के पहुँच पथों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। तत्क्रम में निविदा एवं एकरारनामा की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–34/2026 (बजट सत्र) 791(S) राँची/दिनांक :–24/02/2

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–4098, दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती डॉ० नीरा यादव, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं० न०–01 का उत्तर:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय स्थित कोडरमा नगर पंचायत में समाहरणालय के सामने रांची–पटना रोड के बगल में भईया जी के नाम से सरकारी तालाब है, जिसका पानी कई सालों से गंदा एवं दूषित है। इसके कारण मलेरिया, टायफाईड एवं अन्य संक्रमित रोगों से लोग बीमार हो रहे हैं;	जल निकासी की अनुपलब्धता के कारण भईया जी तालाब जल–प्रदूषण से प्रभावित हैं, जिसके रोकथाम एवं साफ–सफाई की कार्रवाई संबंधित नगर निकाय द्वारा लगातार की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड–01 में वर्णित तालाब के कारण मुहल्ले के अधिकांश कुआँ एवं बोरिंग से निकलने वाला पानी भी काफी दूषित एवं गंदा हो चुका है, जो पीने लायक भी नहीं है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि तालाब के निकट अवस्थित दो मुहल्ला महावीर मुहल्ला एवं सुन्दर नगर है, जिनके घरों से निकला गंदा पानी भी उसी तालाब में जाता है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त तालाब को साफ करवाकर सौंदर्यीकरण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	संबंधित निकाय से भईया जी तालाब की सफाई एवं सौन्दर्यीकरण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन विभाग को प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/वि०स० (ता०)–03/2026 न०वि०आ० 633 रॉंची, दिनांक– 24/02/26

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञापांक–3533/वि०स० दिनांक–09.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.26

सरकार के अवर सचिव।

Ari_D_2026_Vidhan Sabha _38

श्री सोमेश चन्द्र सोरेन, स०वि०सं० द्वारा दिनांक– 25.02.2026 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या– भ–06 की उत्तर सामग्री।

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत गुड़ाबांदा प्रखंड के ग्राम हतियापाटा में निर्माणाधीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण का कार्य संतोषजनक नहीं है तथा कार्य की प्रगति जन–अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है;	अस्वीकारात्मक। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, हतियापाटा, गुड़ाबांदा का निर्माण केन्द्र सरकार द्वारा कार्यकारी एजेंसी HSCL राँची के माध्यम से, दिनांक– 29.04.2021 से किया जा रहा है। परियोजना प्रबंधक, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, हतियापाटा, गुड़ाबांदा द्वारा बताया गया की योजना कार्य का निरीक्षण NESTS, Ministry of Tribal Affairs द्वारा समय–समय पर किया जाता है तथा कार्य संतोषजनक पाया गया है। कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण ठेकेदार से कुछ हिस्सा वापस लेकर नये ठेकेदार को कार्य सौंपा गया है तथा अक्टूबर 2026 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। अब तक First Phase, 73% कार्य किया गया है तथा Second Phase का 46% ही किया गया है। कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु एजेंसी को निदेश दिया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय भवन के निर्माण में निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों में असंतोष व्याप्त है;	अस्वीकारात्मक। परियोजना प्रबंधक, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, हतियापाटा, गुड़ाबांदा के द्वारा बताया गया कि उक्त विद्यालय भवन निर्माण में निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता का अनुपालन किया जा रहा है। उक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण NESTS, Ministry of Tribal Affairs द्वारा समय–समय पर किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपर्युक्त भवन निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यो ?	उपरोक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

श्री अमित कुमार यादव, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–न०–25 का उत्तर प्रतिवदेन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा हजारीबाग, राँची, धनबाद, जमशेदपुर आदि शहरों में आम जनता को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण कराया गया है, जिसकी कुल संख्या करीब 1000 होगी;	आंशिक स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित फ्लैटों की कीमत बाजार मूल्य से अधिक होने के कारण आम जनता फ्लैट खरीद नहीं पा रही है, साथ ही निर्मित फ्लैट भी रख रखाव के आभाव में जर्जर हो रहे है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि बोर्ड द्वारा लागत मूल्य के आधार पर दिनांक–09.04.2025 को राँची प्रमंडल में कुल 57 सम्पदाओं एवं दिनांक–28.11.2025 को हजारीबाग प्रमंडल में कुल 70 सम्पदाओं का आवंटन ई–लॉटरी के माध्यम से किया गया है। जमशेदपुर प्रमंडल एवं धनबाद प्रमंडल के सम्पदाओं का आवंटन प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2018/2020 से सम्पदाओं की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में खण्ड–1 में वर्णित फ्लैटों की कीमत कम करते हुए आम जनता को बिक्री करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बोर्ड द्वारा सम्पदाओं का आवंटन No Profit No Loss के आधार पर किया जाता है। सम्पदाओं की कीमत लागत मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–07/आ०बो०/वि०स०(ता०)–02/2026 न०वि०आ० 622 राँची, दिनांक–24/02/26

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–4105/वि०स० दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अवर सचिव, प्रभारी विधायी शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

माननीय श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–'पथ–04' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
01. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में कचहरी चौक से जी0एल0ए0 कॉलेज तक एवं रेड़मा चौक (राँची रोड) से बैरिया चौक तक काफी भीड़भाड़ के साथ, काफी ट्रफिक दबाव बना रहता है ; 02. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थल पर हमेशा जाम रहने से आवागमन में आम लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; 03. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार शहर के दीर्घकालिक विकास और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कचहरी चौक से जी0एल0ए0 कॉलेज तक एवं रेड़मा चौक (राँची रोड) से बैरिया चौक तक फ्लाई–ओवर बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत कचहरी चौक से जी0एल0ए0 कॉलेज पथ आरेखण विभागीय स्वामित्व अधीनस्थ डालटेनगंज–लेस्लीगंज–पांकी (SH-10) पथ का अंश है। प्रश्नगत द्वितीय पथ आरेखण रेड़मा चौक (राँची रोड) से बैरिया चौक तक पथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के स्वामित्व अधीनस्थ है, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की संपत्ति है। महाप्रबंधक (तकनीकी), NHAI द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शहर में Traffic दबाव को कम करने के लिए 11.820 कि0मी0 लंबी डालटेनगंज बाईपास का निर्माण कार्य NHAI द्वारा कराया जा रहा है, जो अन्तिम चरण में है। उक्त बाईपास के निर्माणोपरांत मुख्य शहर के अन्दर Traffic का दबाव कम हो जाएगा, जिससे आमलोगों के आवागमन में सुविधा होगी। पथ निर्माण विभाग द्वारा भी अग्रिम योजना के तहत् मेदिनीनगर मुख्य शहर में Traffic दबाव को कम करने के लिए Flyover (अथवा अन्य संव्यवहार संरचना) की संभाव्यता का अध्ययन करते हुए DPR सूत्रण की कार्रवाई के निमित्त मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प0नि0वि0–11–ता0प्र0–04 / 2026 (बजट सत्र)..1854(S)..राँची / दिनांक :–24/02/2026

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3581, दिनांक–10.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.26

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय स०वि०स० श्री भूषण बड़ा द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0-पंचा-03 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन।

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला पेसा अधिनियम के दायरे में आती है, जहाँ पेसा अधिनियम लागु होने के बाद भी Village Council को वास्तविक अधिकार नही प्रदान किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सिमडेगा जिला पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के तहत पेसा अनुसूचित जिला है। विभागीय अधिसूचना संख्या- 40 दिनांक 02.01.2026 द्वारा अधिसूचित पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) झारखण्ड नियमावली, 2025 अधिसूचना निर्गत की तिथि से राज्यान्तर्गत पेसा क्षेत्रों में प्रवृत है, जिसके अनुसार सिमडेगा जिला भी पेसा क्षेत्र के रूप में अधिनियम के अंतर्गत दिये गये सभी अधिकार पेसा नियमावली, 2025 के माध्यम से ग्राम सभाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खंड 01 में वर्णित Village Council का अधिकार केवल कागजों में ही सीमित है, जिसके कारण बालू का उठाव, उत्खनन, पत्ता संग्रहण, जुआ, मुर्गा लड़ाई निर्बाध गति से जारी है;	अस्वीकारात्मक। पेसा नियमावली 2025 के अंतर्गत ग्राम सभाओं को सभी प्रकार के लघु खनिजों को स्वयं के उपयोग के लिए स्वतंत्र बनाया गया है। केटेगरी-01 में बालू घाटों का संचालक भी बनाया गया है। ग्राम सभा को लघु वनोंपजों (तेंदुपत्ता सहित अन्य वनोंपजों) का मालिकाना हक दिया गया है। साथ ही हाट/बाजार प्रबंधन करने हेतु शक्ति ग्राम सभाओं को प्रदान की गयी है। उपरोक्त सभी शक्तियाँ पेसा नियमावली 2025 के माध्यम से ग्राम सभा को दी गयी है। यह नियम व्यवहारिक रूप से ग्राम सभाओं के द्वारा लागू किया जाना है। वर्तमान में विभाग द्वारा पेसा विषय पर ग्राम प्रधान, मुखिया, पंचायत सचिव इत्यादि को पेसा नियमावली 2025 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के निमित्त लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम सभा को पेसा अधिनियमित वास्तविक अधिकार प्रदान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपरोक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल, एफ०एफ०पी० भवन, धुर्वा, राँची- 834004
(panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com)

ज्ञापांक:- 01 स्था (वि०स०)- 09/2026 544 /, राँची, दिनांक:- 20.2.26

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्र संख्या 4081 दिनांक 16.02.2026 के क्रम में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20-2-26

सरकार के अवर सचिव।

कृ०पृ०उ०......

E:\sunita\Madhav sir Related\Vidhan Sabha Related\Question & Answer.docs

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–09/2026 544 /, राँची, दिनांकः–20.2.26

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

20.2.26

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0स0)–09/2026 544 /, राँची, दिनांकः–20.2.26

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.2.26

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची।

मो० ताजुद्दीन, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–परि–02 का उत्तर :–

	प्रश्नकर्त्ता मो० ताजुद्दीन, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता श्री दीपक बिरूवा, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार
01	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिले के साहेबगंज से मनहारी (बिहार) एवं राजमहल से मानिकचक (पश्चिम बंगाल) से संचालित होने वाली फेरी घाट की बंदोबस्ती साहेबगंज झारखण्ड से होती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। साहेबगंज जिला से मनिहारी (बिहार) अन्तर्राज्यीय फेरी घाट की बंदोबस्ती माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के सी०डब्लू०जे०सी० सं०–4709/2020 एवं 5585/2003 में पारित न्यायादेश, जो सरकार के सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना झा०–76, दिनांक–08.08.2025 द्वारा समर्पित निर्देश के आलोक में बंदोबस्ती निम्नवत शर्तों के अधीन झारखण्ड राज्य का साहेबगंज जिला व बिहार राज्य का कटिहार जिला के माध्यम से बन्दोबस्ती की कार्रवाई की जा रही है। (क) साहेबगंज–मनिहारी (कटिहार) के बीच अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक नौघाटों की बन्दोबस्ती दो–दो वर्षों की होगी, जो क्रमानुसार जिला समाहर्त्ता, कटिहार एवं उपायुक्त, साहेबगंज के द्वारा क्रम बदलते हुए की जाएगी। (ख) झारखण्ड राज्य के सृजन की तिथि 15.11.2000 के बाद साहेबगंज–मनिहारी (कटिहार) अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक नौघाटों समूह की बन्दोबस्ती से प्राप्त आय के आधे हिस्से की राशि झारखण्ड सरकार द्वारा बिहार सरकार को हस्तान्तरित की जाएगी। (ग) इन दोनों राज्यों के अपने–अपने राज्य सीमा के अंतर्गत पड़ने वाले अन्य नौघाटों का बन्दोबस्ती अलग–अलग राज्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से अलग–अलग की जाएगी। (घ) अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक नौघाटों से प्राप्त आय का आधा हिस्सा एक–दूसरे राज्य को हस्तान्तरित किया जाएगा। राजमहल से मानिकचक (पश्चिम बंगाल) संचालित होने वाली अन्तर्राज्यीय फेरीघाट की बंदोबस्ती के संबंध में उक्त पत्र में तत्कालीन Secretary to Government, Local self Department, Bihar Government vide no.-518, dated-27.07.1954 द्वारा The Bengal Ferries Act, 1885 अन्तर्गत Public Ferry घोषित करते हुए फेरी का संचालन हेतु जिला दण्डाधिकारी, मालदा को प्राधिकृत किया गया है एवं सुरेश चन्द्र सरकार–बनाम–बिहार सरकार एवं अन्य में सी०डब्लू०जे०सी० सं०–4004/98 में दिनांक–15.05.98 को इन आशय का आदेश पारित किया गया कि जबतक अनुसूची–2 में वर्णित उक्त अधिसूचना पहली जून 1954 को किसी अन्य अधिसूचना के द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है, तबतक के लिए उपायुक्त, साहेबगंज के द्वारा की जाने वाली बन्दोबस्ती की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है।
02	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज फेरी घाट की बंदोबस्ती एक बार बिहार के कटिहार जिले से एवं एक बार झारखण्ड के साहेबगंज से की जाती है ;	स्वीकारात्मक।

03	क्या यह बात सही है कि राजमहल फेरी घाट की बंदोबस्ती पश्चिम बंगाल के मालदा जिला से की जाती है, राजमहल फेरी घाट की बंदोबस्ती झारखण्ड से नहीं होने के कारण राज्य सरकार का राजस्व की क्षति होती है;	स्वीकारात्मक।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राजमहल फेरी घाट की बंदोबस्ती साहेबगंज झारखण्ड से करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त उत्तर कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

24/02/26
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – परि०वि०(वि०स०प्र०)–10/2026 255 /राँची,दिनांक 24/02/26

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं० प्र०–3944, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/26
संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

ज्ञापांक – परि०वि०(वि०स०प्र०)– 10/2026 255 /राँची,दिनांक 24/02/26

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त, झारखण्ड राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव
परिवहन विभाग।

दिनांक–25.02.2026 को श्री उदय शंकर सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम्य–34 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री उदय शंकर सिंह, माननीय स०वि०स०	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिलान्तर्गत करमाटांड प्रखण्ड के डाला झरिया मेन रोड से भाया सलिया होते हुए बगदाहा तक 06 कि0मी0 सड़क का निर्माण 20 वर्षों से नहीं किए जाने के कारण, उक्त सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि करमाटांड प्रखण्ड के बाबूपुर से भाया पिंडारी कब्रिस्तान होते हुए घोषबाद मुख्य सड़क तक 03 कि0मी0 ग्रामीण सड़क 15 वर्षों से नहीं बनाए जाने के कारण अत्यंत जर्जर स्थिति में है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित सड़क का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पथों के मरम्मति कार्य के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–159/2026 ग्रा0का0वि0 627 राँची/दिनांक– 21/02/2026
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–4092, दिनांक–16.02.2026 के क्रम में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–159/2026 ग्रा0का0वि0 627 राँची/दिनांक– 21/02/2026
प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–159/2026 ग्रा0का0वि0 627 राँची/दिनांक– 21/02/2026
प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

श्री आलोक कुमार सोरेन, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या न–28 का उत्तर प्रतिवेदन,

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि हरमू हॉउसिंग कॉलोनी नियर आशा अपार्टमेंट, राँची के पास अवैध रूप से संचालित खटाल को हटाने हेतु अनुमण्डल कार्यालय, राँची के पत्रांक–1840, दिनांक–05.09.2020 तथा मुख्यमंत्री सचिवालय के पत्रांक संख्या–8508848, दिनांक–20.12.2023 द्वारा उक्त जगह से खटाल हटाने हेतु ओदश दिया गया था;	आंशिक स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि हर बार राँची नगर निगम के पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट के मिलीभगत से खटाल अभी तक नहीं हटाया गया है जिसके कारण प्लॉट सं०–LIG L40 में मवेशियों के मल–मूत्र को जमा किया जाता है, जिससे वहाँ के निवासियों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बोर्ड द्वारा आवंटित अल्प आय वर्गीय भूखण्ड सं०–एल.–40 के आवंटी को दिनांक–06.05.2025 को दखल–कब्जा दिया जा चुका है। आवंटी द्वारा उक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण कराया जा रहा है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में अविलम्ब उक्त जगह से अवैध खटाल को हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि राँची नगर निगम कार्यालय पत्रांक–1840 दिनांक–05.09.2020 के द्वारा हरमू हॉउसिंग कॉलोनी नियर आशा अपार्टमेन्ट, राँची के पास अवैध रूप से संचालित खटाल को हटाने हेतु प्रर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराने एवं एक दण्डाधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। राँची नगर निगम के पत्रांक–05/ENF दिनांक–14.02.2026 द्वारा संबंधित खटाल संचालकों को स्वतः 7 दिनों के अंदर खटाल हटाने हेतु निदेशित किया गया है। तदोपरांत दण्डाधिकारी की उपस्थिति में खटाल हटाने की विधिवत कार्रवाई की जानी है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–08/तारांकित–02/2026 न०वि०आ० 621 राँची, दिनांक–24/02/26

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०– ज्ञाप सं०–4175/वि०स० दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अवर सचिव, प्रभारी विधायी शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/02/26
सरकार के उप सचिव।

माननीय श्री अनन्त प्रताप देव, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला के धुरकी प्रखण्ड अंतर्गत अम्बाखोरेया मोड़ से कनहर नदी बालचौरा नदी तक लगभग 10 किलोमीटर पहुँच पथ के निर्माण नहीं होने के कारण दो राज्यों, तथा–झारखण्ड और छत्तीसगढ़ के नागरिकों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ; 2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	गढ़वा जिले को सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ से जोड़ने हेतु प्रश्नगत धुरकी ब्लॉक अंतर्गत बलचौरा गाँव के पास कनहर नदी पर उच्च स्तरीय सेतु निर्माण एवं संपर्क पथ (लंबाई–6. 235 कि0मी0) कार्य (भू–अर्जन सहित) की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक–677(s) दिनांक–01.02.2018 द्वारा प्रदान की गई थी। लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी कनहर नदी पर उच्च स्तरीय सेतु एवं पहुँच पथ निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है एवं वर्त्तमान में सेतु निर्माण संभाग अम्बिकापुर (छ0ग0) द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत झारखंड राज्य के तरफ कुल 229.00 मीटर लंबाई में पहुँच पथ निर्माण कार्य शामिल है। दोनों राज्यों यथा झारखण्ड एवं छत्तीसगढ़ द्वारा स्वीकृत योजनाओं का परस्पर अतिव्यापन (overlap) ना हो, को दृष्टिपथ रखते हुए पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के सापेक्ष अनुवर्त्ती कार्रवाई नहीं की गई। प्रश्नगत शेष अंश में पथ निर्माण हेतु विभाग द्वारा पूर्व से स्वीकृत योजना के पुनरीक्षण निमित्त मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची को निदेशित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–07/2026 (बजट सत्र) 578(S) राँची/दिनांक : 24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3798, दिनांक–12.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.2026

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती श्वेता सिंह, माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं० न०–14 का उत्तरः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि चास नगर निगम क्षेत्र में समुचित अंडरग्राउंड, सीवरेज प्रणाली के अभाव में घरों, प्रतिष्ठानों एवं अन्य स्रोतों से निकलने वाला दूषित जल खुले नालों के माध्यम से सीधे गरगा नदी में प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण गरगा नदी का प्रदूषण स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2022 में झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (JUIDCO) द्वारा चास नगर निगम क्षेत्र में अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम की स्थापना हेतु एक प्रारंभिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार किया गया था;	अस्वीकारात्मक।
3	यदि खदि खण्ड–1 एवं खण्ड–2 स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है तथा इस परियोजना के कब तक पूर्ण किए जाने की संभावना है;	संबंधित शहरी स्थानीय निकाय द्वारा गरगा नदी में प्रवाहित होनवाली दूषित नालियों की रोकथाम के लिए सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट का डी.पी.आर. परामर्शी के माध्यम से तैयार कराया गया है। तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन विभाग को प्राप्त होने के पश्चात निधि की उपलब्धता एवं योजना की उपयोगिता के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तत्काल चास नगर निगम द्वारा प्रवाहित होनेवाले प्रमुख नालों पर Screen Chamber & Silt Chamber का निर्माण शीघ्र प्रारंभ किया जायेगा, जिसके लिए निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। साथ ही, स्वच्छ गंगा मिशन के तहत् गरगा नदी का संरक्षण व संवर्द्धन के लिए जिला/ निकाय स्तर से उपायुक्त, बोकारो की अध्यक्षता में Multistake Holder Working Group का गठन किया गया है। उक्त समिति भी शीघ्र कार्य प्रारंभ करेगी।
4	उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गरगा नदी के बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से चास नगर निगम क्षेत्र में अंडरग्राउंड सीवरेज प्रणाली स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/वि०स० (ता०)–13/2026/न०वि०आ०–.....632..... राँची, दिनांक–24/02/26

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–3787/वि०स०, दिनांक–12.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.26

सरकार के अवर सचिव।

Avl_D_2026_Vidhan Sabha _8

माननीय श्री सुदीप गुड़िया, स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रशन सं०–'पथ–39' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
01. क्या यह बात सही है कि तोरपा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खूटी–कोलेबिरा मुख्य पथ के कतार मोड़ से सोनपुर भाया सुन्दारी, तिरला REO पथ का निर्माण वर्षों पूर्व किया गया है;	खूँटी जिला अन्तर्गत प्रश्नगत कतार मोड़ से सोनपुर भाया सुन्दारी, तिरला पथ, का **स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग अधीनस्थ है।** ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रश्नगत पथ के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया गया है।
02. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित REO पथ को PWD को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव काफी दिनों से लम्बित पड़ा है;	पथ निर्माण विभाग को संबंधित प्राधिकार से पथ हस्तांतरण हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।
03. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तोरपा विधान सभा क्षेत्र में उपरोक्त विषयों पर सरकारात्मक पहल कर प्रखण्ड तोरपा के कतारी मोड़ से सोनपुर भाया सुन्दारी, तिरला REO पथ को PWD को हस्तांतरित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत पथ के उन्नयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है। भविष्य में संबंधित प्राधिकार द्वारा कराये गये कार्य की Defect Liability अवधि समाप्त होने के पश्चात पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरान्त निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–41/2026 (बजट सत्र)–913(S)....राँची/दिनांक 24|02|26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–4184, दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय श्री जगत माझी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–24 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोईलकेरा प्रखंड अन्तर्गत गोईलकेरा बाजार से गुजरने वाली सड़क जो पूर्व में पथ प्रमंडल, मनोहरपुर के अधीन थी उसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है ; 2. क्या यह बात सही है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अधिग्रहित उक्त सड़क के आंशिक भाग इंदिरा चौक से साप्ताहिक हाट बाजार तक सड़क का निर्माण कार्य एनएचएआई द्वारा किए जाने के बावजूद उक्त हिस्से में दुबारा पथ प्रमंडल, मनोहरपुर द्वारा भूमि अधिग्रहण का नोटिस देने के बाद स्थानीय रैयतों में क्षोभ व्याप्त होने पर विकास कार्यों के प्रगति पर विशेष असर पड़ रहा है ; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त सड़क का अग्रिम प्रगति एनएचएआई द्वारा किए जाने का जनहित में विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत गोईलकेरा प्रखंड अन्तर्गत गोईलकेरा बाजार से गुजरने वाली पथ राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–NH-320D का अंश है, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की सम्पत्ति है। राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, झारखंड द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत NH पथांश में भू–अर्जन की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वर्तमान में NH-320D के गोईलकेरा से नन्दपुर चौक तक पथांश में Performance Based Maintenance Contract अंतर्गत पथ संधारण का कार्य कराया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा NH-320D के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 86.00 (चक्रधरपुर–गोईलकेरा–मनोहरपुर पथांश) को 2 Lane with Paved Shoulder में विकसित करने हेतु डी0पी0आर0 सूत्रण निमित्त Consultant बहाल करने की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–28 / 2026 (बजट सत्र) 713(2) राँची / दिनांक :– 24/02/2026

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3957, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.2026

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय श्री रोशनलाल चौधरी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–पथ–31 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1–क्या यह बात सही है कि चुटुपालू से रामगढ़–पतरातू–राँची पथ (मकदम चौक) तक का पथ निर्माण का कार्य प्रारंभ 7 वर्ष पूर्व हुआ था लेकिन अभी तक संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ; 2–क्या यह बात सही है कि उक्त पथ के निर्माण में विलम्ब के कारण आवागमन की समस्या बनी हुई है और सरकार को वित्तीय हानि भी हो रही है; 3–यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार चुटूपालू से रामगढ़– पतरातू–राँची पथ (मकदम चौक) तक का पथ निर्माण की जाँच कराते हुए दोषी संवेदक और पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत चुटुपालू से रामगढ़–पतरातू–राँची (मकदम चौक) पथ आरेखण विभागीय स्वामित्व अधीनस्थ मटकामा चौक–पाली–सांकी–चुटूपालु (लिंक रोड सहित) का पथांश है। जिसकी कुल लंबाई–25.19 कि०मी० है। योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भू–अर्जन एवं वन भूमि अपयोजन की प्रक्रियाओं में विलंब के कारण निर्धारित समय–सीमा अंतर्गत योजना पूर्ण नहीं हो पाया है। निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी भौतिक प्रगति 52.35 प्रतिशत है। वर्तमान में संबंधित वन प्रमंडल से आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए वन आच्छादित पथांशों में कार्य करने हेतु अनापत्ति प्राप्त कर ली गई है। दोनों जिलों में भू–अर्जन की प्रक्रिया अग्रिम चरणों में है एवं कुछेक मौजों में मुआवजा वितरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। भू–अर्जन प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए योजना के शेष कार्यों का निष्पादन यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–ता०प्र०–22/2026 (बजट सत्र)...2891(s)...राँची/दिनांक :24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3964, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.26

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम्य–17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री रामचन्द्र सिंह, माननीय स0वि0स0	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1. क्या यह बात सही है कि कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0 लातेहार के पत्रांक–1055, दिनांक–30.12.25 एवं दिनांक–08.01.26 द्वारा प्रासंगिक पत्र अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग, विशेष अंचल पलामू के पत्रांक–477, दिनांक–23.12.2025 को दर्शाते हुए मे0 साई ट्रेडर्स, जिला लातेहार से दो दिनों के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया कि अनके द्वार ई–निविदा संख्या–NREP/Latehar/32/2025 (Second Call) दिनांक–04.12.2025 में निविदा शर्तों के कंडिका–13 के अनुसार गलत शपथ पत्र जानबुझाकर निविदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से डाला गया है जिस कारण इन्हें क्यों नहीं Non Responsive करते हुए संवेदक निबंधन नियमावली 2015 के कंडिका–11 के उप कंडिका–11.1.2 के उल्लंघन के आरोप में निलंबन करने की कार्रवाई की जाय ;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि निविदा संख्या–NREP/LATEHAR/32/2025-26 (2nd Call) को अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू कार्यालय के पत्रांक–476, दिनांक–23.12.2025 के द्वारा तकनीकी कारणों से अमान्य पाये जाने के कारण निरस्त करते हुए पुर्ननिविदा हेतु 3rd Call के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार को दिया गया था। तद्नुसार पुर्ननिविदा आमंत्रित की गई है। वर्तमान में स्वीकृत योजना का निविदा निस्तार नहीं किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी न तो निलंबन की कार्रवाई की गई है ना ही खंड–1 में वर्णित निविदा का निस्तार किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू के पत्रांक–477, दिनांक–23.12.2025 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार से संवेदक निबंधन नियमावली 11 के उप कंडिका 11.1.2 के उल्लंघन करने के आरोप पर संवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु निदेश दिया गया था। जिसके अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, एन0आर0ई0पी0, लातेहार द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिसके आलोक में कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्पष्टीकरण के अवलोकनोपरान्त संवेदक का जवाब असंतोषजनक पाया गया। अतः नियमानसुार संवेदक नियमावली के आलोक में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है। तद्नुसार अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू कार्यालय के पत्रांक–87 दिनांक–17.02.2026 के द्वारा मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, झारखण्ड, राँची के कार्यालय को संबंधित संवेदक मे0 सांई ट्रेडर्स, लातेहार को संवेदक निबंधन नियमावली के तहत् आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा के साथ पत्र समर्पित की गई है। मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–266, दिनांक–18.02.2026 के द्वारा अभियंता प्रमुख, ग्रा0का0वि0, रांची को संवेदक मे0 सांई ट्रेडर्स, लातेहार के विरूद्ध अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु अनुशंसित किया गया है, सम्प्रति प्रक्रियाधीन है। वर्तमान मे वर्णित निविदा का निस्तार नहीं किया गया है।
3. यदि उपर्युक्त एवं खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संवेदक का निबंधन निलंबित करने के साथ–साथ दोनो पदाधिकारीयों के कार्यकलापों की समुचित जांच कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यूँ ?	उपर्युक्त कंडिका–1 एवं 2 में स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–140/2026 ग्रामीण कार्य विभाग 621 राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3816, दिनांक–14.02.2026 के आलोक में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026

(अश्विनी कुमार लाल दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–140/2026 ग्रामीण कार्य विभाग 621 राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि– मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05 (वि0स0–12)–140/2026 ग्रामीण कार्य विभाग 621 राँची, दिनांक 21/02/2026

प्रतिलिपि– विधान मण्डलीय प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026

सरकार के उप सचिव।

दिनांक–25.02.2026 को श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम्य–40 का उत्तर सामग्री

	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स०	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
	प्रश्न	**उत्तर**
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला एवं गोड्डा जिला के निम्न अंकित सड़को का निर्माण ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा 5 से 10 वर्ष पूर्व कराया गया था– **जिला–गोड्डा, प्रखण्ड पोड़ैयाहाट** 1–जामबाद से हरलीटीकर 2–चतरा से खोड़सिरिस 3–अडानी पायर से जजलपुर 4–घटवारी चौक से तरखुट्टा तक 5–तलझारी से कारी कादर तक 6–खरबन्नी से तरखुट्टा तक 7–RCD डांडे हाई स्कूल तक 8–पसई RCD रोड से कजरा तक **जिला–गोड्डा, प्रखण्ड गोड्डा** 1–Numbatta RCD road to kadwa village 2- NH road to Laxmi 3- Sarkanda Chowk to sakaranda village 4- Sundmara to teldiha 5- Godda pakur road to bankaghat via nipaniya 6- Sundmara deodanr road to Kundadah 7- Dudhiyapahari to pandaha **जिला–दुमका, प्रखण्ड सरैयाहाट** 1–बाबूपुर से वेलूडीह पथ 2–हसंडीहा–चोपा NH से मंडलडीह होते हुए खेजवा तक 3–गादी झोपा से बभनी तक 4–बिहार बोर्डर से लालपुर–फिटकोरिया तक।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या उपर्युक्त सड़कों की हालत एकदम जर्जर है जिससे आवागमन में लोगो को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त सड़कों को ग्रामीण कार्य विभाग में चल रही सड़क मरम्मति योजना के अंतर्गत अंकित सड़कों को मरम्मति करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय नीति एवं बजटीय उपबंध के आलोक में प्रश्नाधीन पथों के मरम्मति/सुदृढ़ीकरण कार्य के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–154/2026 ग्रा0का0वि0.....628.....राँची/दिनांक–.....21/02/2026

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–4170, दिनांक–17.02.2026 के क्रम में 250 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–154/2026 ग्रा0का0वि0.....628.....राँची/दिनांक–.....21/02/2026

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–05 (वि0स0–12)–154/2026 ग्रा0का0वि0.....628.....राँची/दिनांक–.....21/02/2026

प्रतिलिपि–सचिव कोषांग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026
सरकार के उप सचिव।

श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग्राम–05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री विकास कुमार मुण्डा, माननीय स0वि0स0	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि तमाड़ विधान सभा क्षेत्र के कांची नदी पर वर्ष 2021 में हाराडीह और बामलाडीह पुल टूट कर गिर गया है ;	स्वीकारात्मक। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत राँची जिला के सोनाहातु प्रखण्ड में गोमियाडीह एवं बामलाडीह के बीच काँची नदी पर पुल एवं राँची जिला के बुण्डू प्रखण्ड अंतर्गत हेट बुढ़ाडीह से हाराडीह–नवाडीह पथ में काँची नदी पर पुल वर्ष–2021 में क्षतिग्रस्त हो गये है।
2. क्या यह बात सही है कि आज तक उक्त पुलों के निर्माण कार्य नहीं होने के कारण लोगों को कई किलोमीटर अधिक यात्रा करनी पड़ रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दोनों पुलों के स्थान पर नया पुल बनाने का DPR बनाने का निदेश दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या विभाग शीघ्र उक्त पुलों के निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निधि की उपलब्धता एवं स्वीकृति के पश्चात् पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–146 / 2026 ग्रा0का0वि0.....601.....राँची, दिनांक.....21.02.2026.

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झा0वि0स0 को 200 प्रतियों में उनके ज्ञापांक–3674 दिनांक–10.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/2026

(अश्विनी कुमार लाल दास)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–146 / 2026 ग्रा0का0वि0.....601.....राँची, दिनांक.....21.02.2026.

प्रतिलिपि–मा0 मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग झारखण्ड के आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, झारखण्ड / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (समन्वय) विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21/02/2026
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– 05(वि0स0–12)–146 / 2026 ग्रा0का0वि0.....601.....राँची, दिनांक.....21.02.2026

प्रतिलिपि– सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.26
सरकार के उप सचिव।

माननीय श्री जयराम कुमार महतो, स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–36 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प0नि0वि0 द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 01–क्या यह बात सही है कि, जिला गिरिडीह एवं जिला बोकारो अंतर्गत NH-19 से टी0 मोड़ भाया गलागी, भेंडरा दहियारी, पोपलो होते हुए तारानारी टी0 मोड़ पथ की निर्माण प्रक्रियाधीन है; 02–क्या यह बात सही है कि डुमरी विधानसभा अंतर्गत के0बी0 रोड़ से नुरंगो (तिरंगा चौक) पथ निर्माण तो किया गया लेकिन उक्त पथ पर पड़ने वाली आज भी छः अदद् पुल संर्कीण होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है; 03–जिनके निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता गिरिडीह प्रमंडल द्वारा अभियंता प्रमुख को अग्रेतर कार्रवाई के लिए प्रेषित है ; 04–यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार NH-19 से टी0 मोड़ पथ तथा छः अदद् उच्चस्तरीय पुल निर्माण करना चाहती है, हां तो कब तक, नहीं, तो क्यो ?	प्रश्नगत प्रथम पथ का स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग अधीनस्थ है। • NH-19 (गलागी) से भेंडरा पथांश ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गिरिडीह अंतर्गत है। • शेष पथांश ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बोकारो अंतर्गत है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पथ के कुछेक पथांशों के संधारण हेतु कार्रवाई की गई है, जो वर्तमान में Defect Liability अंतर्गत है। भविष्य में संबंधित प्राधिकार द्वारा कराये गये कार्य की Defect Liability अवधि समाप्त होने के पश्चात पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरान्त नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा। पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व अधीनस्थ प्रश्नगत द्वितीय पथ, के0बी0 रोड़ से नुरंगो (तिरंगा चौक) में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से 6 अदद संर्कीण पुलों के स्थान पर नये उच्च स्तरीय सेतु निर्माण हेतु विभाग द्वारा डी0पी0आर0 सूत्रण की कार्रवाई की गई है, जो वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति की प्रक्रिया अंतर्गत है, तदोपरांत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–43/2026 (बजट सत्र) 796 (S) राँची/दिनांक :– 24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–4181, दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

मानीय श्रीमती ममता देवी, स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–'पथ–05' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
01. क्या यह बात सही है कि गोला से मुरी तक के पथ का कार्य क्लासिक इंजीकॉन प्रा०लि० द्वारा कराया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 14 करोड़ 88 लाख रू० है;	विभागीय स्वामित्व अधीनस्थ प्रश्नगत "गोला –मूरी (old alignment) पथ के चैनेज कि०मी० 0.00 से कि०मी० 1.50 एवं कि०मी० 9.25 से कि०मी० 14.50 कुल (लंबाई–6.75 कि०मी०)" की राईडिंग क्वालिटी में सुधार/मजबूतीकरण का कार्य प्रगति में है। वर्तमान में कार्य की भौतिक प्रगति 90% है।
02. क्या यह बात सही है कि उक्त संवेदक रामगढ़ जिला में बहुत से पथों का निर्माण उक्त संवेदक द्वारा कार्य लिया गया और बहुत से पथों का कार्य अभी तक अपूर्ण है एवं क्लासिक इंजीकॉन प्रा०लि० द्वारा पथों का गुणवत्ता विहिन कार्य किया जाता है;	कार्य का क्रियान्वयन प्रमंडलीय अभियंताओं के अनुश्रवण में कराया जा रहा है एवं किसी भी प्रकार की त्रुटि का निराकरण कार्यावधि में हीं करा लिया जाता है।
03. क्या यह बात सही है कि मेरे द्वार विभागीय मंत्री एवं मुख्य सचिव, विभागीय सचिव एवं अभियंता प्रमुख के साथ जिला के विभागीय पदाधिकारियों का बार–बार लिखित शिकायत दिया गया, दुर्भाग्यवश क्लासिक इंजीकॉन प्रा०लि० के कार्यों की न तो जांच हो पाई और न ही किसी प्रकार का विभागीय कार्रवाई हो पाया है;	साथ हीं विभागान्तर्गत स्थापित स्थायी प्रक्रियानुसार प्रश्नगत कार्य की गुणवत्ता की जाँच द्वि–स्तरीय गुण नियंत्रण के तहत् गुण नियंत्रण निदेशालय, राँची द्वारा करायी गई है एवं उक्त जाँच दल द्वारा निदेशित कतिपय Observations एवं Suggestions का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पथ प्रमंडल, रामगढ़ द्वारा Action Taken Report भी समर्पित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त कार्य की Defect Liability अवधि तीन वर्षों के लिए निर्धारित है।
04. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार क्लासिक इंजीकॉन प्रा०लि० के द्वारा किये गये कार्यों का जांच करते हुए काली सूची में डालने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पथ प्रमंडल, रामगढ़ अंतर्गत प्रश्नगत संवेदक को आवंटित पूर्व के सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

झारखण्ड सरकार

पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प०नि०वि०–11–ता०प्र०–05/2026 (बजट सत्र) 1196(S)-15 राँची/दिनांक :–24/02/26

प्रतिलिपि :–श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3582, दिनांक–10.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु०:–यथोक्त।

24.02.26

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, रामगढ़।

गाँधी चौक, रामगढ़ थाना के सामने, रामगढ़ कैन्ट, जिला– रामगढ़, झारखण्ड– 829122, ई-मेल– eeredramgarh-jhr@nic.in

पत्रांक......1285 (अ०) दिनांक 20.12.2025

प्रेषक :– राजीव रंजन कुमार मुण्डा,
कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमण्डल, रामगढ़।

Mail
Speed post

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
गुण नियंत्रण निदेशालय,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– द्वि–स्तरीय गुण नियंत्रण के तहत् गुण नियंत्रण द्वारा पथ अंचल, हजारीबाग अन्तर्गत पथ प्रमण्डल, रामगढ़ के अधीन प्रगतिशील योजनाओं का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–309 दिनांक–28.11.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में द्वि–स्तरीय गुण नियंत्रण के तहत् गुण नियंत्रण निदेशालय द्वारा पथ अंचल, हजारीबाग अन्तर्गत पथ प्रमण्डल, रामगढ़ के अधीन प्रगतिशील योजनाओं का निरीक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये बिंदुओं का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन (ATR) अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनु० :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

20/12/25

कार्यपालक अभियंता,
पु०नि०वि०, पथ प्रमण्डल, रामगढ़।

20/12/25

Name of Project :- **IRQP/Strengthening Work of Gola - Muri Road (Old Alingenment) Km 0.00 To 1.50 km & 9.25 to 14.50 (Total Length- 6.75 Km) under Road Division, Ramgarh.**

Inspection Date :- **12.11.2025**

ATR

	Suggestion	Compliance
1	All tests as per section 900 of MORTH's "Specifications for Road and Bridge Woks" (5the Revision) should be conducted and documented properly.	All tests a per section 900 of MORTH's "Specification & for Road and Bridge works" (5th Revision) has been conducted and documented properly.
2	Immediate removal of the dismantled pavement material is recommended. After clearance, proper flank/shoulder work should be carried out to maintain road integrity, prevent erosion, and ensure a safe and durable carriageway edge.	All dismantled pavement material removed. Flanks work in progress.
3	It is recommended that the safety feature in drainage hole of drain cover must be provided to mitigate the risk to public safety and maintain compliance with relevant safety standards.	Drainage hole in drain cover installed With relevant Safety Standards.
4	Regularly maintain road camber at the design gradient to ensure proper drainage and prevent erosion. Ensure DBM layer meets specified thickness, compensating any shortfall in the next bituminous layer. Conduct all site lab tests as per Section 900 of MoRTH (5th Revision) in Engineer and concerned AE & JE	Thickness of DBM layer measured at a regular interval and road camber maintained in BC layer.
5	Apply a fresh coat of paint to all signpost boards and gantry posts to enhance visibility, protect against corrosion, improve aesthetics, and extend their service life.	Fresh coat of Paint applied to all signpost boards and gantry post.
6	Provide paved/hard shoulders along steep slopes to prevent erosion and enhanced safety. The division should communicate with the competent authority and include this in current ongoing scheme.	Revise estimate under process.

20/11/2025

Executive Engineer
RCD, Road Division, Ramgarh

20/11/25

श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 23 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री योगेन्द्र प्रसाद, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि करोड़ों के लागत से कोलेबिरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कोलेबिरा खास, कोलेबिरा प्रखण्ड के ही अघरमा पंचायत बोलबा प्रखण्ड के बोलबा खास एवं पालेमुण्डा और समसेरा, टेठाईटांगर प्रखण्ड खास में वृहद् जल नल योजना बन कर पुर्ण तैयार है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कई वर्षो से उक्त वृहद् जल नल योजना से स्वच्छ पेयजल बंद है और नवनिर्मित टेठाईटांगर प्रखण्ड खास वृहद् जल नल योजना में कई गड़बड़ियों के कारण आच्छादित एरिया के कई घरों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि :– 1. **कोलेबिरा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना** का निर्माण माह– अगस्त 2017 में पूर्ण होने के उपरांत एकरारनामा के अनुसार संवेदक द्वारा उक्त योजना का संपोषण एवं रख रखाव किया गया। तदोपरांत दिनांक– 11.08.2020 को योजना का हस्तांतरण ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, कोलेबिरा को कर दी गयी है। 2. **अघरमा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना** का निर्माण माह– सितम्बर 2018 में पूर्ण होने के उपरांत संवेदक द्वारा सम्पोषण एवं रख–रखाव किया गया। तदोपरांत दिनांक– 31.10.2021 को योजना का हस्तांतरण ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, अघरमा को कर दी गयी है। 3. **बोलबा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना** का निर्माण माह– जुलाई 2020 में पूर्ण होने के उपरांत एकरारनामा के अनुसार संवेदक द्वारा उक्त योजना का संपोषण एवं रख रखाव किया गया। तदोपरांत दिनांक– 15.07.2022 को योजना का हस्तांतरण ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, बोलबा को कर दी गयी है। 4. **ठेठईटांगर वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना** का निर्माण कार्य पूर्ण है। नवनिर्मित ठेठईटांगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में आच्छादित क्षेत्र में अतिरिक्त Gate Valve का प्रावधान कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित किया जा रहा है। योजना का संचालन एवं रख–रखाव तथा त्रुटियों का निराकरण की कार्रवाई संवेदक द्वारा की जा रही है। क्रमांक 01, 02 एवं 03 में वर्णित हस्तांतरित योजनाओं का VWSC द्वारा संचालन करने में कठिनाई हो रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बन्द पड़े बृहल नल योजनओं के गड़बड़ियों या कमियों को ठीक	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

	कर उस क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना चाहती है और लापरवाह पदाधिकारियों पर कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–22/2026– 456 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 4178, दिनांक– 17.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–22/2026– 456 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/26
(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री शत्रुघ्न महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं०–न०–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (झमाडा) धनबाद से कार्यरत है;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि झमाडा, कर्मियों की कमी एवं संसाधनों की कमी के कारण पूर्ण क्षमता के साथ कार्य नहीं कर रही है;	अस्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है, कि झमाडा के कार्यरत लगभग 200 कर्मियों का 32 माह का वेतन बकाया है तथा सेवानिवृत लगभग 800 कर्मियों का सेवानिवृति का सेवानिवृति राशि 2010 से बकाया है;	आंशिक स्वीकारात्मक । झमाडा में कार्यरत 167 कर्मियों का वेतन एवं सेवानिवृत 1093 कर्मियों का सेवानिवृति पावना राशि बकाया है। प्राधिकार द्वारा अपने आंतरिक आय स्रोत एवं बाजार फीस अन्तर्गत स्थापना मद में प्राप्त आवंटित राशि से कर्मियों को लगभग प्रतिमाह वेतन का भुगतान तथा सेवानिवृति बकाये पावनाओं का भुगतान रू० 50,000/– के मासिक किस्तों में किया जा रहा है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झमाडा में कर्मियों की नियुक्ति तथा कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मियों का बकाया भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–01/वि०सं०प्र० (तारा०)–02/2026 न०वि०आ० 619 राँची, दिनांक– 24/02/26

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० प्र०–4173 दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अवर सचिव, प्रभारी विधायी शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/26.
सरकार के उप सचिव।

माननीय स0वि0स0, श्री जिग्गा सुसारन होरो द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 ग्राम–04 का उत्तर प्रतिवेदन –

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
माननीय स0वि0स0, श्री जिग्गा सुसारन होरो	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
01. क्या यह बात सही है कि गुमला जिलान्तर्गत बसिया प्रखण्डाधीन कोयल नदी में बना उच्च स्तरीय पुल (बसिया और कोनबीर को जोड़ने वाली) अति जर्जर, सकरा होने के कारण और दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है;	स्वीकारात्मक।
02. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पुल पर कई बार दुर्घटना होने से सैकड़ों यात्री अपना जान गवां चुके है जिससे ग्रामीणों एवं यात्रियों का पुल से यात्रा करने में भय महसूस होता है;	स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ग्रामीणों के यात्रियों की जानमाल की सुरक्षा हेतु पुल का नव–निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रस्तावित पुल निर्माण स्थल State Highway के अंतर्गत आता है, अतएव मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनान्तर्गत प्रस्तावित स्थल पर पुल निर्माण कार्य कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक:– 06 (वि0स0)–53/2026/ग्रा0का0वि0 623 राँची, दिनांक – 21/02/2026

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–3576 वि0स0 दिनांक–10.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.02.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 06 (वि0स0)–53/2026/ग्रा0का0वि0 623 राँची, दिनांक – 21/02/2026

प्रतिलिपि:–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:– 06 (वि0स0)–53/2026/ग्रा0का0वि0 623 राँची, दिनांक – 21/02/2026

प्रतिलिपि:–विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

21.02.2026

सरकार के उप सचिव

माननीय श्रीमती मंजू कुमारी, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–'पथ–37' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 01. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत देवरी प्रखंड के नेकपुरा से देवरी थाना मोड भाया असको का पथ अत्यंत जर्जर एवं बड़े–बड़े गढ़े है; 02. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित ग्रामीण पथ को पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित कर सुदृढीकरण एवं सुंदरीकरण करने से स्थानीय लोगों के साथ–साथ बड़े–बड़े वाहनों के आवागमन में भी सुविधा होगी; 03. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खंड एक में वर्णित पथ को ग्रामीण पथ से पथ निर्माण विभाग में हस्तांतरित करते हुए निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यूँ ?	गिरिडीह जिला अन्तर्गत प्रश्नगत देवरी प्रखंड के नेकपुरा से देवरी थाना मोड भाया असको पथ, **का स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग अधीनस्थ है।** ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा प्रश्नगत पथ का निर्माण कार्य कराया गया है, जो वर्तमान में Defect Liability अवधि में है। भविष्य में संबंधित प्राधिकार द्वारा कराये गये कार्य की Defect Liability अवधि समाप्त होने के पश्चात पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरान्त नेटवर्क के दृष्टिपथ उपयोगिता एवं निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–42 / 2026 (बजट सत्र) 795 (5) राँची / दिनांक :– 24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–4182, दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.26

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती पूर्णिमा साहू, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–16 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर में स्वच्छ जलापूर्ति के लिए मोहरदा जलापूर्ति में फेज–3 के अंतर्गत डबल्यूटीपी के क्षमता संवर्धन के लिए 40 एमएलडी क्षमता के नये इंटेक वेल का निर्माण समेत अन्य कार्य किये जाने है;	स्वीकारात्मक। मोहरदा जलापूर्ति फेज–3 के अंतर्गत डबल्यूटीपी के क्षमता संवर्धन हेतु 50 MLD क्षमता के इंटेक वेल सहित अन्य निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि 67,36,42,900/– पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त प्राक्कलन विभाग को प्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि मोहरदा जलापूर्ति योजना को पीपीपी मोड में पुनर्जीविकरण, जीर्णोद्धार, संचालन, रख रखाव हेतु व्यय के 60 प्रतिशत हिस्से की मंजूरी जुस्को लिमिटेड (अब टीएसयूआइएसएल, टाटा स्टील लि०) द्वारा दे दी गयी है;	स्वीकारात्मक। टाटा स्टील लि० की अनुषंगी इकाई TSUISL, जमशेदपुर के पत्रांक–W/WWS/W-48/001/26 दिनांक–06.01.2026 द्वारा मोहरदा जलापूर्ति में फेज–3 में होनेवाले व्यय का 60% जुस्को (वर्त्तमान TSUISL) द्वारा वहन करने की सहमति इस शर्त के साथ दी गई है कि कम्पनी लागत साझाकरण दृष्टिकोण पर विचार करेगी, जो संबंधित बोर्ड की स्वीकृति के अधीन होगा।
3	क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के द्वारा इससे संबंधित प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा जा चुका है;	स्वीकारात्मक। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पत्रांक–460 दिनांक–09.02.2026 द्वारा मोहरदा जलापूर्ति फेज–III के अंतर्गत डबल्यूटीपी के क्षमता संवर्धन हेतु 50 MLD क्षमता के इंटेक वेल सहित अन्य निर्माण कार्य किये जाने हेतु प्राक्कलित राशि 67,36,42,900/– पर तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त प्राक्कलन विभाग को प्राप्त है। निधि की उपलब्धता के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपने हिस्से की 40 प्रतिशत राशि (सरकार के संकल्प सं०–4189 दिनांक–01.08.2016 के अनुसार 60 प्रतिशत जुसको लि० तथा 40 प्रतिशत जमशेदपुर अ०क्षे०स०) की मंजूरी देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका– 2 एवं 3 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।च

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/वि०स० (ता०)–16/2026/न०वि०आ० 631 राँची, दिनांक–24/02/26

प्रतिलिपि:–झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–3948/वि०स० दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अवर सचिव, प्रभारी विधायी शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

M.K./D/Vidhan Sabha Letter/ 242

श्री राज सिन्हा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं० न०–27 का उत्तरः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022 में 1 करोड 56 लाख की लागत से बने मोहलबनी मुक्तिधाम स्थित विद्युत शवदाह गृह विगत तीन वर्षो से 65 हजार के क्वॉयल के जल जाने के कारण बंद अवस्था में पड़ा हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक। धनबाद नगर निगम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में मोहलबनी विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कार्य कराया गया। निगम को दिनांक–18.09.2023 को सूचना प्राप्त हुआ कि विद्युत शवदाह गृह का हीटर खराब है, जो अभी बंद अवस्था में है। क्वॉयल एवं विद्युत शवदाह गृह में अन्य विद्युत यांत्रिक उपकरणों के मरम्मत में कुल 14,38,026.00 राशि का व्यय अनुमानित है।
2	क्या यह बात सही है कि धनबाद के मटकुरिया में भी विद्युत शवदाह गृह दो वर्ष पूर्व संवेदक द्वारा अधूरा निर्माण कर छोड़ देने के कारण स्थानीय आमजन को कठिनाईयाँ हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मटकुरिया विद्युत शवदाह गृह निर्माण कार्य बंद रहने के कारण अंतिम मापी कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा प्राप्त कर शेष बचे कार्य नगर निकाय चुनाव, 2026 के पश्चात बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड–1 एवं खंड–2 में वर्णित विद्युत शवदाह गृह का अविलम्ब निर्माण कराकर चालू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यूँ?	खण्ड–1 एवं खण्ड–2 के आलोक में नगर निकाय चुनाव, 2026 के कारण प्रभावी आदर्श आचार संहिता की समाप्ति के पश्चात निगम के बोर्ड की बैठक में निर्णय के आधार पर कार्य कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/वि०स० (ता०)–27/2026 न०वि०आ० ....625....   राँची, दिनांक 24/02/26

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञापांक–4174/वि०स०, दिनांक–17.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

Ari_B_2026_Vidhan Sabha _27

माननीय श्री सरयू राय, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–पथ–32 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि पत्रांक–3154(S)WE, दिनांक 02.08.2024 द्वारा रिक्ति को आधार तिथि मानते हुए पथ निर्माण विभाग ने अपने नियंत्रणाधीन राज्य अभियंत्रण सेवा में सहायक अभियंता की औपबंधिक वरीयता प्रकाशित किया है, जो बिहार सरकार के पत्रांक–15784, दिनांक 26.08.1972 के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परामर्श के अनुसार है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि औपबंधिक वरीयता सूची में प्रोन्नत सहायक अभियंताओं को सीधी भर्ती से नियुक्त अभियंताओं से वरीय बना दिया गया है, जबकि सीधी भर्ती वाले सहायक अभियंताओं की रिक्ति की आधार तिथि 01.01.2019 है और प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त सहायक अभियंताओं के रिक्ति की तिथि 31.12.2022 है;	कार्मिक विभाग, बिहार के पत्रांक–15784, दिनांक–26.08.1972 में निहित प्रावधानों के आलोक में पथ निर्माण विभाग में प्रोन्नत एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक अभियंताओं के लिए विभागीय पत्रांक–3154 दिनांक–02.08.2024 द्वारा औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित किया गया है। यह प्रकाशित वरीयता सूची मात्र औपबंधिक है। उक्त प्रकाशित औपबंधिक वरीयता सूची के विरूद्ध अत्यधिक संख्या में आपत्तियाँ प्राप्त हुई है, जिनकी समीक्षा हेतु अंतर्विभागीय समिति का गठन करने की कार्रवाई वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। अंतर्विभागीय समिति द्वारा उक्त आपत्तियों के समीक्षोपरांत अनुशंसित बिन्दुओं एवं झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति एवं अन्य शर्तें नियमावली, 2025 में प्रवृत्त शर्तों के सापेक्ष विधि विभाग से परामर्श प्राप्त कर अंतिम वरीयता सूची प्रकाशित की जाएगी।
3. क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त वरीयता सूची त्रुटिपूर्ण है; 4. यदि उपर्युक्त कंडिकाओं के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार औपबंधिक वरीयता सूची की त्रुटियों को दूर कर सीधी भर्ती वाले सहायक अभियंताओं को प्रोन्नत सहायक अभियंताओं से वरीय करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प0नि0वि0–11–ता0प्र0–21/2026 (बजट सत्र).803(3).राँची/दिनांक :–24/02/2026

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3965 दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री कुमार उज्जवल, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 12 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री योगेन्द्र प्रसाद, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि, क्या बात सही है कि चतरा अंतर्गत सिमरिया विधान सभा क्षेत्र के टंडवा प्रखण्ड में यहाँ के उद्योगों द्वारा जल अत्यंत प्रदूषित हो गया है, जिससे स्थानीय जनता को स्वच्छ पेयजल के अभाव में स्वच्छ व शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बिमारियों से सामना करना पड़ रहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि चतरा जिला के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टण्डवा प्रखण्ड में शुद्ध पेयजलापूर्ति के उद्देश्य से DMFT मद द्वारा पोषित "सम्पूर्ण टण्डवा प्रखण्ड अच्छादित ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना" का निर्माण कराया जा रहा है। वर्त्तमान में उक्त योजना का 68 % कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जबकि शेष कार्य प्रगति पर है। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त MVS जलापूर्ति योजना में Water Treatment Plant (W.T.P) सहित अन्य अधिष्ठापित अवयवों के माध्यम से आवश्यक रासायनिक तत्वों के द्वारा पानी को पूर्ण रूपेण शुद्ध कर पेयजलापूर्ति की जायेगी। वर्त्तमान में इस क्षेत्र में कुल– 1966 अदद् चालू नलकूप एवं 01 अदद् MVS (तेलियाडीह ग्रामीण जलापूर्ति योजना) से जलापूर्ति की जा रही है। साथ ही उक्त क्षेत्र में 14वें एवं 15वें वित्त आयोग से निर्मित जलापूर्ति योजना तथा NTPC एवं CCL के द्वारा जलापूर्ति योजना भी संचालित है। उक्त क्षेत्र में वर्णित साधनों से जिला जल जाँच प्रयोगशाला के माध्यम से जल नमूनों का नियमित जाँच कराकर शुद्ध पेयजलापूर्ति की जा रही है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार टण्डवा प्रखण्ड के आम लोगों को शुद्ध पानी पिलाने के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु आधुनिक वाटर रिफाइनरी (वाटर ट्रीटमेंट प्लांट) स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–12/2026– 461 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 3776, दिनांक– 12.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–12/2026– 461 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

माननीय स0वि0स0, श्री जगत मांझी द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 पथ–41 का उत्तर प्रतिवेदन –

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
माननीय स0वि0स0, श्री जगत मांझी	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग।
1– क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के गोईलकेरा और आनन्दपुर प्रखंडों को जोड़ने वाली समीज पुलिया एक तरफ से धंसने के कगार के कारण दोनों प्रखंडों की कनेक्टिविटी प्रभावित होने जा रही है;	अस्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि उक्त महत्वपूर्ण पुलिया कमजोर हो जाने के कारण राहगीरों के लिए गंभीर दुर्घटना का खतरा बना हुआ है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त महत्वपूर्ण पुल का मजबूतीकरण/सुदृढ़ीकरण करवाकर प्रभावित ग्रामीणों के हालात में सुधार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यूँ?	प्रश्नांकित पुल की जाँच हेतु मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची के आदेश सं0–288 दिनांक–21.02.2026 द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, राँची की अध्यक्षता में जाँच दल का गठन किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांकः– 6 (वि0स0)–57/2026/ग्रा0का0वि0 613 राँची, दिनांक – 21/02/2026

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–4186 वि0स0 दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.02.2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 6 (वि0स0)–57/2026/ग्रा0का0वि0 613 राँची, दिनांक – 21/02/2026

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24.02.2026
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः– 6 (वि0स0)–57/2026/ग्रा0का0वि0 613 राँची, दिनांक – 21/02/2026

प्रतिलिपिः–विधान मण्डलीय प्रशाखा, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा–5 (विधान मण्डलीय कार्य), ग्रामीण कार्य विभाग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24.02.2026
सरकार के उप सचिव

श्री जनार्दन पासवान, माननीय स०वि०स० के द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या – ग्राम – 13 का उत्तर।

प्रश्न कर्त्ता – श्री जनार्दन पासवान, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा।	उत्तर दाता– श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि, चतरा जिला में मनरेगा अन्तर्गत रोजगार सेवक पद के लिए (कुल – 30) विज्ञापन संख्या – 01/2023–24 प्रकाशित की गई थी, जिस तहत पत्रांक – 667/जि०ग्रा०वि०शा० दिनांक 08.05.2025 द्वारा अंतिम परिणाम प्रकाशित कर चतरा प्रशासन के Website पर अपलोड की गई;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि चयनित मेधा सूची से मात्र 07 अभ्यर्थी योगदान दिए अथवा कार्यरत है, शेष को उचित कारण अन्तर्गत हटा दिया गया है तथा अभी रिक्त पद लगभग 23 है, साथ ही प्रकाशित परिणाम तहत प्रतीक्षा सूची में 30 अभ्यर्थी का पैनल है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि नियुक्ति नियमावली के अनुसार यदि चयनित मेधा सूची से कोई अभ्यर्थी सेवा में योगदान नहीं देते हैं तो प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को मौका मिलना चाहिए था जो चतरा जि०ग्रा०वि०अभि० द्वारा 6 माह बीत जाने के बाद भी अबतक नहीं दी गई है;	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में कोटिवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को योगदान दिलाने हेतु जिला प्रशासन चतरा को निदेश देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपायुक्त, चतरा के पत्रांक – 295 दिनांक 20.02.2026 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पालिका (आम) 2026 चुनाव सम्पन्न होने के पश्चात शेष रिक्त पदों पर कोटिवार चयन प्रतीक्षा सूची से कर ली जाएगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक –मनरेगा–032/विधान सभा/2026 (N) 263 राँची, दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या – 3970 दिनांक 14.02.2026 के संदर्भ में अतिरिक्त 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/02/26
(ब्रजेन्द्र हेमरोम)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक –मनरेगा–032/विधान सभा/2026 (N) 263 राँची, दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि – माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव/ अपर सचिव (प्रशाखा – 03), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/02/26

विशेष कार्य पदाधिकारी।

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–परि–01 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बगोदर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत सरिया बाजार एक बड़ा व्यवसायिक मंडी है, जिससे प्रतिदिन हजारों व्यवसायिक वाहनों एवं यात्री गाड़ियों का परिचालन होता है, यहाँ बस पड़ाव एवं यात्री सुविधा के अभाव में यात्रियों को सरिया झंडा चौक में ही चढ़ना–उतरना पड़ता है, जिससे सरिया बाजार हमेशा जाम बना रहता है, जो व्यवसाय पर प्रतिकूल असर डालता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि प्याऊ एवं शौचालय के अभाव में महिला यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। भूमि की अनुपलब्धता के कारण शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है, किन्तु यात्री बस ठहराव से लगभग 400 मीटर की दूरी पर बड़की सरैया नगर पंचायत द्वारा शौचालय का निर्माण कराया गया है, जिसकी देख–रेख एवं साफ–सफाई बड़की सरैया नगर पंचायत द्वारा करायी जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार थाना रोड सरिया में अवस्थित पथ प्रमण्डल के खाली जमीन को हस्तांतरित कर बस स्टैण्ड एवं अन्य जरूरी यात्री सुविधाओं का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	बड़की सरैया नगर पंचायत अन्तर्गत बस स्टैण्ड निर्माण के निमित्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु बड़की सरैया नगर पंचायत का पत्रांक–391 दि०–18.03.2025 द्वारा अंचल अधिकारी, सरिया तथा पत्रांक–1090 दिनांक–17.10.2025 एवं पत्रांक–547 दिनांक–18.02.2026 द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह से अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त निधि की उपलब्धता एवं योजनाओं की उपयोगिता के आलोक में प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–05/वि०स० (ता०)–19/2026 न०वि०आ० 623 राँची, दिनांक 24/02/26

प्रतिलिपि:–झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप सं०–3758/वि०स० दिनांक–12.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अवर सचिव, प्रभारी विधायी शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

24/2/26
सरकार के उप सचिव।

M.K./D/Vidhan Sabha Letter/255

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या न–24 का उत्तर :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि केसरे हिंद की जमीन पर कार्यपालक पदाधिकारी गढ़वा द्वारा 84 दुकानें बनाकर नियम/प्रावधान के विपरीत दुकानदारों को आवंटित कर दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि नगर विकास विभाग के अवर सचिव ने गढ़वा DC को जांच करने का निर्देश दिया था, जांच रिपोर्ट से प्रमाणित हुआ कि भूमि नगर परिषद की नहीं बल्कि केसरे हिंद की है;	स्वीकारात्मक।
03	क्या यह बात सही है कि दुकान आवंटन के लिए अस्पष्ट और अधूरा विज्ञापन प्रकाशित किया गया तथा दुकानों का आवंटन बड़े व्यवसायी, डॉक्टर और जमीन जैसे पेशेवर लोगों को किया गया;	नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–575 दिनांक–20.02.2026 के आलोक में उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक–74 दिनांक–20.02.2026 के द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। तदालोक में विभागीय पत्रांक–627 दि०–24.02.26 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से संबंधित दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा बरती गई अनियमितताओं के संबंध में झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के प्रावधानानुसार आरोप गठित कर अग्रेतर विभागीय कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराने तथा दुकान आवंटन के संबंध में यथा–आवश्यक कार्रवाई करते हुए विभाग को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार केसरे हिंद की जमीन पर निर्मित दुकानों का नियम विरूद्ध आवंटन करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए, उक्त निर्मित दुकानों का आवंटन फुटपाती या छोटे व्यवसायियों को करते हुए या केसरे हिंद की जमीन खाली कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–08/तारांकित–01/2026 न०वि०वि०......629 रॉंची, दिनांक 24/02/26

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉंची के ज्ञाप सं० प्र०–4104 दिनांक–16.02.2026 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/अवर सचिव, प्रभारी विधायी शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

rk_D_2026_Vidhan Sabha _9

श्री प्रदीप प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–न–06 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग शहरवासियों को छड़वा डैम से पेयजल आपूर्ति किया जा रहा है, लेकिन इसके फिल्टर संयंत्र की नियमित साफ–सफाई नहीं की जा रही है, जिससे शुद्ध और गुणवक्तायुक्त पेयजल शहरवासियों को नहीं मिल पा रहा है;	छड़वा डैम से हजारीबाग शहरवासियों के लिए प्रतिदिन 16 MLD पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। एकरारनामा के अनुसार फिल्टर संयंत्र की सफाई वर्षा ऋतु (जुलाई से अक्टूबर) में प्रतिमाह तथा नवंबर से जून अवधि में प्रत्येक तीन माह पर की जाती है। इसी क्रम में दिसंबर माह में संयंत्र की निर्धारित प्रक्रिया के तहत सफाई की गई है। उक्त कार्य की जांच कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, हजारीबाग के ज्ञापांक–1310, दिनांक–26.12.2025 के आलोक में सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा उपायुक्त, हजारीबाग के निर्देशानुसार, कर ली गई है। TDS, PH एवं अन्य सभी मापदंड अनुमेय सीमा (Permissible Limit) के अंतर्गत पाए जाने के उपरांत ही जलापूर्ति की जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त फिल्टर संयंत्र में उचित एवं पर्याप्त मात्रा में सफाई रसायनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और न ही प्रतिदिन आपूर्ति किये जा रहे पेयजल का TDS और PH की मात्रा मापी जा रही है और न ही इस संदर्भ में प्रतिदिन कोई डाटा रखा जा रहा है और जो एजेन्सी उक्त पेयजल की आपूर्ति का कार्य कर रही है उसका भी कार्य काफी असंतोषजनक और जनसामान्य के हित में नहीं है ;	वर्तमान में छड़वा डैम से जलापूर्ति हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में शुद्धिकरण रसायनों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, टीडीएस (TDS) एवं पीएच (PH) स्तर सहित अन्य मापदंडों की जांच रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेबोरेट्री (NABL) से प्राप्त होने के उपरांत ही पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। रसायनों के उपयोग से संबंधित लॉग बुक प्रतिदिन साइट पर उपलब्ध कर्मी द्वारा संधारित की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त एजेन्सी की जाँच करवाते हुए उसे काली सूची में डालते हुए योग्य, नई एजेन्सी का चयन करवाते हुए शुद्ध पेयजलापूर्ति करवाने का विचार रखती है ताकि हजारीबाग की जनता को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति हो सके, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1 में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक:–5/वि०स० (ता०)–06/2026/न०वि०आ० 618 राँची, दिनांक– 24/02/26

प्रतिलिपि:–झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को ज्ञाप सं०–3779/वि०स० दिनांक–12.02.2026 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

M.K./D/Vidhan Sabha Letter/ 241

श्री सुरेश पासवान, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक– 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या पेय– 09 का उत्तर :–

क्या मंत्री, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		श्री योगेन्द्र प्रसाद, विभागीय मंत्री द्वारा दिए जाने वाला उत्तर :–
1.	क्या यह बात सही है कि, देवघर जिला के देवघर विधान सभा क्षेत्र में कई हजार चापाकल मरम्मति के अभाव में खराब पड़ा जिससें पेयजल की घोर समस्या हो गई है;	अस्वीकारात्मक। देवघर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 5567 अदद् चापाकल चालू अवस्था में है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन के तहत देवघर विधान सभा क्षेत्र में 1161 अदद् एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से जलापूर्ति की जा रही है। क्षेत्र विभागीय मापदण्ड के अनुसार पूर्णरूप से आच्छादित है।
2.	क्या यह बात सही है कि चापाकल मरम्मति के लए विभाग के पास पाईप, हेड, हेन्डील एवं अन्य मरम्मति का समान उपलब्ध नहीं है;	चापाकल के साधारण मरम्मति का कार्य किया जा रहा है एवं इस कार्य हेतु हेड, हेन्डील एवं अन्य सामग्री उपलब्ध है। Spare Parts के क्रय हेतु निविदा की गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चापाकल मरम्मति के लिए सामग्रियाँ को उपलब्ध करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–09/2026– 459 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक– 3773, दिनांक– 12.02.2026 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– 7/ता०प्र०– 01–09/2026– 459 राँची, दिनांक :– 21/02/26

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, प्रशाखा– 5, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीव कुमार चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

श्री भूषण बड़ा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं० न०–21 का उत्तरः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला शहरी क्षेत्रों में Drainage & Serverage System चरमरा गई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। सिमडेगा नगर परिषद द्वारा अबतक 87 नालियों का निर्माण कराया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था नदारद है, कचरा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है साथ ही स्ट्रीट लाइट अक्सर रोशन विहीन रहती है जिसके कारण जनता को कई तरह की गंभीर समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है;	1. शहर की साफ–सफाई चयनित एजेन्सी के द्वारा किया जाता है। एजेन्सी के कार्यों का पर्यवेक्षण विभाग द्वारा नियुक्त PMC के द्वारा ससमय किया जा रहा है। साफ–सफाई से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर निकाय द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। 2. सिमडेगा नगर परिषद के अंतर्गत मुख्य सड़कें, डीसी कार्यालय– प्रिंस चौक से झूलन चौक तक, समटोली रोड, खैरन टोली रोड, सिमडेगा कॉलेज रोड और अन्य वार्डों में खंभों सहित 275 स्ट्रीट लाईटों तथा मौजूदा खंभों पर 750 स्ट्रीट लाईटें लगाई गई हैं। आगे भी स्ट्रीट लाईटों का अधिष्ठापन कार्य प्रगति पर है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में सकारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सिमडेगा नगर परिषद् अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के जन निजी भागीदारी पद्धति पर क्रियान्वयन हेतु रु० 103.67 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। शहर की साफ–सफाई हेतु PPP Mode पर Concessionaire का चयन किया जा चुका है। ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु प्लांट निर्माण कार्य शीघ्र किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांकः–5/वि०स० (ता०)–24/2026 न०वि०आ० ......626...... रॉची, दिनांक 24/02/26

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉची को उनके ज्ञापांक–4101/वि०स०, दिनांक–16.02.2026 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/26

सरकार के उप सचिव।

Avl_B_2026_Vidhan Sabha _15

माननीय श्री मनोज कुमार यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–पथ–14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत चंदवारा प्रखण्ड के एन०एच०–20 चंदवारा वाया पुरना थाम से बृंदा RCD पथ तक में कई ग्रामों के ग्रामीण का आवागमन का मुख्य मार्ग है; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ के प्रवेश स्थल चंदवारा में NHAI द्वारा वॉल बैरियर लगा दिया गया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित है; 3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड एक में वर्णित पथ पर NHAI द्वारा लगाए गए वॉल बैरियर को हटाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	प्रश्नगत पथ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा कराये गये कार्य से संबंधित है, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की संपत्ति है। महाप्रबंधक (तकनीकी), NHAI द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत पथ खण्ड में NH मुख्य मार्ग में सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण क्रैश बैरियर अधिष्ठापन किया गया है। परियोजना अंतर्गत ग्रामीणों के सुरक्षित आवागमन के लिए सर्विस रोड का निर्माण कार्य कराया गया है एवं एक निर्धारित अन्तराल पर Median Opening प्रदान की गई है। प्रश्नगत पथ खण्ड में क्रैश बैरियर का प्रावधान नहीं किये जाने की स्थिति में मुख्य NH मार्ग पर चलने वाले वाहनों एवं सर्विस रोड से आने वाले वाहनों के बीच टकराव की आशंका बनी रहेगी।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प०नि०वि०–11–ता०प्र०–08 / 2026 (बजट सत्र) 1283 (S)....राँची / दिनांक 24/02/26

प्रतिलिपि :–श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3796, दिनांक–12.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय श्री हेमलाल मुर्मू, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–'पथ–02' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	
01. क्या यह बात सही है कि वर्ष 2026 में राज्य के विभिन्न जिलों में बेहतर सड़क सम्पर्क और कम समय में जाममुक्त सफर मुहैया कराना है, जिसमें पथ निर्माण विभाग ने कई महत्वपूर्ण सड़को को चिन्हित किया है, जिसका पूर्ण निर्माण, चौड़ीकरण और मरम्मत कार्य किया जाएगा ; 02. क्या यह बात सही है कि इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है जिसमें 70 परियोजनाओं पर 2000 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा, परन्तु पाकुड़ जिला के पिछड़े क्षेत्र में ऐसी कम योजनाएँ शामिल है ; 03. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसी योजनाओं का शतप्रतिशत काम पूरा कराने एवं पाकुड़ जिला के पिछड़े प्रखंडों में ऐसी योजनाओं का लागू करने और ऐसी योजनाओं का व्योरा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	पथ निर्माण विभाग द्वारा राज्य के सभी प्रक्षेत्रों में पथ अवसंरचना के विकास के लिए राज्य योजना मद के उदव्यय अंतर्गत उपलब्ध निधि के सापेक्ष राजकीय राजमार्गों, मुख्य एवं अन्य जिला पथों के उन्नयन एवं संधारण कार्य कराया जाता है। विभाग द्वारा विगत 05 (पाँच) वर्षों में पाकुड़ जिला अंतर्गत पथ एवं पुल अवसंरचनाओं के उन्नयन एवं संधारण हेतु वृहत् पैमाने पर योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त अग्रिम योजना के तहत पथ नेटवर्क के दृष्टिपथ अन्य प्राधिकारों के स्वामित्व अधीनस्थ महत्वपूर्ण पथों के उन्नयन निमित्त डी0पी0आर0 सूत्रण की कार्रवाई की जा रही है, जिन्हें भविष्य में निधि की उपलब्धता/सीमित बजटीय उपबंध अनुरूप चरणबद्ध तरीके से विकसित करने पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प0नि0वि0–11–ता0प्र0–02/2026 (बजट सत्र) 1125(S).....राँची/दिनांक :– 24/02/2026

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3539, दिनांक–09.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.26

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय श्री शत्रुघ्न महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रशन सं0–'पथ–40' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 01. क्या यह बात सही है कि, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा चौक बाघमारा से बंसती चौक खानुडीह होते हुए जमुनिया पुल तक पथ की स्थिति काफी जर्जर है; 02. क्या यह बात सही है कि खंड–1 में वर्णित सड़क अत्यंत व्यस्त सड़कों में से एक है जहाँ प्रतिदिन हजारों की सख्या में वाहन आवागमन करते है; 03. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मा हैं, तो क्या सरकार बाघमारा इंदिरा चौक से बसंती चौक होते हुए जमुनिया पुल तक सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, तो कब तक, नहीं, तो क्यो ?	प्रश्नगत पथ आरेखण का इंदिरा चौक (बाघमारा) से भीमकानाली रेलवे पुल तक का पथांश (लंबाई–1.1 कि0मी0) **का स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग अधीनस्थ है।** संबंधित प्राधिकार द्वारा पथ के संधारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है। वर्तमान में पथ की स्थिति अच्छी है। भीमकानाली रेलवे पुल से बंसती चौक खानुडीह होते हुए जमुनिया पुल तक (लंबाई–4.00 कि0मी0) का प्रश्नगत शेष भाग, पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व अधीनस्थ डुमरा– बेरमो– भीमकानाली (MDR-54) का अंश है। विभाग द्वारा पथ के संधारण हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है एवं वर्तमान में पथ की स्थिति अच्छी है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प0नि0वि0–11–ता0प्र0–40/2026 (बजट सत्र) 7776 राँची/दिनांक :–24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–4185, दिनांक–17.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.26

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय श्री राजेश कच्छप, स०वि०स० द्वारा सदन में दिनांक–25.02.2026 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–पथ–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	माननीय मंत्री, प०नि०वि० द्वारा दिया जाने वाला उत्तर
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है कि राँची रिंग रोड, स्टेट हाईवे के कट एरिया में लाईट, CCTV एवं सुरक्षा इंतजाम नहीं है ; 2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कट एरिया में दुर्घटनाओं में भारी बढ़ोत्तरी हो रही है जिसके कारण लोगों की जान–माल की भारी क्षति हो रही है ; 3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित लाईट, CCTV अधिष्ठापन एवं सुरक्षा इंतजाम हो जाने से दुर्घटना, तस्करी पर अंकुश लगेगा। 4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्णित विषय के गंभीरता को देखते हुए खण्ड–1 में वर्णित लाईट, CCTV एवं सुरक्षा इंतजाम कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्नगत, राँची रिंग रोड का निर्माण झारखण्ड त्वरित पथ विकास कार्यक्रम (JARDP) अन्तर्गत लोक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से BOT (Annuity) आधार पर Jharkhand Accelerated Road Development Company Ltd., (JARDCL) द्वारा कराया गया है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त कार्य के Concession Agreement अंतर्गत प्रावधानित कार्यों/अवसंरचनाओं का क्रियान्वयन/अधिष्ठापन कराया गया है। उक्त Concession Agreement के Scope of work में Street Light एवं CCTV अधिष्ठापन का प्रावधान नहीं है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्नगत राँची रिंग रोड के विभिन्न खण्डों में Street Light अधिष्ठापन हेतु ऊर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार से आवश्यक समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। Lead Agency, सड़क, सुरक्षा, परिवहन विभाग के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित कर स्थलीय आवश्यकता अनुरूप CCTV अधिष्ठापन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :– प०नि०वि०–11–शा०प्र०–26 / 2026 (बजट सत्र)...597(S)...राँची / दिनांक :–24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3956, दिनांक–14.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांकः 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम–01 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र०	तारांकित प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में लगभग 10 वर्षों से अधिक समय से राजगंज को प्रखण्ड बनाने की मांग की जा रही है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत टुंडी विधानसभा क्षेत्राधीन बाघमारा प्रखण्ड के आने वाले पंचायत दुलुडीह, महेशपुर–1 धवाचिता, फाटामहुल, छोटा नगरी, नगरी कला उत्तर, नगरी कला दक्षिण, गोहलाडीह, बौआ कला उत्तर, बौआ कला दक्षिण, रंगुनी, गोविंदाडीह, बगदाहा एवं जमुआटांड की दूरी प्रखण्ड मुख्यालय से अत्यधिक होने के कारण अंकित पंचायतों में निवास कर रहे ग्रामीण बेहतर प्रशासनिक सुविधा एवं अन्य कई विकास योजनाओं से लाभन्वित होने से वंचित रह जा रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022 में जिला परिषद् धनबाद द्वारा नया प्रखण्ड राजगंज का सृजन हेतु प्रस्ताव भेजा गया था;	अस्वीकारात्मक प्रखण्डों के सृजन/गठन हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया के निर्धारण संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5495 दिनांक– 16.10.2015 के आलोक में गठित प्रस्ताव अप्राप्त है।
4.	क्या यह बात सही है कि प्रखंड–01 में अंकित पंचायतों को मिला कर राजगंज नया प्रखण्ड सृजन हेतु भौतिक संरचना एवं जनसांख्यकीय मानदंड को पूर्ण करती है;	अस्वीकारात्मक विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5495 दिनांक– 16.10.2015 के द्वारा प्रखण्डों के सृजन/गठन हेतु मापदण्ड एवं प्रक्रिया निर्धारित है, जिसमें प्रखण्ड सृजन हेतु आबादी कम–से–कम 1.25 लाख एवं पंचायतों की संख्या कम–से–कम 18 होने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। उपायुक्त, धनबाद के पत्रांकः 619 दिनांकः 19.02.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जनगणना, 2011 के अनुसार प्रस्तावित राजगंज प्रखण्ड की कुल आबादी 99,325 है तथा प्रश्न में अंकित पंचायतों की संख्या– 14 है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड–01 में अंकित पंचायतों को मिलाकर नया प्रखण्ड राजगंज सृजित करने का विचार रखती है हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रखण्डों के सृजन/गठन हेतु निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रिया के आधार पर विषयगत मामले की समीक्षा कर विभागीय पत्रांकः 493 दिनांकः 20.02.2026 के द्वारा उपायुक्त, धनबाद को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। उक्त प्रतिवेदन व वर्णित संकल्प के आधार पर विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांकः–04/वि०स० (धनबाद)–02/2026 515 /राँची,दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपि :– श्री निलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांकः 3536/वि०स० दिनांकः 09.02.2026 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/2026
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–04 / वि०स०(धनबाद)–02 / 2026 515 /राँची,दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपि :– माननीया मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/ श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय स०वि०स० के आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/2026

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–04 / वि०स०(धनबाद)–02 / 2026 515 /राँची,दिनांक– 21/02/2026

प्रतिलिपि :– विधायी प्रशाखा (प्रशाखा–03) को प्रश्नगत तारांकित प्रश्न की उत्तर सामग्री विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/02/2026

सरकार के अपर सचिव

माननीय डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न सं0–'पथ–03' का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, पथ निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 01. क्या यह बात सही है कि पलामू जिला अन्तर्गत पांकी प्रखण्ड DLP (SH-10) पथ में सगालिम से आसेहार, होटाई, सालमदिरी से बरवैया होते हुए मनिका वन विभाग चेक–नाका के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग–75 तक, पांकी एवं मनिका विधान सभा से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण पथ है; 02. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में परिणत कर निर्माण कराने हेतु स्वीकृति की प्रत्याशा में है; 03. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पथ के निर्माण हो जाने से मनिका एवं उक्त पथ से जुड़े गांवों के लोगों को सगालिम–मानतू होते हुए बिहार के गया एवं विभिन्न शहरों में जाने में काफी सुविधा होगी; 04. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित पथ को पथ निर्माण विभाग से इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	पलामू जिला अन्तर्गत प्रश्नगत पथ (यथा पांकी प्रखण्ड डालटेनगंज– लेस्लीगंज– पांकी (SH-10) पथ में सगालिम से आसेहार, होटाई, सालमदिरी से बरवैया होते हुए मनिका वन विभाग चेक–नाका के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–39 (old NH-75) तक), का स्वामित्व ग्रामीण कार्य विभाग अधीनस्थ है। संबंधित प्राधिकार द्वारा प्रश्नगत पथ के कछेक पथांशों के संधारण हेतु कार्रवाई की गई है/प्रक्रियाधीन है। भविष्य में संबंधित प्राधिकार द्वारा कराये गये कार्य की Defect Liability अवधि समाप्त होने के पश्चात पथ निर्माण विभाग को पथ हस्तांतरण हेतु अनापत्ति प्रदान किए जाने के उपरान्त निधि की उपलब्धता के अनुसार प्रस्ताव पर विचार किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची।

ज्ञापांक :–प0नि0वि0–11–ता0प्र0–03/2026 (बजट सत्र) 776(2) राँची/दिनांक :–24/02/26

प्रतिलिपि :– श्री नीलेश, अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक–3580, दिनांक–10.02.2026 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

24.02.26

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री निर्मल महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ग्राम०–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड–चुरचू, पंचायत– हेन्देगढ़ा में मण्डेय घाट नदी में गार्डवाल निर्माण अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि गार्डवाल नहीं बनने से कुछ दिनों में गाँवों में नदी का पानी घुस जायेगा और हजारों कि संख्या वाला गाँव में बड़ी दुर्घटना घट सकती है;	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या पंचायत–हेन्देगढ़ा में गाण्डेय घाट नदी पर में गार्डवाल निर्माण कराने का विचार रखते है, हाँ तो कब तक, नहीं जो क्यों?	प्रश्नगत स्थल का पूर्व में प्रारंभिक निरीक्षण क्षेत्रीय प्रमण्डलीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया था। निरीक्षण के आलोक में पाया गया कि स्थल पर नदी के बहाव की दिशा परिवर्तन होने के कारण लगभग 180 मी० लम्बाई में ग्रामीणों के रैयती भूमि का कटाव हो रहा है। उक्त स्थल के सुरक्षात्मक कार्य हेतु लगभग 180 मीटर लंबाई में Edge Crating कार्य का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त कार्य हेतु जमीन की आवश्यकता पड़ रही थी, जो कि ग्रामीणों की रैयती जमीन है। कार्य को कराने हेतु ग्राम सभा द्वारा जमीन देने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु अबतक जमीन देने संबंधित ग्राम सभा का प्रतिवेदन अप्राप्त है। उक्त ग्राम सभा का प्रतिवेदन प्राप्त होते ही, क्षेत्रीय कटाव निरोधक समिति के स्थल निरीक्षण एवं तकनीकी सलाहकार समिति (TAC) की अनुशंसा के उपरान्त योजना समीक्षा समिति (SRC) की स्वीकृति प्राप्त कर, क्षेत्रीय संतुलन एवं बजट उपबंध को ध्यान में रखते हुए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यान्वयन पर विचार किया जायगा।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–तारांकित–26/2026– 953 /राँची, दिनांक 24/02/2026

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3575 वि०स० दिनांक–10.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ)-प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/1/26

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

E:\MIS\Yellow Table\Feb-Mar 2026\25.02.2026\Gram-3 Nirmal Mahto.doc

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

षष्ठम झारखण्ड विधान-सभा

पंचम-(बजट)-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 25.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री प्रकाश राम स0वि0स0 श्री नागेन्द्र महतो स0वि0स0	झारखण्ड प्रदेश के लातेहार जिला स्थित लातेहार सदर के तापा खास के लोगों को अवैध निर्मित घरों को तोड़ने की सूचना दी गई है। जबकि 40-50 वर्षो से वे वहाँ निवास कर रहें है। इसके पूर्व भी चंदनडीह ग्राम से सैकड़ो लोगों के घर तोड़े गये थे लेकिन वर्षो के बाद भी उनका पुर्नवास नहीं हो पाया है तथा उन्हें ऐसी 2-2 डी0 जमीन आवंटित की गई थी जिस पर सरना स्थल है। ऐसी परिस्थिति में बिना पुर्नवास के उनके घरों को तोड़ना अनुचित है। अतः जनहित में इस प्रक्रिया को तत्काल रोकने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार
02-	श्री देवेन्द्र कुँवर स0वि0स0	जरमुडी विधान सभा क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम का होना हम सभी के लिए गौरव की बात है। प्रतिवर्ष लाखों श्रधालु, टुरिस्ट, सैलानी देश-विदेश से आते है। कॉवरीया एवं श्रधालुओं/टुरिस्टों/सैलानीयों के सुविधा के लिए अति-	पथ निर्माण

01.	02.	03.	04.
		महत्वपूर्ण दर्शनीयाटीकर (पचरोडीह) से बांधडीह तक सड़क का निर्माण बेहद जरूरी है। यह सड़क बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र में भीड़ कम करने, श्रधालुओं के लिए सुविधायों में बढ़ोत्तरी के साथ ही पर्यटन विकास में मील की पत्थर साबित होगी। अतः आसन के माध्यम से व्यापक जनहित में उधृत सड़क का निर्माण कराये जाने का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
03-	श्री उमाकान्त रजक स0वि0स0 श्री अरूप चटर्जी स0वि0स0	बोकारो जिला के चास अंचल के मौजा-नारायणपुर पिण्डराजोरा, थाना नम्बर-33 खाता नम्बर-317, प्लॉट नम्बर-3589, रकबा-21 एकड़ भूमि सर्वे खतियान में गैर आबाद मालिक के रूप में दर्ज है। इसके बावजूद भी सादा हुकूमनामा के आधार पर ललन पाण्डे द्वारा दिनांक- 05.01.1983 को केवाला (रजिस्ट्री संख्या-144) के माध्यम से उक्त प्लॉट से 16.82 एकड़ भूमि निबंधन कराया गया। विदित् हो कि ललन पाण्डे समेत केवाला रजिस्ट्रीकर्त्ता किनके साथ यानी क्रेता-विक्रेता द्वारा रजिस्ट्री खरीददारी किया इसके बारे में स्पष्ट विभाग के पास दस्तावेज उपलब्ध है। वही केवालाकर्त्ता द्वारा 30 (तीस) वर्ष के बाद जमाबन्दी दर्ज करने के लिए दाखिल खारिज वाद संख्या-645/VII, वर्ष-2015-16 के आधार पर पंजी-2 के भाग वर्त्तमान-24 पृष्ठ संख्या-4304 पर 2.8 एकड़ भूमि पर स्वामित्व पा लिया। तत्पश्चात् भू-माफिया उक्त भूमि पर रिजोर्ट का निर्माण भी कर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि जब जिला प्रशासन बोकारो को यह पता चला कि धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार/फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ एवं-	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
		आपराधिक साजिश कर सरकारी भू-सम्पदा को क्षति पहुँचाया गया है, तो तत्कालिक अंचलाधिकारी श्री दिवाकर दुबे के आदेश पर हल्का संख्या-07 के राजस्व उप-निरीक्षक श्री सुनिल कुमार द्वारा पिण्डराजोरा थाना में एफ0आई0आर0-0089, वर्ष-2025 के माध्यम से मामला दर्ज कराया गया। विदित् हो कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालिक उपायुक्त बोकारो द्वारा वर्ष-2023-24 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम-1950 की धारा-4(एच) के वाद संख्या-39, वाद संख्या-4/2024-25 एवं वाद संख्या-01/2025 के तहत् जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई, जिस पर तत्काल समय पर रोक है। इसके साथ ही प्रश्नगत 2.80 एकड़ भूमि जिस पर रिजोर्ट का निर्माण है, में 05 डीसमील भूमि पर वन विभाग का दावा है एवं शेष भूमि के स्वामित्व के सन्दर्भ में व्यवहार न्यायालय, बोकारो के वाद संख्या- Original Suit 35/2025 की सुनवाई प्रक्रियाधीन है। अतएव पिण्डराजोरा थाना काण्ड संख्या-0089/2025 एवं उपायुक्त बोकारो द्वारा वाद संख्या क्रमशः 39, 04, एवं 01/2025 के सन्दर्भ के साथ व्यवहार न्यायालय बोकारो के वाद संख्या- Original Suit 35/2025 जैसे मामलों की गंभीरता में जिसमें सरकार के वन भूमि समेत अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने जैसे संगीन मामले को लेकर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
04-	श्री राम सूर्या मुण्डा स0वि0स0 श्री अमित कुमार स0वि0स0	राँची जिलान्तर्गत हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का मुरी वर्क्स, राँची में दिनांक- 19 अप्रैल, 2019 को रेड मड पौंड धसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, परन्तु मृत व्यक्ति को कम्पनी द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया है, साथ ही कम्पनी द्वारा NHAI को 2 लाख टन बगैर पर्यावरणीय स्वीकृति के रेड मड आपूर्ति की गयी है, जिसकी सूचना कम्पनी द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को वर्ष-2024 में ही उपलब्ध करा दी गयी है, परन्तु जाँच अब तक प्रक्रियाधीन है। पुनः कतिपय बिन्दुओं पर पत्रांक-800, दिनांक- 20.03.2025 द्वारा कम्पनी से कारण पृच्छा की गयी थी जिस पर वर्त्तमान में इकाई पर नियम संगत कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर उच्चस्तरीय जाँच हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते है।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन
05-	श्री जय राम कुमार महतो स0वि0स0	राज्य में औद्योगिक, खनन एवं अन्य परियोजनाओं हेतु कंपनियों द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध रैयतों के आंदोलन, असंतोष एवं इससे उत्पन्न कानून-व्यवस्था की स्थिति तथा राज्य में संचालित औद्योगिक इकाइयों तथा कॉल कंपनियों के अंतर्गत आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा मजदूरों के साथ किए जा रहे अन्याय एक चिन्ताजनक स्थिति है। राज्य के विभिन्न जिलों, विशेषकर औद्योगिक एवं खनन क्षेत्रों में कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में ग्राम सभा की सहमति, पारदर्शिता, न्यायोचित मुआवजा, पुनर्वास एवं स्थानीय रोजगार से संबंधित प्रावधानों की अनदेखी किए जाने के कारण रैयत एवं स्थानीय ग्रामीण आंदोलनरत है, जिससे कई स्थानों पर कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई है।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ0उ0-

01.	02.	03.	04.
		साथ ही, राज्य में संचालित औद्योगिक, खनन एवं अन्य इकाइयों में आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, समय पर वेतन भुगतान, ईपीएफ-ईएसआई एवं अन्य वैधानिक सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, जिससे श्रमिकों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। अतः राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त दोनों गंभीर विषयों पर तत्काल संज्ञान लेते हुए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की समीक्षा, रैयतों के हितों की रक्षा तथा औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत आउटसोर्स मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।	

राँची,
दिनांक- 25 फरवरी, 2026 ई०।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र० -01/2026-..4412.../वि०स०,राँची,दिनांक- 24.02.26

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता विरोधी दल/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग एवं सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026
(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-01/2026-..4412.../वि०स०,राँची,दिनांक-24.02.26

प्रतिः- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/02/2026
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

24.02.26

(10) सर्वश्री संजय कुमार सिंह यादव, सुरेश पासवान एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-21-02-2026 एवं 24-02-2026 से स्थगित)

(11) श्री उदय शंकर सिंह, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 से स्थगित)

(12) श्री रामचन्द्र सिंह, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पर्यटन, कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 से स्थगित)

(13) डॉ नीरा यादव, स0वि0स0 एवं श्री देवेन्द्र कुँवर, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (उद्योग विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 से स्थगित)

(14) सर्वश्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप एवं श्री सोनाराम सिंकू,स0वि0 स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 से स्थगित)

(15) श्री चन्द्रदेव महतो, स0वि0स0 एवं श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक-24-02-2026 से स्थगित)

(16) श्री प्रकाश राम, स0वि0स0 एवं नागेन्द्र महतो, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(17) श्री देवेन्द्र कुँवर, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(18) श्री उमाकान्त रजक, स0वि0स0 एवं श्री अरूप चटर्जी, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(19) श्री राम सूर्या मुण्डा, स0वि0स0 एवं श्री अमित कुमार, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(20) श्री जयराम कुमार महतो, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

-: समितियों का गठन :-

(21) झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

कृ0पृ0उ0.....03

-: सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना :-

(22) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(23) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

(24) वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर।

(25) अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

रंजीत कुमार
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-01/2026-.4406./वि0स0,राँची,दिनांक-.24.02.26

प्रतिलिपिः- माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय नेता प्रतिपक्ष,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महासचिव लोकसभा, नई दिल्ली/ महासचिव राज्य सभा, नई दिल्ली/ झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026

(हरेन्द्र कुमार साह)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-01/2026-.4406./वि0स0,राँची,दिनांक-.24.02.26

प्रतिलिपिः-अवर सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

24/02/2026

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-कार्य0का0सू0-01/2026-.4406./वि0स0,राँची,दिनांक-.24.02.26

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/ पुस्तकालय शाखा ,जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी0वी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/2026

उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

24/02/26

झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

षष्ठम् झारखण्ड विधान–सभा
संख्या–05

पंचम (बजट) सत्र
मंगलवार, दिनांक–24 फरवरी, 2026 ई०।

समय–11.00 बजे पूर्वा० से 12.46 बजे अप० तक।

(माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

1.प्रश्नकाल–

आज के लिए निर्धारित अल्पसूचित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआ–

(कुल अल्पसूचित प्रश्नों की संख्या–21)

(क) उत्तरित कुल–04

क्रम सं०–53,	अ०सू०–37	श्री देवेन्द्र कुँवर,	स०वि०स०,
क्रम सं०–55,	अ०सू०–05	डॉ० कुशवाहा शशिभूषण मेहता,	स०वि०स०,
		(अधिकृत प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्या, डॉ० नीरा यादव।)	
क्रम सं०–56,	अ०सू०–30	श्री सरयू राय,	स०वि०स०,
क्रम सं०–57,	अ०सू०–07	श्री हेमलाल मुर्मू,	स०वि०स०।

(ख) अपृष्ठ मात्र–01

क्रम सं०–54,	अ०सू०–26	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी,	स०वि०स०।

(ग) स्थगित मात्र–01

क्रम सं०–58,	अ०सू०–10	श्री अरूप चटर्जी,	स०वि०स०।

(घ) अनागत कुल–15, अ०सू० क्रम संख्या–59 से 73 तक।

(कुल तारांकित प्रश्नों की संख्या–74)

(क) उत्तरित कुल–03

क्रम सं०–133,	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,	स०वि०स०,
क्रम सं०–134,	श्री उदयशंकर सिंह,	स०वि०स०,
क्रम सं०–135,	श्री नागेन्द्र महतो,	स०वि०स०।

(ख) अनागत कुल–71, तारां० क्रम संख्या–136 से 206 तक।

2.शून्यकाल:–

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सभी सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर हेतु सम्बन्धित विभागों को भेजे जाने हेतु आसन से निदेश दिया गया।

3.वित्तीय कार्य:–

आसन की अनुमति से माननीय प्रभारी मंत्री(योजना सह वित्त), श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद–203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष–2026–27 के लिए 156560,00,00,000/–(एक लाख, अंठावन हजार, पाँच सौ साठ करोड़) रूपये मात्र का आय–व्ययक (बजट) का उपस्थापन सदन पटल पर किया गया तदुपरांत माननीय मंत्री द्वारा बजट भाषण पढ़ा गया।

माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण का शुभारम्भ स्व० शिबू सोरेन जी श्रीचरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया साथ ही वीर भूमि झारखण्ड के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुण्डा, तिलका मांझी, वीर बुधू भगत, पोटो हो, सिद्धो–कान्हू मुर्मू, चाँद–भैरव, फूलो–झानो, तेलंगा खड़िया, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, पाण्डे गणपत राय, नीलाम्बर–पीताम्बर और शेख भिखारी सहित सभी नाम–अनाम वीर सपूतों को भी अपनी श्रद्धासुमन अर्पित किया।

उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में झारखण्ड राज्य के गठन के मूल उद्देश्यों को दृष्टि पटल पर रखकर वर्तमान अबुआ सरकार हमारे दिशोम गुरू के द्वारा बताये गये समावेशी विकास के मार्ग पर आरूढ़ है। हम झारखण्ड राज्य के निर्माण के उद्देश्यों–जन कल्याण और भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं समृद्ध, सशक्त तथा आत्मनिर्भर झारखण्ड को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हमारे राह में कितने भी रोड़े अटकाएँ। हम न झुके हैं, न झुकेंगे, हमें तो इन चार पंक्तियों पर भरोसा है–

"किसी के पैर में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है,
अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें।"

वित्तीय वर्ष–2022–23 में **"हमर अपन बजट"**, 2023–24 एवं 2024–25 में **"हरीन कर बजट"**, 2025–26 में **"अबुआ बजट"** एवं वित्तीय वर्ष–2026–27 में **"अबुआ दिशोम बजट"** गोष्ठी एवं परिचर्चा के माध्यम से वार्षिक बजट को लगातार बहुमुखी आयाम दिया जा रहा है। बजट में माननीय वित्त मंत्री के द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध प्रक्षेत्र, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, पंचायती राज, महिला बाल–विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा प्रक्षेत्र, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, नगर विमानन, ऊर्जा, उद्योग, भवन निर्माण, नगर विकास एवं आवास, पर्यटन, कला–संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य, सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस, गृह–कारा एवं आपदा प्रबंधन सहित योजना एवं विकास विभागों के लिए बजट प्रबंधन पर विस्तारपूर्वक विचार प्रस्तुत किया गया।

अंत में अपने द्वितीय बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन का आभार प्रकट करते हुए सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का भी आभार व्यक्त किया गया।

4.आसन से सूचना:–

सभा सचिवालय स्थित प्रथम तल के सेंट्रल हॉल में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार की ओर से सभी माननीय सदस्यों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था किये जाने सम्बन्धी सूचना आसन से दी गयी साथ ही उसमें सम्मिलित होने के लिए माननीय वित्त मंत्री की ओर से सादर अनुरोध करने सम्बन्धी विषय से भी सदन को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक–25.02.2026 के 11.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–24 फरवरी, 2026 ई०।

रंजीत कुमार,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।